राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या: 04

मंगलवार,

11 फरवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

हिन्दी फिल्म 'छपाक' को कर मुक्त करने से राजस्व की हानि

18. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में हिन्दी फिल्म छपाक को कर मुक्त किया गया है? यदि हां, तो कब व इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फिल्म को प्रदेश में कर मुक्त करने से सरकार को राजस्व की कितनी हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल) : (1) राज्य के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प. 24(1) वित्त/कर/2020-117 दिनांक 10.01.2020 द्वारा फिल्म 'छपाक' को आदेश दिनांक से 6 माह की अवधि हेतु राज्य के मल्टीप्लैक्स/सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

इस फिल्म की कहानी लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। एसिड से हमला होने तथा उसके बाद विभिन्न सर्जरियों से गुजरने के बाद भी फिल्म की नायिका हिम्मत नहीं हारती है तथा एक एनजीओ स्थापित करती है जो एसिड अटैक सर्वाइवर महिलाओं की मदद करता है। फिल्म 'छपाक' की कहानी स्त्री सशक्तिकरण पर आधारित है तथा

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

एसिड अटैक जैसे गंभीर विषय पर समाज के लिए प्रेरणादायक है। इसी को ध्यान में रखकर उक्त आदेश जारी किया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस फिल्म को देखकर प्रेरणा ले सकें ताकि राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीति को अधिक बल मिल सके।

(2) राजस्थान में उक्त फिल्म को मल्टीप्लैक्स/सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। इस क्रम में आयुक्त, वाणिज्य कर राजस्थान द्वारा दिनांक 16.01.2020 को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित करदाता को उक्त समयावधि का रिटर्न विभाग में प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् वह एस जी एस टी राशि की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन विभाग में प्रस्तुत करेगा। माह जनवरी, 2020 की जीएसटीआर 3b रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 24 फरवरी, 2020 है। करदाताओं से आवेदन प्राप्त होने पर ही संबंधित राजस्व राशि की गणना किया जाना संभव हो सकेगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला क्वेश्चन पहली बार ही लगा है, आपसे आग्रह है थोड़ा समय देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या 'छपाक' फिल्म की नायिका दीपिका पादुकोण वही हैं, जो जे.एन.यू. के छात्रों को टुकड़े-टुकड़े गैंग से भारतीय नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करा रही थीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): इसलिए सरकार ने फिल्म का टैक्स माफ किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। प्रश्न के संदर्भ में सवाल पूछें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें आप।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: आप फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं या टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, जरूरत नहीं हैं, आप बैठें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठें। आपको जरूरत नहीं है एडवोकेट की। He is competent....(व्यवधान) आप

(श्री अध्यक्ष)

सुनें, आपके इस प्रश्न को पोस्टपोन करता हूं। यह टैक्स के संबंध में नहीं है। आप टैक्स के बारे में पूछ सकते हैं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप नहीं समझें तो आप बैठ जाइए। वित्त के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं, किसके संबंध में पूछ रहे हैं? वित्त मंत्री जवाब दे रहे हैं। अब आप वित्त के संबंध में पूछ रहे हैं या आपका प्रश्न दूसरे मंत्री को ट्रांसफर करूं?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न। कान्ति प्रसाद। (व्यवधान) नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। आप अध्यक्ष की व्यवस्था को नहीं करें प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। अगला प्रश्न, कान्ति प्रसाद। अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी, आप जवाब दें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

थानागाजी में स्वीकृत सड़कें

19. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): (श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी) के स्थान पर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में ग्रामीण सड़कें टूटी हुई हैं? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कें स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में 144 सड़कें स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) स्वीकृत सड़कों में से 91 सड़कों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 53

(उप मुख्य मंत्री)

कार्य प्रगतिरत हैं। शेष स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य बजट उपलब्धतानुसार शीघ्र पूर्ण करवाने जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, नरेन्द्र नागर।

प्रश्न संख्या 20

(माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र नागर बोलने के लिये खड़े नहीं हुए)

(कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, श्री पानाचन्द मेघवाल।

स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने की कार्ययोजना

21. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश की नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगमों में अधिकारियों और कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व इनमें से कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में प्रदेश की नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश के कई नगर निगमों, नगर परिषद् और नगरपालिकाओं में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रदेश की उक्त संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सही नहीं है? यदि हां, तो उक्त की स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(2) प्रदेश की नगरीय निकायों को विगत 05 वर्षों में आबंटित की गई राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) कतिपय नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन-भत्तों का समय पर भुगतान नहीं हो पाया है, उनमें कुछ समय पश्चात् चुंगी पुर्नभरण अनुदान मद से राशि का आबंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचम् राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दी गई अनुदान राशि में से पहली बार वर्ष 2019-20 से निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(4) जी हां। नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है, जिनसे निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये नियमों में व दिशा-निर्देशों में कई संशोधन एवं परिवर्तन किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता और गड़बड़ियों की काफी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। कई पात्र व्यक्तियों का चयन इस भर्ती में नहीं किया गया। क्या राज्य सरकार पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो भर्तियां की गयी थीं, उनकी जांच कराने का प्रयास करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न है, नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगम क्षेत्रों में आवारा पशु, सूअर, कुत्तों एवं बंदरों से आम जनता बहुत परेशान होती है और कई बार बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है। क्या सरकार इसके लिये अलग से स्टाफ नियुक्त करके इन आवारा पशुओं को, सूअरों को, कुत्तों और बंदरों को अलग से पकड़कर कहीं और जगह छोड़ने का प्रयास करेगी? मेरा तीसरा प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में मृत जानवरों को जो ठेकेदार इधर-उधर कहीं फेंक देता है, क्या सरकार इसके लिये स्थायी जगह आबंटित करके और आम जनता को राहत प्रदान करने का प्रयास करेगी?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप से अपनी सीटों के लिये प्रस्थान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न के उत्तर के बाद में बोल लेना।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है कि कोई भी नई समस्या हो, चाहे जानवरों की समस्या हो, चाहे दूसरी समस्या हो, उनके कर्तव्य साफ-साफ लिखे हुए हैं कि नगरपालिकाओं के क्या-क्या कर्तव्य हैं। यह जो लोग अभी वहां पर लगे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा यह काम करवाया जाता है, उसके लिये कोई अलग से स्टाफ नहीं दिया जाता है। जहां तक सवाल आपका है, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी खुद की म्युनिसिपैलिटी में सिर्फ 51 पद खाली हैं, बाकी 495 पदों में से 444 पदों पर लोग लगे हुए हैं। अब सवाल यह आता है कि कोई अलग से स्टाफ लगाया जाए, तो अलग से स्टाफ का तो कोई प्रोविजन है नहीं, लेकिन कोशिश यह है कि जहां-जहां पर भी रिक्त स्थान हैं, उनको भरा जा रहा है। अभी भी 935 आदमियों के लिये नई नौकरी प्रक्रियाधीन है और वह शायद इंटरव्यू और रिटर्न वगैरह सब होने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो तीन तरह की समस्याएं उठायी हैं, उनके लिये हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और इस बात की कोशिश है कि वहां के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उन पर इस बात की पाबंदी लगाये कि यह काम उनके करने के हैं इसलिए किये जाने चाहिए वरना उनके खिलाफ एक्शन होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूं कि यह जो टैक्स की छूट दी है यह जनवरी, 2020 में दी है और जेएनयू की घटना इससे पहले हुई है, क्या उस घटना के बाद आप...

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, प्रश्न काल में यह नहीं होगा। प्रश्न काल में यह नहीं होगा, आप कोई बात कहनी हो तो बताएं। (व्यवधान) प्लीज, आपको अलाउ नहीं है, प्लीज बैठें। आपको अलाउ नहीं है। अध्यक्ष खड़ा हो तब बोल रहे हैं बैठे-बैठे।

माननीय कटारिया जी, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें। प्रश्न ठीक ढंग से प्रश्न हो, सम्बन्धित मंत्री जवाब दें, यह मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं इसीलिए मैंने कुछ नियम और बनाये हैं। यह प्रश्न वित्त के सम्बन्ध में है,

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य को पूरा अधिकार है वित्त के सम्बन्ध में पूछने का। यदि उनको कल्चर के सम्बन्ध में पूछना है मैं इस प्रश्न को ट्रांसफर करता हूं, जब कल्चर का आ जाए तब प्रश्न पूछ लेना।

मेरा उद्देश्य सिम्पल है। यह ट्रेनिंग नहीं हो सकती है कि हम गलत परम्पराओं को डालें, इसलिए आपका प्रश्न यदि कल्चर में बनता है, मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं और कल्चर डिपार्टमेंट में आयेगा जब जवाब देना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आपके सुझाव को मैं स्वीकार करता हूं। अगर यह लगता है कि कल्चर से जाना चाहिए तो आप इसको स्थगित करके जिस दिन भी इसका आता है उस दिन करा लें।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप पढ़ लें, प्रश्न पूरा टैक्स के सम्बन्ध में पूछा है। यह प्रश्न का टैक्स्ट पढ़ लें आप। कोई सम्बन्ध कल्चर से नहीं है तो सप्लीमेंट्री मैं यदि ...(व्यवधान) प्लीज, राठौड़ साहब, मुझे गाइड नहीं करें। प्रश्न आपने वित्त में पूछा है, टैक्स के बारे में पूछा और कल्चर के बारे में पूछें तो कल्चर मंत्री जवाब देंगे। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, I will not encourage the practice जो प्रिवेल है। मैं क्वेश्चन को भी रैगुलेट कर रहा हूं, मंत्री जी को जवाब देने को भी रैगुलेट कर रहा हूं और माननीय सदस्य से मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि आपने क्वेश्चन दिया है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के मंत्री के रिलेवेंट होनी चाहिए। कल्चर के सम्बन्ध में वित्त मंत्री कैसे जवाब देगा? इसलिए माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हमने कोई अलग से बात नहीं पूछी। हमने केवल इतनी सी जानकारी चाही कि यह जो टैक्स की छूट जनवरी, 2020 में दी है, यह क्या उस घटना के बाद ...(व्यवधान) यह राजनीतिक आधार पर...

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी। माननीय कटारिया जी। अंकित नहीं होगा। आप सीनियर लीडर हैं। अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष खड़ा है और, कटारिया जी, आप बोले जा रहे हैं। आप सीनियर आदमी हैं। मैं खड़ा हुआ हूं। आप बैठिये प्लीज। राजेन्द्र जी, प्लीज बैठिये। नहीं, नहीं अलाउ नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: आप क्या सैट करना चाहते हो? आप गलत परम्परा

(श्री अध्यक्ष)

डालते हो। आप सीनियर आदमी हो, आप खुद आइडल बनना चाहते हो? I will not allow it. आपको पसंद है या नापसंद है, अध्यक्ष की व्यवस्था को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: आप सब खड़े हो गये, नहीं, मैं अलाउ नहीं करता। किरण जी, क्या कर रहे हैं आप?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: वो बोल रहे हैं आप खड़े हो गये। सीनियर मैम्बर बोलते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं इस विधान सभा की गरिमा को बनाये रखने के लिए अपने आपको सैल्फ डिसीप्लिन इम्पोज करना पड़ेगा you cannot take liberty.

प्रश्न संख्या 18

(स्थगित)

वित्त का प्रश्न है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं कह रहा हूं, कल्चर का प्रश्न पूछना है मैं ट्रांसफर कर देता हूं what else you want. मैं अलाउ नहीं करूंगा प्लीज।

प्रश्न संख्या 22

(स्थगित)

अगला प्रश्न स्थगित किया जाता है। अगला प्रश्न स्थगित किया जाता है। देवल साहब, बाद में आयेगा। माननीय देवल साहब, मैंने बोल दिया, आपने सुना नहीं है। प्रश्न स्थगित कर दिया है, यह इस विभाग का नहीं है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं उसका कारण जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: इस विभाग का नहीं है इसलिए, आपने लिखा है जो, आपने प्रश्न लिखा है कृषि मंत्री का और यह प्रश्न आता है आपदा के सम्बन्ध में। मैंने बोल दिया न, सुना नहीं क्या आपने? यही बोल रहा हूं न।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): नहीं तो उसमें ट्रांसफर करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: मैं क्या बोल रहा हूं, आपने सुना नहीं क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, इस प्रश्न को स्थगित किया गया है। जब मंत्री का नम्बर आयेगा, जवाब दिया जायेगा।

अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप सीनियर हो, मुझे माफ करें I will not allow it. क्वेश्चन-आन्सर में नहीं होता है, प्रश्न काल में नहीं होता है ...(व्यवधान) माननीय अविनाश जी। श्री अविनाश जी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

जैतारण में खनन प्रभावित ग्रामों में विकास के कार्य

23. श्री अविनाश (जैतारण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2019 तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र जैतारण में खनन प्रभावित क्षेत्र के अलावा भी कार्य करवाये गये हैं? यदि हां तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कहां-कहां कौन-कौन से कार्य करवाये गये हैं तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र के खनन प्रभावित क्षेत्र में आने वाले ग्राम व ग्राम पंचायत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: खान मंत्री जी।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2019 तक कुल रुपये 965.97 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्षवार सूचना परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट में प्राप्त अंशदान से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट रूल्स, 2016 में निहित प्रावधान के अनुसार करवाये जाते हैं।

(3) जी नहीं।

(4) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में उक्त अवधि में डी.एम.एफ.टी. अंशदान से करवाये गये कार्य व उन पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(5) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के खनन प्रभावित क्षेत्र में आने वाले ग्राम व ग्राम पंचायत का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 24

श्री गोविन्द प्रसाद।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री जौहरीलाल मीना। जौहरीलाल जी मीना, माननीय सदस्य। प्रश्न संख्या 25 बोलिये।

राजगढ़ (अलवर) में रोडवेज बसों का ठहराव

25. श्री जौहरीलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की राजगढ़ तहसील में रोडवेज सब डिपो स्थापित होने के उपरांत भी रोडवेज बसों का स्टोपेज न होकर सीधे ही बाई पास होकर निकल जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त रोडवेज सब डिपो पर बसें रुकवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जौहरीलाल मीना)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की रैणी तहसील में रोडवेज बसों की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। पूर्व में बाई पास से राजगढ़ कस्बे में जाने का मार्ग लगभग एक किलोमीटर का क्षतिग्रस्त होने एवं सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण राजस्थान परिवहन निगम की वाहनों को राजगढ़ बस स्टैण्ड पर नहीं भिजवाया जा रहा था।

(2) जी हां। वर्तमान में सडक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। दिनांक 5.2.2020 से रोडवेज वाहनों का संचालन राजगढ़ बस स्टैण्ड से प्रारम्भ करवा दिया गया है। राजगढ़ बस स्टैण्ड पर बुकिंग हेतु पहले से ही एक बस एजेन्ट नियुक्त किया हुआ है, साथ ही मुख्य प्रबन्धक अलवर आगार के कार्यालय आदेश क्रमांक 70 दिनांक 5.2.2020 द्वारा तीन कर्मचारियों को पदस्थापित कर दिया गया है।

(3) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र की रैणी तहसील में पूर्व से ही चार परिचक्र दैनिक रूप से निगम द्वारा निम्नानुसार संचालित कर जनता को निगम की बस सुविधा प्रदान की जा रही है :-

क्र.सं.	**आगार का नाम**	**मार्ग**	**समय**	**अप/ डाउन**
1.	अलवर	अलवर-रैणी	20.00	अप
		रैणी-जयपुर	07.30	डाउन
		अलवर-कोटीन चौराहा	18.15	अप
		कोटीन चौराहा-अलवर	08.00	डाउन

और यह सारी क्रम संख्या सहित मैंने उत्तर में आपको प्रेषित कर दी है, फिर भी माननीय सदस्य कुछ चाहेंगे तो आपके यहां पर कोई बसों की प्रोब्लम हैं तो चाहे अभी बता दें, चाहे मेरे से अकेले मिल लें, आपकी सारी बसों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

श्री जौहरीलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपके

(श्री जौहरीलाल मीना)

आदेश से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने इन्फोर्मेशन दी है, वो शाम को पांच बजे अलवर से रैणी जाती है और सात बजे वापस रैणी से राजगढ़ आती है, उसका औचित्य क्या है? शाम को पांच बजे जाना और नाइट में सात बजे वापस आना रैणी के लिए। हमारे रैणी सब-डिवीजन है, राजगढ़ भी सब-डिवीजन है और अलवर जिला हैडक्वार्टर है, उन बसों का कोई औचित्य नहीं है।

यह जो रिपोर्ट दी गई है कि वहां डिपो चालू कर दिये गये हैं, बस जा रही हैं। श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक एक भी बस वहां स्टोपेज नहीं की है। आपने एक कर्मचारी जरूर लगा रखा है, वो कर्मचारी वहां रहता है और कोई कर्मचारी नहीं है, न बस जा रही है और न रुक रही है। रैणी और राजगढ़ के बीच में एक शटल चलनी चाहिए जो कि दोनों हैडक्वार्टर हैं और एक राजगढ़ तहसील का ही दूसरा पार्ट है रैणी तो उनके लिए बसों की अति आवश्यकता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजगढ़-रैणी के बीच शटल चलाई जाए और अलवर से रैणी के लिए समयबद्ध बस चलनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ से आने वाले बहुत सीनियर सदस्य जौहरीलाल जी मीना की जो शिकायत है, मैं उनकी भावनाओं को समझ रहा हूं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जो मुद्दे उन्होंने सदन में उठाये हैं और जो बसों का वो स्टोपेज चाहते हैं और नई बसें चलाना चाहते हैं वो चला दी जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई प्रश्न पूछना है?

श्री जौहरीलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मीना कंवर।

माननीय मंत्री जी, जवाब दें। माननीय मंत्री जी, जवाब दें। शिक्षा मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आई नहीं।

श्री अध्यक्ष: मैं बोल रहा हूं, आप जवाब दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): हां, ठीक है, सर।

श्री अध्यक्ष: मेरा अधिकार है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): सर, मेहरबानी। थैंक यू। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं आप।

शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने की कार्ययोजना

26. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शिक्षकों के वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई तथा कितनी नवीन नियुक्ति की गई? श्रेणीवार, वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है? श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अनेकों विद्यालयों में भी विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के, कितने-कितने पद रिक्त हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को समानीकरण अथवा नवीन भर्ती द्वारा भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) प्रदेश में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	**स्वीकृत**	**रिक्त**
प्रधानाचार्य	10847	685
प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष	3650	967
व्याख्याता स्कूल शिक्षा एवं समकक्ष	52699	10965
शा. शिक्षक ग्रेड-प्रथम	265	229
कोच एवं समकक्ष	40	13
अध्यापक श्रेणी-द्वितीय/वरिष्ठ अध्यापक	91150	21755
शा. शिक्षक द्वितीय ग्रेड	3374	654

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

श्रेणी	**स्वीकृत**	**रिक्त**
तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 एवं समकक्ष	162451	17966
तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 एवं समकक्ष	105130	13527
शा. शिक्षक तृतीय ग्रेड एवं समकक्ष	19639	4232
योग	**449245**	**70993**

(2) गत पांच वर्षों में शिक्षकों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन, प्रदत्त नियुक्तियों का श्रेणीवार एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण प्रारम्भिक शिक्षा का परिशिष्ट-"क" पर तथा माध्यमिक शिक्षा का विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों की प्रक्रियाधीन नियुक्तियों का श्रेणीवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-"ख" में सम्मिलित है।

(4) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के रिक्त पदों का पंचायत समितिवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-"ग" एवं "घ" पर संलग्न है।

(5) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने की एक सतत प्रक्रिया है। स्टाफिंग पैटर्न हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 28.05.2019 के अनुसार विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का निर्धारण/आबंटन किया जा चुका है, जिससे अधिशेष हुए अध्यापकों/कार्मिकों को आवश्यकता वाले विद्यालयों के रिक्त पदों पर लगाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्त पदों को समय-समय पर वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित पात्र आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर रिक्त पदों को भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: किसी को सप्लीमेंट्री पूछना है? मुझे पूछना है। अच्छा, आप पूछ लो।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय मुख्य मंत्री जी ने 31 हजार पदों की घोषणा की थी तो यह कब तक की जाएगी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रीट के एग्जाम कराने की बात है, पात्रता परीक्षा, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रदेश के बेरोजगार जो शिक्षक के लिए पात्र हैं, उनको नौकरियां मिलें। इन 31 हजार पदों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इनके लिए रीट का एग्जाम कराया जाए। संभावित तिथि 2 अगस्त तय की गई है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है तो 2 अगस्त को हमारे प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए रीट का एग्जाम कराया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, 91150 सैकण्ड ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापकों के पद के अगेंस्ट में 21755 पद खाली हैं। मेरा प्रश्न यह है कि इन 21755 पदों में अंग्रेजी और गणित के कितने पद खाली हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 हजार के लगभग सैकण्ड ग्रेड के जो हमने आरपीएससी से एग्जाम करवाये हैं, उसका रिजल्ट प्रारंभिक रूप से जारी हो गया है। फाइनल रिजल्ट जारी होने वाला है। समान पद में 50 परसेंट पदोन्नति के आधार पर स्वीकृत होते हैं। अंग्रेजी और गणित के काफी पद रिक्त हैं। इनके लिए प्रयास किया जाएगा कि अप्रैल और मई में जो डीपीसी हो रही है, उसमें से ज्यादा से ज्यादा पद भरे जाएं। अभी सैकण्ड ग्रेड के जो पद आने वाले हैं, हो सकता है 10, 20 दिन या एक महीने के अंदर आ जाएंगे। आगामी सेशन में प्रयास किया जाएगा कि जितनी भी वैकेंसियां हमने आरपीएससी को दी थीं, वह भी हमारे पास में शिक्षक आ जाएंगे। पदोन्नति की प्रक्रिया भी हमने प्रारम्भ कर दी है। जल्दी ही पदोन्नति करके उनके पदों को भरा जाएगा।

श्री अध्यक्ष: क्या यह सही है कि ग्रामीण इलाके के विद्यार्थी दसवीं क्लास में गणित और अंग्रेजी में ही फेल हो रहे हैं

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): निश्चित रूप से पिछले 5 सालों में किसी तरह की भर्ती नहीं की गई। आखिरी बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 हजार पदों की विज्ञप्ति जारी की, जिसको अब हम जल्दी से जल्दी भर्ती करवा रहे हैं। अगर वह समय रहते करवा देते तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

श्री अध्यक्ष: शकुन्तला रावत जी। एक मिनट बैठें, एक मिनट।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष जी, आपकी

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

इजाजत से पूछना चाहूंगी कि गणित और अंग्रेजी विषय के जहां 10वीं और 12वीं के स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं तो वह आप कब तक लगा देंगे? जहां आठवीं और दसवीं में 100 से ऊपर लड़कियां पढ़ रही हैं इंटीरियर क्षेत्र में, उन्हें क्या क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: मैंने कोशिश की कि प्रश्न के संदर्भ में ही सप्लीमेंट्री पूछूं। आप भी प्रश्न के संदर्भ में ही सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहली बार राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने 1200 स्कूलें पहले बजट में क्रमोन्नत करने का काम किया है। इसके पीछे मंशा यही है कि हमारी बेटियां ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हों। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो भी प्रस्ताव आएंगे, अगर बालिका के आएंगे तो हम उसको प्राथमिकता देते हुए काम करेंगे। बाकी सैकण्ड ग्रेड के आप जो बता रहे हैं, वह आरपीएससी से ज्यों ही रिजल्ट आ जाएगा, तत्काल काउंसलिंग कराकर के पद भर दिए जाएंगे। अप्रैल और मई में हमारी जो डीपीसी आएगी, उसको भी तत्काल और डीपीसी की बजाय पहले सैकण्ड ग्रेड की कराकर के पद भरने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हमारे पास कम्प्यूटर शिक्षकों के कितने पद खाली हैं और वह कब तक भर देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सप्लीमेंट्री प्रश्न के संदर्भ में हो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सरकार, इसमें शिक्षक भर्ती का ही था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद। श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो एयरटेल को स्कूलें दी गई थीं वह उससे अब स्कूलें वापस ले ली गई हैं। उनमें शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं। मंत्री जी, क्या उनको भरने का इरादा रखते हैं? बच्चे भी जो थे, वह स्कूलों को छोड़-छोड़कर के बहुत सारे जा चुके हैं। इसके संबंध में मैंने पहले भी निवेदन

(श्री बलजीत यादव)

किया था। इन पदों को आप कब तक भरने का इरादा रखते हैं? चाहे आप डेपुटेशन से भरें। थर्ड ग्रेड में बैन है, ट्रांसफर हो नहीं सके, डेपुटेशन किए नहीं जा रहे हैं। अब वह बच्चे कहां जाएं? सरकार या तो डेपुटेशन से लगाए, कैसे भी लगाए। कोई व्यवस्था उनके लिए करने का इरादा रखती है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सही सवाल पूछा है। पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार ने जो एमओयू किया था, वह बिना सोचे-समझे कर दिया। पूरी की पूरी स्कूलें एयरटेल को दे दी गई। हम जब आए तो एमओयू की अवधि समाप्त हो गई। दुबारा उसने इच्छा जाहिर नहीं की। हमारे पास शिक्षक नहीं थे फिर भी हमने विभाग को निर्देश दिए जल्दी से जल्दी इन विद्यालयों को चलाने के लिए। यहां से लोकल, जयपुर जिले से ही उनकी प्रतिनियुक्ति की जा सकती थी क्योंकि वहां थर्ड ग्रेड के टीचर हैं। हम बाड़मेर से तो टीचर्स को ला नहीं सकते हैं। जिले से जो व्यवस्था हो सकती थी, वह हमने करने का प्रयास किया है। फिर भी मैं, मेरे विभाग के अधिकारियो को निर्देश दूंगा कि पढ़ाई बच्चों की बाधित नहीं हो, इसके लिए जिले में कहीं भी एक्सेस टीचर मिल सकते हों, जहां ज्यादा पोस्टेड हों, उनमें से किसी को लगा दें। जिस विद्यालय से हम टीचर्स को डेपुटेशन करते हैं तो उस विद्यालय के गांव के लोग भी यह चाहते हैं कि हमारे टीचर्स यहां से नहीं जाएं। इसमें थोड़ी दिक्कत तो जरूर है लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 27

(स्थगित)

अगला प्रश्न। मैं ही उस क्षेत्र का, उस जिले का विधायक हूं इसलिए प्रश्न संख्या 28.

राजसमन्द जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्रों का सत्यापन

28. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला राजसमन्द में प्रधान मंत्री आवास योजना में विगत दो वर्षों

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

में ग्राम सभाओं द्वारा स्वीकृत कितने आवेदन पत्र सत्यापन कर वरीयता सूची में सम्मिलित कर लिये गए हैं तथा कितने आवेदन पत्र सत्यापन के अभाव में लंबित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में प्रधान मंत्री आवास योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना एवं अन्य आवासीय योजनाओं में उक्त अवधि में कितने आवेदकों को आवास सहायता स्वीकृत की गई व कितने आवेदन प्रतीक्षा सूची में हैं? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में जिन आवेदकों को आवास सहायता स्वीकृत की गई है, उनको कितनी किश्तों का भुगतान किया जा चुका है तथा कितने आवेदकों की प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम किश्त बकाया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) राजसमन्द जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत गत दो वर्षों में ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित वंचित 47263 पात्र परिवारों का पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**तहसील/ पंचायत समिति**	**आवेदन पत्रों की संख्या**
1	आमेट	2921
2	कुम्भलगढ	8650
3	खमनौर	11956
4	देवगढ़	2193
5	भीम	12014
6	रेलमगरा	4699
7	राजसमन्द	4830
	कुल	**47263**

उक्तानुसार जिलों से प्राप्त सूची का राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति के अनुमोदन उपरांत अंतिम निर्णय हेतु दिनांक 06.03.2019 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है।

(2) उक्त अवधि में मुख्य मंत्री आवास योजना एवं अन्य आवासीय

(उप मुख्य मंत्री)

योजनाएं संचालित नहीं थीं। प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण में गत दो वर्षों में 8023 आवास स्वीकृत किये गये जिनका पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	**तहसील/पंचायत समिति**	**गत दो वर्षों में स्वीकृत (2017-18 व 2018-19)**	**आवास सोफ्ट पर प्रदर्शित सूचना अनुसार प्रतीक्षा सूची में शेष परिवार**
1	आमेट	510	91
2	कुम्भलगढ	1795	390
3	खमनौर	2453	1436
4	देवगढ़	435	110
5	भीम	1550	1203
6	रेलमगरा	748	185
7	राजसमन्द	532	270
	कुल	**8023**	**3685**

उक्त के अलावा वर्ष 2019-20 में 6318 आवास स्वीकृत किये जाने के उपरांत 3685 परिवार प्रतीक्षा सूची में शेष हैं।

(3) राजसमन्द जिले में गत दो वर्षों में 8023 आवास स्वीकृत किए गए है, जिनमें से 8003 को प्रथम किश्त, 7875 को द्वितीय किश्त एवं 7822 को अंतिम किश्त का भुगतान किया जा चुका है। उक्तानुसार स्वीकृत आवासों में से 20 को प्रथम किश्त, 148 को द्वितीय किश्त एवं 201 को अंतिम किश्त का भुगतान बकाया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, यह कुल 47263 जो अनुमोदित परिवार हैं, जिनके संबंध में भारत सरकार को 6.03.2019 को लिखकर भेजा है, उनकी क्या स्थिति है?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पहली बार इस योजना को लागू किया गया था उस समय राजस्थान में 17 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया था। मुझे

(श्री सचिन पायलट)

अब बताते हुए खुशी है कि जितनी भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीम्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्कीम रही है, 96 परसेंट हम लोगों ने कमप्लीट किया है। उसके बाद यह जरूरत महसूस की गई कि और जो परिवार छूट गए हैं उनका हमने दोबारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से सर्वे करवाया। उसमें जो टोटल आंकड़ा आया, प्रदेश के अंदर 16 लाख 42 हजार हमने और एड किए हैं। भारत सरकार ने कहा कि यह एड करने का तरीका सिर्फ अपलोड करने का है आवास प्लस एप के अंदर हमने उसको अपलोड किया और अपलोड करने के बाद हम लोगों ने चिट्ठी लिखी कई बार लेकिन अभी तक भारत सरकार की स्वीकृति जो अतिरिक्त परिवार हैं, उनकी आई नहीं है। जैसे ही किश्त आती है या स्वीकृति आती है, प्रदेश सरकार पूरी निगरानी से उसमें काम करती है। जैसा मैंने कहा कि राजसमन्द जिले में भी 96 परसेंट कम्पलीशन रेट है और राजस्थान में 97 परसेंट कम्पलीशन रेट है लेकिन भारत सरकार की स्वीकृति आने का हम लोग अभी वेट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, वार्ड पंच का जो इलेक्शन होता है, वह 50 की यूनिट पर एक वार्ड चुना जाता है, इंडिविजुअल बेनीफिशियरीज की सारी स्कीम, यदि इनका आथेंटिकेट वेरीफिकेशन कर सकता है चुना हुआ जनप्रतिनिधि, तो वह वार्ड पंच है। नए चुनाव हो चुके हैं, वार्ड पंच के माध्यम से जिन लोगों के मकान बने हैं 17 लाख के, जिसमें 96 परसेंट हमारा अचीवमेंट है, उसका वेरीफिकेशन कराएगी क्या सरकार?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): बिलकुल, अध्यक्षजी। मुझे लगता है कि यह जो डिमांड बेस्ड है, इंडिविजुअल बेनिफिशियस स्कीम, यह ग्राम सभा के माध्यम से ही जिला स्तर पर आती है और जिला स्तर के बाद, प्रदेश स्तर के बाद हम केन्द्र को भेजते हैं। तीन लेयर पर इसका वेरीफिकेशन होता है, डिमांड का भी और एक्जीक्यूशन का भी और इसमें जियो टैगिंग होती है अध्यक्षजी, फोटो खींच के उस मकान की टैग होती है, अपलोड होती है, वेरीफिकेशन होता है और तभी उसकी थर्ड किश्त और यूसी सर्टिफिकेट मिलता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यह इंडिविजुअल बेनीफिशियस स्कीम है, तो एक-एक व्यक्ति को प्रोपर तरीके से वह मकान और उसकी राशि मिल रही है, इसका पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार क्रियान्वयन करेगी।

श्री अध्यक्ष: मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि राजसमन्द जिले में ग्राम सभा के माध्यम से 47263 आदमी, मकान के लिए एप्लीकेंट ड्यू हैं।

(श्री अध्यक्ष)

इसका मतलब यदि ग्राम सभा में सही चयन होता तो ये पहले ही स्टेज पर सारी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए थी कि कितने आदमियों के पास मकान नहीं है। मेरा निवेदन है कि ग्राम सभा में जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वे प्रभावशाली व्यक्ति जिन लोगों के मकान नहीं हैं, उनके नाम लिस्ट में नहीं आने देते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि दुबारा आप वार्ड सभा के माध्यम से जिन्होंने मकान बनाया है वे और जो मकान बनाने के पात्र इंटेंडेड हैं उनका वेरीफिकेशन ग्राम सभा में वार्ड पंच के माध्यम से करवाएं तो इफेक्टिवली आपको हर वार्ड से आइडिया बनेगा कि किस वार्ड में से लोग नहीं हैं क्योंकि ग्राम सभा जब हो रही है तो पूरी ग्राम सभा में पूरी पंचायत का 20 परसेंट आदमी ही पार्टिसिपेट नहीं करता है। वार्ड सभा में यदि मीटिंग करवाएंगे तो एक पंचायत में दस वार्ड सभा मीटिंग होगी तो दस जगह आपको आथेंटिकेट आदमी मिलेंगे कि कहां मकान नहीं बना हुआ है। राजस्थान की जो बसावट है उसमें दो तिहाई आदमी हैमलेट्स में रह रहा है। पंचायत मुख्यालय पर जब ग्राम सभा होती है तो दो-तीन हैमलेट के आदमी ग्राम सभा की मीटिंग में नहीं आते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग हो जाती है, वेरीफिकेशन हो जाता है और दूर इलाके में रहने वाला आदमी है और खास तौर पर वन्रेबल सैक्शन का, एसटी, एससी का आदमी है, वह आदमी जब ग्राम सभा में नहीं आता है तो उसका नाम उस ग्राम सभा की लिस्ट में नहीं जाता है। सरकार को पता नहीं होता है कि इनके पास मकान है या नहीं। मेरा निवेदन है कि एक बार हम इस एक्सरसाइज को कर लें, वार्ड सभा, आई एम नोट सेइंग ग्राम सभा, वार्ड सभा में वेरीफिकेशन करवाकर ग्राम सभा से आथेंटिकेट कर लें तो आपको फुलप्रूफ मिल जाएगा कि कितने आदमियों के मकान बने हैं और कितने आदमी मकान के पात्र बाकी हैं। इस बारे में जरूर आप करें।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सुझाव को लागू करने का आपको और सदन को आश्वस्त करता हूं। मैं समझता हूं कि राजस्थान में अगर पहला कहीं करेंगे तो राजसमन्द जिले में करेंगे इसको और वार्ड सभा के माध्यम से और आपको सूचित करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29

जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत प्रदेश के हर घर को शुद्ध पेयजल

29. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन घोषणा के अनुसार वर्ष 2024 तक हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की उक्त घोषणा को राजस्थान के सभी घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की कार्य योजना समय पर पूर्ण कर ली जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। केन्द्र सरकार के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को घरेलू जल संबंध द्वारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

उक्त कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (एस.एल.एस.सी.सी.) की दिनांक 26.12.2019 को आयोजित 19वीं बैठक में निम्नानुसार वर्णित प्रस्तावों की स्वीकृति जारी की गई है:-

(क) 10 पूर्ण/प्रगतिरत वृहत् पेयजल परियोजनाओं हेतु राशि रुपये 4550.93 करोड़ की संशोधित स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(ख) 3 नवीन वृहत् पेयजल परियोजनाओं हेतु राशि रुपये 4391.70 करोड़ की स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(ग) प्रस्तावित 11 वृहत् पेयजल परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के कार्य हेतु राशि रुपये 16.68 करोड़ की स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(घ) उक्त वृहत् पेयजल परियोजनाओं के अतिरिक्त 139 एकल/क्षेत्रीय ग्रामीण जल योजनाएं, 1414 सोलर डी.एफ.यू. एवं 772 आर.ओ. संयंत्र आधारित योजनाओं हेतु राशि रुपये

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

1135.49 करोड़ की स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

उक्त समस्त स्वीकृतियों अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के 8.6 लाख घरों को घरेलू जल संबंधों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर को घरेलू जल संबंध के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक आकलन के अनुसार अनुमानित राशि रुपये 125-150 हजार करोड़ की आवश्यकता रहेगी।

केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उक्त कार्यक्रम की समयबद्ध एवं पूर्ण क्रियान्विति संभव हो सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने यह असेसमेंट किया है कि अण्डरग्राउण्ड वाटर से कितने आदमियों को घर का कनेक्शन देंगे और सरफेस वाटर से कितने आदमियों को कनेक्शन देंगे? राजस्थान में अण्डरग्राउण्ड वाटर के आधार पर यदि आप लोगों को कनेक्शन देंगे तो वहां का वाटर टेबल नीचे जाएगा और वहां कनेक्शन होने के बावजूद भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। क्या सरकार के पास यह आंकड़ा है कि हम जितने लोगों को डोमेस्टिक कनेक्शन दे रहे हैं, उनका कितना पानी ड्राव्ल हो रहा है और आने वाले समय में कितना पानी नीचे जाने के बाद उनका रिक्वायरमेंट होगा? इसको चार्ज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सरफेस वाटर जो है, राजस्थान में जो ईरेटिक रेन्स होती है, उसमें सरफेस वाटर, जैसे आज बीसलपुर पूरा भर गया, अगले चार साल में बीसलपुर में पानी नहीं रहेगा, तो बीसलपुर पर सरफेस वाटर के आधार पर जो आप स्कीम बना रहे हो, उसको सस्टेन करने के लिए सरफेस वाटर यदि अवेलेबल नहीं होगा तो जो आप कनेक्शन लोगों को दे रहे हैं, जो भारत सरकार की मंशा है तो क्या भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि जिस राजस्थान में अण्डरग्राउण्ड वाटर के आधार पर पानी के कनेक्शन कुएं पर हैं उसको चार्ज करने के लिए पैसा अलग से दें और सरफेस वाटर के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है? क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार से चर्चा की गई है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न बहुत मौजूं हैं। हमारे यहां राजस्थान में जनसंख्या के अनुपात में मात्र 1.01 परसेंट सरफेस वाटर है। इसी के कारण हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो 37200 करोड़ रुपये की है। इसमें 14 जिलों के गांवों को पानी उपलब्ध होगा और अभी हाल ही में जयपुर में जल संसाधन मंत्रीजी आए थे, उनके सामने विस्तार से इस योजना के बारे में हमने जिक्र किया था और उनसे हमने कहा था कि राजस्थान को जब तक सरफेस वाटर नहीं मिलेगा, डार्क जोन विकसित होते जाएंगे इसलिए उन्होंने भी यह बात कही कि हमारी सरकार की यह योजना है कि हम नदियों को जोड़ें। नदियों को जोड़ने में हमने कहा कि सबसे बड़ा काम यही है।

दूसरा यह है कि बीसलपुर को यदि ब्राह्मणी नदी से हम जोड़ दें तो चम्बल का पानी भैंसरोडगढ़ से 113 किलोमीटर दूर यहां पर आएगा और बीसलपुर में कभी पानी की कमी नहीं रहेगी। इससे न केवल टोंक बल्कि सवाई माधोपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और इसके साथ-साथ नागौर के कुछ गांवों तक को हम पानी दे पाएंगे। ऐसी अनेक योजनाएं जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली तक पानी पहुंचाने की हमारी राजीव गांधी थर्ड फेज की जो योजना है उसमें भी सरफेस वाटर के माध्यम से यमुना का फ्लड का पानी है वह झुंझुनूं में और शेखावाटी के इलाके में लाने के लिए भी हमने योजनाएं बनाकर भेजी हुई हैं। उसमें हरियाणा कुछ सैटल कर रहा है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसमें बीच बचाव करके यमुना का फ्लड वाटर, एक्सेस वाटर को देने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी नजर इस पर है कि हम ज्यादा से ज्यादा सरफेस वाटर को यहां पर पहुंचाने की कोशिश करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर आज माननीय कटारियाजी, प्रतिपक्ष के नेता होते तो मैं उनसे आग्रह करता कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जहां पर पक्ष और प्रतिपक्ष ऐसा है कि जो उन्होंने धार लिया वह वह करेंगे और जो हमने धार लिया वह हम करेंगे। कुछ ऐसे राजस्थान के हितों के मामले में पक्ष और प्रतिपक्ष को अपनी सीमाओं को छोड़कर राजस्थान के हित में क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, 2013 से पहले राजस्थान को पानी की योजनाओं में 90 परसेंट हिस्सा मिलता था। हमें चाहिए कि सारा सदन मिलकर भारत सरकार से अनुरोध करे कि हमारी यह जो जल मिशन योजना है, इसमें 50 परसेंट पैसा केन्द्र और 50 परसेंट पैसा राज्य को देना होगा। आप समझिए,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

यह हरक्युलिअन टास्क है। 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये 4 वर्ष में कहां से आएंगे? राजस्थान को करीब 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान केवल इस जल मिशन योजना के लिये रखना पड़ेगा।

पहाड़ों में जहां पानी है, वहां तो भारत सरकार 90 परसेंट एड दे रही है और जहां रेगिस्तान में पानी नहीं है, हमारे अरावली का जो पहाड़ी एरिया है जहां पानी नहीं है, वहां पर 50 परसेंट पैसा देना, मैं समझता हूं कि इस क्राइटेरिया को बदलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से विपक्ष से आग्रह करना चाहूंगा कि वे भी चिट्ठियां लिखें। हम भी आग्रह कर रहे हैं। यह क्राइटेरिया जब बदल जाएगा तो निश्चित रूप से यह योजना पूरी हो जाएगी और आपकी मंशा के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा इलाकों में हम सरफेस वाटर दे पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि झुंझुनूं जिले के पिलानी विधान सभा क्षेत्र में मैंने मंत्री महोदय के माध्यम से प्रयास किया है कि चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल का पानी पिलानी विधान सभा क्षेत्र में आये। पिलानी में अंडरग्राउण्ड वाटर बहुत नीचे जा चुका है और 2025 के बाद ऐसा लगता है कि पीने को पानी उपलब्ध ही नहीं होगा। चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल का पानी हमें नहीं मिला और जो नया जल जीवन मिशन है, उसके माध्यम से क्या पिलानी विधान सभा क्षेत्र को भी अतिशीघ्र पानी उपलब्ध कराने की राज्य सरकार मंशा रखती है? यदि हां, तो माननीय मंत्री महोदय की क्या योजना है, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी स्पेसिफिक योजना के बारे में तो मैं नहीं बता पाउंगा, लेकिन यह निश्चित बात है कि शेखावाटी इलाके को यमुना का जो फ्लड वाटर है, वह अगर उपलब्ध होगा तो उसमें प्राय: प्राय: शेखावाटी का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। कुम्भाराम जी के नाम से जो नहर है, उसे दे सकते हैं या नहीं, इसे मैं दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीरसिंह जी।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पाली जिले में जवाई पेयजल योजना जो लागू की गयी है, 2 वर्ष पूर्व अकाल की स्थिति थी, पानी नहीं आ पाया, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद में अच्छी बारिश हुई है..

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई जनरल प्रश्न हो तो बताएं।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सर, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि जवाई बांध के पुनर्भरण के लिये क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार से आग्रह करेगी?

श्री अध्यक्ष: खुशवीर जी, स्पेसिफिक प्रश्न नहीं, सिर्फ जनरल प्रश्न। श्री राजकुमार गौड़।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में जो अलग-अलग छोटे-छोटे गांवों में ढाणियां बसी हुई हैं, उनमें भी आपकी पानी देने की कोई योजना है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें आप। स्पेसिफिक प्रश्न नहीं। गलत परम्परा हो जाएगी। माननीय सदस्य, बैठें। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

इंदिरा गांधी कैनाल इर्रिगेशन परपज के लिये बनायी गयी और इर्रिगेशन का वह परपज डिफीट हो गया। अब इंदिरा गांधी कैनाल केवल ड्रिंकिंग वाटर के लिये केटर कर रही है तो हम जितनी योजनाएं बना रहे हैं, क्या वे इर्रिगेशन के लिये बना रहे हैं या पीने के पानी के लिये बना रहे हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जब बनी थी, उसमें इर्रिगेशन और पेयजल दोनों सम्मिलित थे। शुरू-शुरू में इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो पोंग डैम से चलकर रामगढ़ तक आती थी, लेकिन फिर इसका विस्तार गडरा रोड तक किया गया। उसका कारण यह था कि हमारे यहां लगातार अकाल पड़ता रहता है और उसके कारण पीने के पानी की प्राथमिकता सबसे ज्यादा रहती है। अभी भी मैं तो यह कहता हूं कि हमारे यहां किसान जो है, वह फ्लड इर्रिगेशन करता है यानी वह देखता है कि पानी ज्यादा देंगे तो फसल ज्यादा होगी, जबकि इजरायली पद्धति से खेती होती, ड्रिप इर्रिगेशन, फव्वारा इर्रिगेशन से खेती होती तो पानी की खूब बचत होती। हमारी कैनाल का जो फर्स्ट स्टेज है, वहां हम पानी की मात्रा ज्यादा देते हैं, सैकण्ड स्टेज में कम देते हैं। इसके बावजूद भी पेयजल जो है, वह अगर हम नहीं देते तो डैजर्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स प्यासे रह जाते। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास पानी उपलब्ध है और जो लोंगेवाला समझौता हुआ, उसमें उनको 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी और मिला, उसका हम पेयजल के लिये अधिक से अधिक उपयोग करना चाह

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

रहे हैं। उसी के कारण आप देख रहे हैं कि चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तक इसका पानी जा रहा है और इससे डैजर्ट के इलाके के लोगों की प्यास बुझ रही है। इर्रिगेशन में कहीं कोई कटौती नहीं की गयी है, बल्कि आज भी यदि हम फव्वारा पद्धति और ड्रिप इर्रिगेशन के माध्यम से खेती करें तो पानी की और अधिक बचत हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि यमुना के फ्लड के पानी से हम झुंझुनूं जिले को जोड़ेंगे। माननीय मंत्री महोदय, दौसा तक आप जोड़ रहे हैं बनास से और झुंझुनूं में ले जा रहे हैं यमुना को जयपुर ग्रामीण में। पेयजल के बहुत बुरे हालात हैं। विराटनगर, शाहपुरा, कोटपूतली, जमवारामगढ़ इन सभी में बहुत बुरे हालात हैं। रामगढ़ बांध जो कभी जयपुर की लाइफलाइन हुआ करता था, उसे भी बनास से जोड़ने का क्या राज्य सरकार विचार रखती है या यमुना के फ्लड के पानी से जयपुर ग्रामीण के बांधों को भी भरने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न भी स्पेसिफिक है। अगला प्रश्न, श्री महेन्द्र बिश्नोई।

लूणी में जेडीए द्वारा पट्टा देने की योजना

30. श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): क्या स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणी में जोधपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में प्राधिकरण की भूमि पर वर्षों से निवासरत लोगों को पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): जी हां। जोधपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्रामों में प्राधिकरण की भूमि पर वर्षों से निवासरत लोगों को पट्टे देने की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित दिशा-निर्देशों में वर्णित प्रावधानों, मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय उपयोग, सड़क चौड़ाई के मापदण्डों, प्रतिबंधित भूमियों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के प्रकरण में जारी दिशा-निर्देशों/निर्णय की पालना सुनिश्चित

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

करते हुए आवासीय निर्माणों का प्रकरणवार परीक्षण करने के उपरान्त नियमन किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की गई है। इसमें प्रार्थना की गई है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसमें पट्टा देने की कार्यवाही व अन्य कई कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गयी है, को निरस्त किया जाए। इस एस.एल.पी. के निर्णय के उपरांत ही राज्य सरकार पट्टे वितरित करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में हमारे विवेक विहार और जो कुछ हिस्से हैं लूणी के जो कि गांवों में आते हैं, उनमें जेडीए द्वारा नोटिस दिये जा रहे हैं कि आप अपना अतिक्रमण हटाएं। उनसे कहा जा रहा है कि जमीन के ऊपर जिस प्रकार विवेक विहार बसा था, जब आपने विवेक विहार को एक्वायर किया था, उसी समय वे लोग वहां रह रहे थे, उन्हें 50-50 गज के प्लाट देने की बात कही गयी थी, पर वे आज तक नहीं दिये गये हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का सवाल है कि लूणी के 294 गांवों में अतिक्रमणों को हटाने के लिये जो नोटिस दिये गये हैं, यह बात सही है। अगर कहीं अतिक्रमण दिखेगा तो निश्चित तौर पर नगरीय निकाय अतिक्रमणों को हटाने का नोटिस देते हैं। सवाल इस बात का है कि जो 50 गज का पट्टा देने वाली बात थी, वह पहले थी। उसके बाद तो उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा गुलाब कोठारी के केस का फैसला आ गया। उससे यह पाबंदी लग गयी कि आप वहां पर पट्टा नहीं दे सकते। जो अतिक्रमण हैं, उन्हें कम्पाउण्ड भी नहीं कर सकते। इस तरह की कई पाबंदियां लग गयीं। उसके लिये मैंने पहले भी निवेदन किया है कि हमने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी लगा रखी है। उस एसएलपी के निर्णय का इंतजार है। उसके बाद ही सरकार कुछ इस पर विचार कर सकती है।

नीयत हमारी यह है कि 17.06.1999 के पहले भी हमने जितनी भी कालोनीज थीं, उन्हें रैगुलराइज किया। इसके बाद 2012 और 2013 में हमने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पूरे राजस्थान प्रदेश में लाखों पट्टे बांटे। नीयत हमारी यह है कि हम उन सबको बसाएं, किसी को उजड़ने न दें। अगर छोटा-मोटा अतिक्रमण उसने कहीं कर रखा है या किसी प्रकार का उसने कोई अवैध निर्माण कर रखा है तो उसका भी नियमन किया जाए। उसके लिये भी कम्पाउण्डिंग के रूल्स बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के इस फैसले की वजह से सारा काम रुका पड़ा है, इसलिये इंतजार तो करना पड़ेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन है कि जरा तसल्ली रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बताया कि एसएलपी दायर है और मैं भी मानता हूं कि समस्या है। गांवों में जो खेल मैदान हैं, हास्पिटल, श्मशान की भूमि, पंचायत भवन के लिए जमीन की जो आवश्यकता होती है उसके लिए भी काफी समय तक जयपुर के अन्दर लम्बित रहते हैं। जो विकास प्राधिकरण अभी बना है तो या तो आप गांवों के अन्दर सर्वे करवाएं कि वहां पर जो श्मशान है वह श्मशान हो, गांव में खेल मैदान हो। गांवों में जिस प्रकार से पार्क भी बने हुए हैं तो उन जगहों को अलाट किया जा रहा है जिससे बाद में उनमें समस्याएं आती हैं। गांव वाले सब इकट्ठा होकर आते हैं और कहते हैं कि इसमें जो पार्क हैं वे नहीं तोड़े जाएं। जब हम जोधपुर में बात करते हैं तो वे कहते हैं कि जयपुर से अलाटमेंट हो रहा है और दिक्कत आ रही है इसलिए आप पहले सर्वे करवा लें कि वहां पर क्या चीज है। यह मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ठीक बात है, अध्यक्ष महोदय, इस बात का सर्वे करवा लेंगे। जहां तक खेल के मैदान का सवाल है या श्मशानों का सवाल है वहां पर कोई समस्या नहीं है। अगर गांव वालों से किसी प्रकार का विवाद है तो बैठकर बात की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 31.

नवीन पशु उप केन्द्रों हेतु आबंटित राशि

31. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पशु उप केन्द्र खोलने के लिए वर्ष 2019 में प्रस्ताव तैयार किये गए हैं? यदि हां, तो वर्ष 2019-20 में प्रदेश की

(श्री रामलाल शर्मा)
किन-किन ग्राम पंचायतों में पशु उप केन्द्र खोले गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पशु उप केन्द्र खोलने के लिए कोई मानदण्ड तय किए गए हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2019-20 में खोले गए पशु उप केन्द्र के लिए सरकार द्वारा बजट राशि भी आबंटित की गई है? यदि हां, तो प्रदेश में उक्त अवधि में कितनी राशि आबंटित की गई तथा अब तक कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। वर्ष 2019-20 में बजट घोषणा अन्तर्गत 400 पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं, जिसके तहत वर्तमान में 226 पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के मानदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) वित्तीय वर्ष 2019-20 में नव स्वीकृत पशु चिकित्सा उप केन्द्रों के अक्रियाशील होने के कारण बजट आबंटन/व्यय नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32.

पाली जिले के अन्तर्गत डीएमएफटी विकास कार्यों हेतु व्यय राशि

32. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में डीएमएफटी के अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में कितनी-कितनी राशि जमा हुई एवं उक्त वर्षों में किस-किस मद में, किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस विधान सभा क्षेत्र में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त जिले में डीएमएफटी के अंतर्गत कितनी राशि जमा है? क्या डीएमएफटी के अंतर्गत जमा राशि का प्रतिवर्ष विकास कार्यों हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो जनवरी, 2019 के पश्चात् जिले में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में, किस-किस मद में, किस-किस कार्य हेतु, कितनी-कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया) : (1) पाली जिले में डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में जमा हुई राशि एवं उक्त वर्षों में विधान सभा क्षेत्रवार, मदवार व कार्यवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में पाली जिले में डी.एम.एफ.टी. के अंतर्गत रुपये 110.35 करोड़ जमा है। डी.एम.एफ.टी. के अंतर्गत जमा राशि का विकास कार्यों हेतु व्यय गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन पश्चात् राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट रूल्स, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। जनवरी, 2019 के पश्चात् पाली जिले में विधान सभा क्षेत्रवार, मदवार व कार्यवार स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33.

उदयपुर ग्रामीण में राशन की दुकानों का आबंटन

33. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितनी राशन की दुकानें स्वीकृत व कितनी दुकानें आबंटित नहीं की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त दुकानों को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कुल 88 उचित मूल्य दुकानें स्वीकृत हैं। इनमें से 14 उचित मूल्य दुकानें अनाबंटित हैं। सूची क्रमशः परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। नई उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन का कार्य शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री विजयपाल मिर्धा।

नागौर-वाया बूटाटी-जयपुर रोडवेज बसों का पुनः संचालन

34. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री विजयपाल मिर्धा)

(1) क्या यह सही है कि नागौर से वाया बूटाटी, मेड़ता, अजमेर होकर जयपुर चलने वाली रोडवेज बसों को बंद किया गया है? यदि हां, तो कब से एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग पर चलने वाली बसों को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। शीतकालीन समय-सारिणी, 2019 बनाते समय Multiple Trips से व्यय को बचाने हेतु री-शिड्यूलिंग के तहत राजस्थान परिवहन निगम वाहनों की अजमेर जयपुर मार्ग पर समानान्तर सेवाओं को कम करने हेतु नागौर से जयपुर वाया बूटाटी, मेड़ता, अजमेर चलने वाली तीन निगम बसों का अजमेर से जयपुर तक दिनांक 20.10.19 से संचालन बंद किया गया था।

(2) जी हां। जन प्रतिनिधियों की मांग पर नागौर से वाया बूटाटी, मेड़ता, अजमेर होकर जयपुर चलने वाली उक्त तीनों रोडवेज बसों को पूर्व की भांति आदेश क्रमांक 31 दिनांक 30.01.2020 के द्वारा नागौर से जयपुर निम्न समय-सारिणी अनुसार पुन: संचालित कर दिया गया है:-

क सं.	**नागौर से प्रस्थान समय**	**अजमेर से प्रस्थान समय**	**जयपुर से प्रस्थान समय**
1.	06.00	10.30	13.00/14.15
2.	12.45	17.05	19.40/20.30
3.	15.15	19.40	22.20/05.15

बाकी माननीय सदस्य की और कोई प्राब्लम है तो माननीय सदस्य मेरे से मिल लेंगे। अभी हमारी 876 नई बसें आ रही हैं और 76 बसें आ गई है तो बाकी और भी सदस्य चाहेंगे तो रोडवेज की जो बसें नई आ रही है, वे चालू कर देंगे, बता देना।

श्री अध्यक्ष: अमीन साहब, आप बैठें एक मिनट। अमीन साहब, बैठें। अंकित नहीं होगा। अमीन साहब, बैठें। श्री विजयपाल।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि बूटाटी एकमात्र विश्व में ऐसा मंदिर है जहां पर पैरालाइसिस का इलाज होता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि

(श्री विजयपाल मिर्धा)

पहले भी दो बार इन बसों का संचालन बन्द हो चुका है और दुबारा ऐसा न हो, यही निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ठीक कहा है। बूटाटी में पूरे राजस्थान से लोग जाते हैं और उनका वहां पर इलाज सम्भव होता है, मैं इस बात को समझता हूं। मैंने उनको ताकीद कर दिया है, स्ट्रिक्टली कहा है रोडवेज प्रशासन के अधिकारियों से कि बूटाटी जाने वाली बसें राजस्थान में जहां से भी जुड़ी है वहां से बंद होंगी और बूटाटी जाएगी। माननीय सदस्य अमीन खां जी ने जो कहा है तो नई बसें आ गई हैं। मैं सदन में आपको सूचित कर रहा हूं कि जहां-जहां बसें रोकी गई थीं वे विदिन थ्री डेज चालू कर दी जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: अमीन साहब, पूछना है? विजयपाल जी।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और जो नई बसें सरकार के पास आई हैं, उम्मीद है जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं उनके यहां पर बराबर बसों का संचालन होगा। इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अमीन साहब, पूछना है कुछ?

श्री अमीन खां (शिव): जयपुर से गडरा रोड वोल्वो बस चलती थी वह बन्द कर दी गई है। दस बार मैंने मंत्री जी से कहा है। इन्होंने कहा कि आदेश कर दिया है। मैं याद दिलाना चाहता था कि आज तक भी आदेश नहीं हुआ।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अमीन खां साहब हमारे सीनियर सदस्य हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और आपके यहां पर तो मेरा ससुराल है तो मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो वहां का जंवाई हूं। आप निश्चित रहिये, मैं अमीन खां जी की भावनाओं को समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज ही सब अधिकारियों को बुलाकर आपकी सारी शिकायत दूर करूंगा और जितनी बसें चलानी हैं, सब बसें चलाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में भी कई रूट पर चलने वाली रोडवेज की बसें बन्द कर दी गई हैं। मंत्री जी आज कुछ उदार

(श्री बलजीत यादव)

दिख रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बहरोड़ में कुछ नई बसें चलाएंगे और नई बसों में से बसें देंगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बलजीत यादव जी मेरे छोटे भाई हैं और यूनिवर्सिटी में मुझे अध्यक्ष बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। आज आपसे भी डन हो गई है। बहरोड़ से जाने वाली जो भी बसें बन्द हो गई हैं वे सब चालू करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: शकुन्तला जी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्मानननीय अध्यक्ष महोदय, अब मंत्री जी इतने बन ही रहे हैं तो हमारे वहां सड़क बन गई है, बहुत अच्छी डबल रोड बन गई है जिसके लिए अपनी सरकार को, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देंगे। जो हरसौरा रूट है बहरोड़ रोड से, आलनपुर, हरसौरा, गूंता सापुर, बानसूर, नारायणपुर और फिर वाया नीमूचाणा होकर क्योंकि थानागाजी, कोटपूतली, बहरोड़ ये सब मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगते हुए क्षेत्र हैं इसलिए अनुरोध करेंगे। जीपों में आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और जीपें बहुत भरकर जाती हैं इसलिए बस लगाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: हो गया प्रश्न। कृष्णा जी।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पहले भी निवेदन कर चुकी हूं और आज पूछना चाहूंगी कि सरदारशहर से राजगढ़ होते हुए हरियाणा-भिवाड़ी .....

श्री अध्यक्ष: सब माननीय सदस्य व्यक्तिगत पूछेंगे तो प्रश्न का उत्तर कैसे आएगा।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): यह बस से सम्बन्धित है कि उस रूट पर अभी तक कभी भी रोडवेज की बसें नहीं चलीं, आपसे मैंने आग्रह किया था।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न के सन्दर्भ में ही सप्लीमेंट्री पूछें। माननीय मंत्री जी। प्लीज।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सब माननीय सदस्यों का कहना बिल्कुल सही है और यह चुनाव से पहले से ही प्राब्लम चल रही थी। मैं और पायलट साहब रोडवेज बस स्टैण्ड पर गये थे जब इनका आंदोलन चल रहा था। अध्यक्ष जी, उसके बाद अभी रोडवेज में

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)
876 बसें आ रही हैं, 76 आ गई हैं और हमारा यह वादा था कि आजादी के बाद पहली बार 876 नई बसें रोडवेज ले रहा है, यह बड़ी बात है। ये 876 बसें तो नई ला रहे हैं, इसके अलावा 50 बसें हम इलेक्ट्रिक लेकर आ रहे हैं। मैं आप सबसे प्रोमिस करता हूं, आप सब मेरे साथ बैठ जाना। राजस्थान में रोडवेज बसें भी चलाएंगे और ग्रामीण परिवहन बस सेवा की भी पूरी तैयारी है, वह भी आपके साथ बैठकर चालू कर देंगे। आपसे प्रोमिस करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। गिरधारीलाल।

माणकरासर (श्रीडूंगरगढ़) के निजी विद्यालय के विरुद्ध शिकायत

35. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि श्रीडूंगरगढ़ तहसील के माणकरासर गांव में स्वामी विवेकानन्द उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से निजी स्कूल संचालित है?

(2) क्या माणकरासर गांव में संचालित उक्त निजी स्कूल के पास 12वीं तक की मान्यता है? यदि हां, तो मान्यता की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त निजी स्कूल के विरुद्ध जिला कलेक्टर, बीकानेर को कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। माणकरासर गांव में स्वामी विवेकानन्द उच्च माध्यमिक विद्यालय नाम से विभाग में मान्यता प्राप्त कोई भी विद्यालय संचालित नहीं है।

(3) जी हां। जिला कलेक्टर, बीकानेर एवं निदेशालय को प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रकरण की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से जांच करायी गई। स्वामी श्री विवेकानन्द आदर्श शिक्षण संस्थान, माणकरासर की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, लम्बे समय से वहां पर ग्रामीणों की शिकायत चल रही है। 50 हजार रुपये वसूल करने का परिशिष्ट में दिया है तो क्या विभाग ने 50 हजार रुपये उस विद्यालय से वसूल कर लिये हैं? जो विद्यार्थी उस विद्यालय में अध्ययनरत थे, डमी थे, उनको क्या दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया गया है? जो अवैध बसें चल रही रही थीं, क्या उनका चालान किया गया है? क्या उनको रोका गया है? क्या जो स्टाफ अवैध विद्यालय चला रहा था उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? कब की गई या नहीं की गई तो बताएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने 8 फरवरी, 2020 को यह आदेश कर दिये हैं कि उनकी बसें भी जब्त की जाएं, एफआईआर भी लॉज की जाए। जो रजिस्ट्रेशन है, उसको निरस्त करने की कार्यवाही की जाए और 50 हजार रुपये का जो कानून में प्रावधान है, वह भी वसूल करने की कार्यवाही की जाए। ये प्रतिलिपि भी मैंने संलग्न की है। इसमें सारी चीजें हैं कि जिस-जिस डिपार्टमेंट्स के हिसाब से, जिसका जो बनता है, उस हिसाब से उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

गणेशी राम मेघवाल, श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री गणेशी राम मेघवाल के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री गणेशी राम मेघवाल का जन्म 5 जनवरी, 1940 को जालौर जिले के रामसिंह ग्राम में हुआ। आपने अजमेर विश्वविद्यालय से एमए तथा दरभंगा विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र की उपाधियां प्राप्त कीं। श्री गणेशी राम मेघवाल 11वीं राजस्थान विधान सभा में जालौर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। शिक्षा के प्रसार के लिए

(श्री अध्यक्ष)

समर्पित रहे श्री मेघवाल ने अध्यापक, प्रधानाध्यापक, उप जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं प्रिंसिपल के पदों पर कार्य किया। श्री गणेशी राम मेघवाल का दिनांक 9 फरवरी, 2020 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

अनुपस्थिति अनुमति

परसराम मोरदिया, श्री, सदस्य को दिनांक 10 फरवरी, 2020 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 10 फरवरी, 2020 से सत्रांत तक सदन की बैठकों में अनुपस्थिति रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी। दिनांक 11 फरवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुईः-

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा संभाग में किसानों को सर्दी के मौसम में दिन की बजाय रात्रि में सिंचाई हेतु बिजली दिये जाने से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से प्रदेश में नवजीवन क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि. द्वारा निवेशकों की लगभग 450 करोड़ की राशि नहीं लौटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री अविनाश, सदस्य एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण की सेन्दड़ा ग्राम पंचायत के धौलिया ग्राम में जंगली जानवरों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से गांव गुडा अखैराज थाना देसूरी में दिनदहाड़े दलित लड़की का अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य एवं नौ अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में व्याप्त पेयजल की भीषण समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य एवं सत्रह अन्य सदस्यों की ओर से सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा नियमों के विपरीत नमक की क्यारियां आवंटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में पकती फसल के बीच में ही कृषि कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्रीमती चंद्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के कल्याणी खेड़ा गांव में जंगली जानवरों द्वारा 40 भेड़ों को घायल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के नेतरा गांव निवासी गुमशुदा मनोहर राजपुरोहित के 39 माह बीत जाने के बाद भी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से चौमूं-दूदू मेगा हाईवे के अधूरे पड़े कार्य से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा विद्यालय के बिजली, पानी आदि के बिल जमा

(श्री अध्यक्ष)

कराये जाने हेतु स्थानीय निवासियों पर दबाव बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के भदेसर चौराहे से राष्ट्रीय राजमार्ग-76 को जाने वाले सड़क का निर्माण कार्य बजट के अभाव में रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में अनुशंसित कार्यों की स्वीकृतियां समय पर जारी न होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा नियमों के विपरीत नमक की क्यारियां आबंटित किये जाने से पक्षियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में म. प. 02.00 बजे राज्य सरकार की ओर से माननीय वन मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

(14) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से प्रदेश में खाद्य सामग्री व दवाइयों में प्रतिदिन हो रही मिलावट से उत्पन्न जन संकट की स्थिति के संबंध में।

(15) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से जालौर जिले में स्वीकृत नर्मदा पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली जिले के गांव नारलाई के पास 09 दिसम्बर, 2019 को संदिग्ध हालत में मिले अनुसूचित जाति की महिला गवरा के शव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अशोक लाहोटी, श्री छगनसिंह एवं श्री ज्ञानचंद पारख को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से राजस्थान रोडवेज के अजमेर केन्द्रीय वर्कशाप को रिपेयरिंग का सामान न मिलने से हो रही परेशानी के संबंध में।

(2) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में बिना सीवरेज लाइन डाले वसूले जा रहे सीवरेज चार्ज पर रोक लगाने व वसूली गई राशि वापस लौटाये जाने के संबंध में।

(3) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा तहसीलदार द्वारा भ्रष्टाचार कर नियम विरुद्ध नक्शा तरमीम किये जाने के संबंध में।

(4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा विधि संकाय में Ph.D. करने हेतु आयोजित M.P.E.T. परीक्षा 2019 के सफल अभ्यर्थियों की सूचना उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री पानाचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से बारां शहर में लंबे समय से बसी हुई कच्ची बस्तियों का नियमन किये जाने के संबंध में।

(6) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में मनरेगा के तहत बनाये गये पानी के पक्के टांकों के लिए रास्ता न होने से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(7) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन के मातृकुण्डिया के राजकीय विद्यालय हेतु भूमि आबंटित किये जाने के संबंध में।

(8) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के देसूरी में संचालित ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट को स्थाई किये जाने के संबंध में।

(9) श्री रामप्रसाद, सदस्य की ओर से आदिवासी क्षेत्र में छोटे बच्चों की तस्करी पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

(10) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से प्रदेश में शिक्षक भर्ती लेवल-प्रथम, 2018 में रिक्त 1167 पदों पर रिट पिटीशन दायर करने वाले छात्रों को नियुक्ति दिये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए 70 दिनों की नहर बंदी को 40 दिन किये जाने के संबंध में।

(12) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में बन्द पड़ी जवाई जल परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ करवाये जाने के संबंध में।

(13) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में चम्बल व मेज नदी में आई बाढ़ से ध्वस्त हुए मकानों तथा क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(14) श्री राजकुमार गौड़, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में किन्नू वैक्सिंग प्लांट स्थापित किये जाने के संबंध में।

(15) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में भूमि के उत्तराधिकार के नामान्तरणकरण के नियम स्पष्ट नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 11 फरवरी, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 26 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	नाम मा. विधायक	विषय
1.	श्री अमृत लाल मीणा	विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों को वन क्षेत्र में आने से NOC नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2.	श्री पब्बाराम बिश्नोई	फलौदी शहर में मल जल निकासी हेतु सीवरेज पाइपलाइन डाले जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

क्र.सं.	नाम मा. विधायक	विषय
3.	श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर)	नव निर्वाचित अनुसूचित जाति/जनजाति के सरपंचों को पदभार ग्रहण नहीं करने देने के संबंध में।
4.	श्री नरेन्द्र नागर	खानपुर विधान सभा क्षेत्र में गत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री अशोक लाहोटी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

खाद्य सामग्री व दवाइयों में मिलावट

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही मार्मिक विषय है और मानव जीवन के लिए आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। मिलावट आज एक भयंकर समस्या बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई है। आज खाने-पीने की चीज लो, आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध, घी, पनीर, सब्जियां, मसाले तक भी यदि हम कोई भी सामान लेते हैं बाजार से तो किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वह शुद्ध है या उसमें कितनी मिलावट है। हम नित्य प्रतिदिन समाचारों के माध्यम से भी देख रहे हैं और कहीं-कहीं पर कभी-कभी सरकार की चिंता भी दिखती है कि मिलावट एक गंभीर समस्या हमारे सामने आ गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए इससे भी बड़ा चिंता का विषय यह है कि राजस्थान प्रदेश मिलावट में दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और कभी हम बहुत पीछे हुआ करते थे आज पूरे देश भर में हम नौवें स्थान पर आ गए हैं मिलावट में। यह हमारे लिए बड़ा चिंताजनक विषय है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, डब्ल्यूएचओ का जो अभी सर्वे आया है उस सर्वे में 2025 में होने वाली सभी बीमारियों में लगभग 60% बीमारियां केवल कैंसर की होने वाली हैं। यह डब्ल्यूएचओ का नया रिसर्च आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह जनता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है और अभी आपने

(श्री अशोक लाहोटी)

कल-परसों देखा कि अमूल और सरस के दूध में भी मिलावट पकड़ी जा रही है। 3-3 हजार लीटर दूध मिलावटी एक साथ पकड़े जा रहे हैं। मैं आपसे यह कहूंगा कि मिलावट की इस कार्यवाही को किसी प्रकार से रोकें और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष महोदय, 5760 मिलावट के सैंपल पकड़े गए पिछले साल और उसमें से 208 सैंपल, यह आन रिकार्ड है अध्यक्ष महोदय, कि 208 सैंपल तो वह थे जो अनसेफ मिले। अध्यक्ष महोदय, एक भी सैंपल अनसेफ नहीं मिल सकता। 208 सैंपल अनसेफ मिले हैं यह हमारी प्रयोगशालाओं पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस मामले में मांग करता हूं, मैं धन्यवाद भी दूंगा मीडिया के लोगों को कि जो लगातार सरकार से ज्यादा हमको चिंतित होकर प्रतिदिन अखबार में हमको किसी न किसी न्यूज़पेपर में इन चीजों का पढ़ने को मिलता है कि कितनी भारी मात्रा में मिलावट हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। दो चीजें मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि एक तो हर ब्लाक स्तर पर नई प्रयोगशालाएं खोली जाएं, क्योंकि जितने सैंपल पकड़ में आ रहे हैं, प्रयोगशालाओं तक पहुंचतेपहुंचते या तो वह सैंपल रिटायर हो जाते हैं या सैंपल को ठीक प्रकार से पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक भी अपराधी को मिलावट के मामले में सजा नहीं मिली है। यह सीधा-सीधा हत्या का मामला है। हत्या के प्रयासों में अटैम्प्ट टू मर्डर में इसका मुकदमा दर्ज हो। जो पहली बार पकड़ा जाए, उसको 7 साल की सजा हो और जो दूसरी बार मिलावट करता हुआ पकड़ा जाए यदि वह खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट है और उससे यदि जीवन मूल्यों को हानि हो रही है तो उसको अटैम्प्ट टू मर्डर में आजीवन कारावास की सजा देने का राज्य सरकार प्रावधान करे और राजस्थान सहित पूरे देश में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करे और लोगों को इस मिलावट से बचाए। यही आपसे निवेदन है। बहुतबहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: नो, नोट अलाउड। प्लीज। श्री छगनसिंह।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जवाब दिलवाएं, साहब। मंत्री जी बैठे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठें। आप नियम को नहीं तोड़ें। प्लीज बैठें आप। माननीय छगनसिंह जी।

जालौर जिले में स्वीकृत नर्मदा पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ किया जाना

श्री छगनसिंह (आहोर): बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले की बात है। जालौर जिले में पेयजल की बहुत ही भारी समस्या है। भारी समस्या को देखकर नर्मदा प्रोजेक्ट तैयार किया गया। उसमें एआर, ईआर, एफआर, डीआर जैसे प्रोजेक्ट बनाए गए। उनके मेन प्रोजेक्ट भी बनाए गए और क्लस्टर भी बनाए गए। उसमें से एक ईआर प्रोजेक्ट है, ईआर प्रोजेक्ट का मैन प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन उसका क्लस्टर नहीं बना है जिससे भीनमाल, जालौर, सांचौर और मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र के करीब 250 गांवों में पेयजल इस ईआर प्रोजेक्ट के क्लस्टर से हो सकता है। अगर आप इस बजट सत्र में, माननीय मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी भी विराजे हुए हैं। मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि इस ईआर क्लस्टर को सैंक्शन करके पूरे जालौर जिले की समस्या को समाप्त करें, क्योंकि अन्य स्रोत वहां पर नहीं हैं जैसे मेरे बागरा, सियाणा, आकोली, डूडसी, कांदर, रायपुरिया ऐसे स्थान हैं जहां पर कोई जल स्रोत नहीं है। वहां पर नदियां भी नहीं हैं। कुए में भी पानी नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि आप इस बजट सत्र में ईआर प्रोजेक्ट क्लस्टर को सैंक्शन करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद जी पारख।

पाली जिले के गांव नारलाई के पास संदिग्ध हालत में बरामद महिला का शव

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत कैसी हो गई, आप कोई अखबार उठा कर देख लो, हत्या, लूट, बलात्कार के एक नहीं, अनेक प्रकरण रोज पढ़ने को मिलते हैं और आश्चर्य की बात है कि अपराध होने के बाद में अपराधी को पकड़ना भी आपकी पुलिस के वश की बात नहीं है। पाली जिले के नारलाई गांव के करीब 3 किलोमीटर दूर ही 9 दिसम्बर को बेरे पर एक अनुसूचित जाति की महिला गवरी का शव मिलता है और शव देखने से लगता है कि इसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित भी हो जाता है

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ। 2 महीने 2 दिन हो गए पर अपराधी का अभी कहीं पता नहीं। सरगरा समाज का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्य मंत्री जी से जयपुर आकर मिला और उनसे गुहार की और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया न तो उससे तो यह साबित हो रहा था कि अपराधी जानकारी में आ गए और जब तक यह प्रतिनिधिमंडल वापस पाली पहुंचेगा तब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे लेकिन आज तक अपराधी का कोई पता नहीं। एक नहीं अनेक बार प्रदर्शन हो गए, धरने हो गए, अल्टीमेटम दे दिया। आश्वासन हर बार मिला, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की पहुंच के बाहर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो इतने संसाधन हो गए हैं कहीं सुनसान जगह पर भी कोई वारदात होती है तो मोबाइल के जरिए भी उस अपराधी को ट्रेस किया जा सकता है। पुलिस में भी कई ऐसे एक्सपर्ट बैठे हैं जो ऐसी घटना को आसानी से सुलझा सकते हैं। कहीं न कहीं सरकार या पुलिस की लापरवाही है कि वह एससी की महिला है गवरी, उसका हत्यारा अभी पकड़ा नहीं गया। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा, आप हितैषी हो न, हितैषी बनने की बात करते हो न, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं उनमें तत्काल कार्रवाई करके अपराधियों को आप कड़ी सजा दिलवाएं, ताकि कोई भी अपराधी दुस्साहस न कर सके कि आगे वह और कोई हत्या कर सके। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह रहेगा, प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला था और आपने आश्वासन दिया था। आपके आश्वासन को आप पूरा करवा दें, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295. श्रीमती अनिता भदेल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, प्लीज। अलाउ नहीं है। माननीय सदस्य, कोई रिकार्ड नहीं होगा।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री अध्यक्ष: बैठें आप। सुन लिया आपका निवेदन। विराजिये आप। कोई अंकित नहीं होगा। श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)। श्री वासुदेव देवनानी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अजमेर शहर में बिना सीवरेज लाइन डाले वसूला गया सीवरेज चार्ज

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर में अभी भी कई क्षेत्रों में सीवरेज लाइन नहीं बिछाई जा सकी है तथा जहां पर बिछाई हुई है उनमें से कई क्षेत्रों में लाइन में रही तकनीकी कमियों के चलते कई मकानों के कनेक्शन नहीं हो सके हैं, परंतु वर्ष 2017 से नगर निगम, अजमेर द्वारा जलदाय विभाग के पानी के बिलों के माध्यम से शहर के सभी उपभोक्ताओं से सीवरेज सरचार्ज की वसूली की जा रही है।

ऐसे उपभोक्ताओं के पानी के बिल में भी सीवरेज सरचार्ज जुड़कर आ रहा है जिनके क्षेत्र में न तो सीवरेज लाइन बिछी हुई है अथवा लाइन चालू अवस्था में नहीं है या फिर तकनीकी कारणों से उन्हें अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। इनमें से जिन उपभोक्ताओं ने नगर निगम में चक्कर काट कर उक्त वसूली पर रोक हेतु आवेदन किए हैं उनके पानी के बिलों में उक्त वसूली हटा ली गई है परंतु इससे पूर्व वसूली जा चुकी राशि लौटाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा जो उपभोक्ता जानकारी व समय अभाव के कारण निगम में जाकर आवेदन नहीं दे सके हैं, ऐसे उपभोक्ताओं से वसूली अभी भी जारी है। उपर्युक्त वसूली किसी भी स्थिति में न्यायसंगत नहीं है। नगर निगम को अपने रिकार्ड के अनुसार सीवरेज कनेक्शनधारियों से ही सरचार्ज की वसूली करनी चाहिए थी तथा वसूली प्रारम्भ करने से पहले वंचित मकानों में सीवरेज कनेक्शन दिये जाने चाहिए थे।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि अजमेर शहर में बिना कनेक्शन के वसूले जा रहे सीवरेज सरचार्ज पर तत्काल रोक लगवाई जाए। साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं से अब तक वसूली गई राशि उन्हें वापस लौटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा के तहसीलदार द्वारा नियम विरुद्ध नक्शा तरमीम

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के

(श्री प्रताप सिंह)

माध्यम से छबड़ा तहसीलदार द्वारा असंवैधानिक रूप से भ्रष्टाचार कर नियम विरुद्ध नक्शा तरमीम करने के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा।

महोदय, तहसील छबड़ा के ग्राम बापचा में खसरा नंबर 755 में लगभग 42 बीघा गैर मुमकिन पठार सिवायचक जमीन में से 4 बीघा जमीन की नक्शे में तरमीम नवदीप सिंह पुत्र करण सिंह व बृजराज सिंह के नाम से बिना पक्षकार की बात सुने दर्ज हुई है। यह भूमि सड़क से 200 मीटर दूर है किन्तु तहसीलदार ने तरमीम के आदेश में जमीन को सड़क से सटा हुआ बताया है। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार इस जमीन पर न तो यह काबिज रहे हैं और न ही कभी मूल खातेदार का कब्जा रहा है। इसके बावजूद भी तहसीलदार छबड़ा द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए दिनांक 13.9.2019 को तरमीम के आदेश जारी कर दिये गये हैं, जो नियम विरुद्ध हैं। उक्त जमीन छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के पास होने के कारण वर्तमान में इसकी कीमत लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये है।

महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तहसीलदार छबड़ा द्वारा मनमानी एवं भ्रष्टाचार कर दिनांक 13.9.2019 को तरमीम के जारी किये गये आदेश को निरस्त करवाकर प्रकरण की निष्पक्ष जांच एसीबी से करवाने का श्रम कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द कुमार मोची।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा पीएचडी (विधि संकाय) की पात्रता के लिए आयोजित परीक्षा के सफल अभ्यर्थी

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं आपका ध्यान राज्य सरकार द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर विधि संकाय (LAW) में पीएचडी करने हेतु MPET परीक्षा, 2019 में घोषित सफल अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में आकर्षित कराना चाहूंगा। वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी वर्ष 2019 करने हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिये MPET परीक्षा, 2019 आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के आयोजन से पूर्व विधि संकाय द्वारा कुल कितनी सीटें तय थीं और परीक्षा परिणाम के बाद कितनी

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

सीटें बढ़ाई गई और विश्वविद्यालय के किस नियम के तहत बढ़ाई गई और वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? पीएचडी कोर्स प्रारम्भ करने से पूर्व कुल कितनी सीटें उपलब्ध थीं? MPET परिणाम घोषित होने के बाद सफल अभ्यर्थियों की जो सूची विधि संकाय द्वारा जारी की गई है, क्या उसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षित वर्गों का समावेश किया गया है? क्या आरक्षण नियमों की पूर्ण रूप से पालना की गई है? क्या वर्णानुसार प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) बनाई गई है? अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई है, उसमें क्या अभ्यर्थी केन्द्र, राज्य, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी हैं? यदि हैं तो उनकी कोर्स वर्क की फीस जमा कराने से पूर्व विधि संकाय में उनके द्वारा संबंधित विभागों के सक्षम अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करवाये गये हैं? क्या उनकी जांच की गई है? क्या अनापत्ति प्रमाण पत्र में इस बात का उल्लेख है कि संबंधित कर्मचारी को कोर्स वर्क की अवधि (75 प्रतिशत) की उपस्थिति अनिवार्य है तथा रजिस्ट्रेशन के बाद जोधपुर में न्यूनतम अवधि के रहवास को पूर्ण करने पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है? अंतिम तिथि तक किस-किस वर्ग के कितने अभ्यर्थियों ने फीस जमा करवाई? अंतिम तिथि गुजरने के बाद क्या प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को फीस जमा करवाने का अवसर दिया गया है और क्या पुन: नई तिथि घोषित कर फीस जमा करवाने की अनुमति दी गई है? विश्वविद्यालय में नियमित कोर्स में प्रवेश के बारे में, फीस जमा करवाने की अवधि के बारे में, प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के प्रवेश के बारे में क्या नियम हैं और इसी कोर्स में किसी कर्मचारी के प्रवेश के बारे में क्या नियम हैं? क्या अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप है? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पानाचन्द मेघवाल (अनुपस्थित)। श्रीमती मंजु देवी।

मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित टांकों के लिए मार्ग होना

श्रीमती मंजु देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के तहत मनरेगा के अंतर्गत निजी टांकों के क्रम में विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि मनरेगा में पक्के निर्माण कार्यों में जल संरक्षण हेतु निजी टांके बनाये जाते हैं तो आधे से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि खेत जिसमें टांका

(श्रीमती मंजु देवी)

बनना है, उसमें कटाणी रास्ता लगना चाहिये। हालांकि सरकार ने सभी खेतों को रास्ता मुहैया कराने का कानून बनाया है लेकिन आज भी आधे से ज्यादा खेतों के मार्ग में (कटाणी) की समस्या है और जिनके कटाणी मार्ग की समस्या है उनके टांके निर्माण नहीं हो सकते हैं।

अत: मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसी व्यवस्था दी जाये जिससे सभी किसानों के अपने खेत में वर्षा के समय जल संकलन हेतु टांके निर्मित हो सकें, यानी रास्ते की शर्त हटाएं या सरकार कैंप लगाकर सभी खेतों के रास्ते की व्यवस्था करे क्योंकि अपील दावा इन चीजों से किसान का अत्यधिक धन व समय का खर्च होता है तथा पड़ौसी सीधी तरह से रास्ता नहीं देता है। विवाद होने पर तहसील के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। सभी खेतों में टांका निर्माण आज की आवश्यकता है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन के मातृकुण्डिया के राजकीय विद्यालय हेतु भूमि का आबंटन

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत विद्यालय के लिये भूमि आबंटन कराने के संबंध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की धार्मिक नगरी मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुण्डिया बनास नदी के किनारे स्थित है। मातृकुण्डिया में शहीद जगदीश चन्द्र वैष्णव व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। विद्यालय में लगभग 400 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा विद्यालय भवन बहुत ही छोटी जगह पर बना हुआ है। अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिये अतिरिक्त जगह नहीं है। DMFT मद से नवीन विद्यालय भवन बनाने के लिये एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है। मातृकुण्डिया में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। मातृकुण्डिया में 50 वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित मातृकुण्डिया बाँध की तत्कालीन कालोनी जो वर्तमान में खंडहर होकर अनुपयोगी है। मातृकुण्डिया में विद्यालय के नवीन भवन निर्माण के लिये पूर्व मुख्य मंत्री ने सिंचाई विभाग की अनुपयोगी भूमि को आबंटन के लिये जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिये लेकिन जमीन का आबंटन नहीं हुआ है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सरकार से पुन: निवेदन है कि सिंचाई विभाग व शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक कर विद्यालय के लिये जमीन आबंटन करने की महती कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीरसिंह।

मारवाड़ जंक्शन के देसूरी में संचालित एडीजे कैम्प कोर्ट का स्थायीकरण

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से एडीजे कैम्प कोर्ट देसूरी को नियमित करने के संबंध में निवेदन है कि विधान सभा मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति रानी के अधीन सत्ताईस ग्राम पंचायतों एवं एक नगरपालिका क्षेत्र रानी का न्यायिक क्षेत्राधिकार देसूरी स्थित सिविल न्यायाधीश न्यायालय रहा है, जहां वर्ष 2015 में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाली का कैंप देसूरी में प्रत्येक माह में 6 दिन रखा गया है, जो कार्यरत है।

देसूरी में संचालित एडीजे कैंप कोर्ट के अधीन मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के लगभग 80 गांव आते हैं।

देसूरी में एडीजे कैंप कोर्ट खुलने के बाद से प्रकरणों की संख्या बढ़ कर 1065 हो चुकी है तथा मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश गांव लगभग 70-75 किलोमीटर है, जबकि देसूरी से मात्र 25 किलोमीटर है। इस कारण पक्षकारों को न्याय के लिये बाली जाना पड़ता है इसलिए देसूरी स्थित एडीजे कैंप कोर्ट को स्थाई कोर्ट किया जाना नितांत आवश्यक है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा देसूरी में एडीजे कैंप कोर्ट संचालित करवाया जा रहा है, साथ ही वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय स्थापित करने की अनुशंसा पूर्व में की गई थी जिससे वर्तमान में यहां सिविल न्यायाधीश न्यायालय को क्रमोन्नत कर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय खोले जाने और एडीजे कैंप कोर्ट को नियमित किये जाने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभार नहीं पड़ेगा क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय के नये न्यायालय स्थापित करने के नियम अनुसार देसूरी में विचाराधीन प्रकरणों की संख्या, संसाधन, सुविधा, भूमि, भवन इत्यादि पर्याप्त हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रसाद।

आदिवासी क्षेत्र में बच्चों की दलालों के माध्यम से बिक्री

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में गरीब आदिवासियों के छोटे बच्चे 50 से 250 रुपयों में दलालों के माध्यम से बिक रहे हैं, जिसमें पुलिस की भी मिलीभगत जैसा सवाल भास्कर ने खड़ा किया है। विगत सत्र में भी गरीब आदिवासियों के बच्चों को गिरवी रखने एवं बालश्रम का मामला उठने के बाद भी अब उससे बड़ा मामला सामने आया है। मामले में 50 रुपये में भी बच्चों की बोली लगना सामने आया है और बच्चों से गुजरात में ऐसी मजदूरी करवायी जाती है जिससे किसी ने पैर गंवा दिये तो किसी ने दोनों हाथ गंवा दिये हैं। कई बच्चों की लाशें और फोटो वापस आना तथा कई बच्चों के माता-पिता को अभी भी उनका इंतजार है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य केवल लिखा हुआ ही पढ़ें प्लीज। लिखा हुआ पढ़ें। बाकी पढ़ा हुआ मान लिया जाए। समाप्त करें। श्री राजकुमार रोत।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): अत: मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रसंज्ञान किया जाकर ठोस कार्यवाही कर ऐसे अपराओं पर अंकुश लगाया जाए एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रोत।

शिक्षक भर्ती लेवल-1 में रिट पिटीशन दायर करने वाले छात्रों को नियुक्ति

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव-रिट पिटीशन दायर करने वाले छात्रों को नियुक्ति दिये जाने के संबंध में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्रीमान जी से निवेदन इस प्रकार है कि 02/2018 शिक्षक भर्ती लेवल-प्रथम में रिक्त रहे 1167 पदों की अनुसूचित क्षेत्र में पात्र रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र को राज्यपाल की अधिसूचना 4 जुलाई, 2016 एवं RTET/ REET के संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय मार्ग्रेट आल्वा द्वारा 29.08.2012 में जारी अधिसूचना व जो भी विज्ञप्ति जारी की गयी है, इसमें स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित हैं। यह किसी भी वर्ग के पात्र

(श्री राजकुमार रोत)
अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी, 1167 सीटें रिक्त रही हैं। इनको अनुसूचित जनजाति के पात्रता रखने वाले छात्रों से नहीं भरे जाने से वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कई छात्र तो अपना विरोध प्रदर्शन करने काकरी डूंगरी पर जा चढ़े।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य लिखा हुआ पढ़ें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): इसके बाद सरकार ने एक कमेटी गठित की और तीन माह में फैसला देने की बात हुई।

अत: सरकार से अनुरोध है कि इन 1167 सीटों पर पात्रता रखने वाले रिट पिटीशन दायर करने वाले छात्रों को नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष।

इन्दिरा गांधी नहर की नहर बंदी

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत इंदिरा गांधी नहर की प्रस्तावित नहर बंदी के संबंध में सूचना प्रेषित है।

राजस्थान सरकार द्वारा पंजाब क्षेत्र से इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए 23 मार्च से 70 दिन की बंदी प्रस्तावित है। राजस्थान के सिंचित क्षेत्र के किसानों को देखते हुए इतनी लंबी अवधि की बंदी किसानों के हित में नहीं है। सरकार द्वारा इस 70 दिन की नहर बंदी के दौरान जो नहर की मरम्मत एवं अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, वास्तव में सही मानिटरिंग की जाए तो ये मात्र 40 दिनों में ही सम्भव हो सकती है। अगर सरकार द्वारा इतनी लंबी अवधि की नहर बंदी की जाती है तो राजस्थान के सिंचित क्षेत्र के 10 जिलों में भारी पेयजल संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन जिलों में कहीं भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पास 30 दिन से अधिक पेयजल भंडारण की क्षमता नहीं है, जिससे सिंचाई का पानी तो दूर, पीने के पानी के लिए भी भयंकर समस्या होगी। प्रस्तावित नहर बंदी यदि रहती है तो सिंचित क्षेत्र की लगभग 15 लाख एकड़ में खरीफ फसल की बुवाई भी प्रभावित होने की आशंका है। नरमे व कपास की बुवाई का समय 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य होता है। यदि इस दौरान नहर बंदी की जाती है तो नरमा, कपास, समस्त खरीफ की फसलें प्रभावित होंगी और किसान इन फसलों की बुवाई नहीं कर पायेगा। बागवानी क्षेत्र में भी बंदी के कारण आशंका है कि फरवरी और मार्च महीने में बागों में फल-फूल लगने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है, जिसमें पानी की

(श्रीमती संतोष)

आवश्यकता होती है। अगर नहर बंदी यथावत रहती है तो फल लगने से पूर्व ही फूल गिरेंगे और बागवानी में भी भारी नुकसान होगा।

अत: मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस 70 दिन की नहर बंदी पर पुनर्विचार कर किसानों के हित को देखते हुए नहर बंदी 40 दिन की जाए, जो किसानों के हित में रहेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत।

जैतारण में बंद पड़ी जवाई बांध जल परियोजना

श्री अविनाश (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में लगभग 315 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल की जवाई जल परियोजना स्वीकृत हो रखी थी। उपरोक्त योजना में जैतारण शहर सहित 125 गांवों को मीठा पानी पिलाने की जवाई जल परियोजना से जोड़ना था। उपरोक्त योजना का काम दिसम्बर, 2019 तक पूरा होना था, लेकिन आज दिन तक आधे गांवों को ही इस परियोजना से जोड़ा गया। इस योजना के माध्यम से उन टंकियों का निर्माण तो हो गया, लेकिन पानी के पाइप नहीं जोड़ने से उन टंकियों में दरार आने का खतरा है, जिससे आर्थिक नुकसान के साथ जनहानि होने की भी प्रबल संभावना है। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस योजना का कार्य लगभग बंद पड़ा है। बार-बार सरकार और उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद इस योजना को पूर्ण करने में सरकार द्वारा कोई रूचि नहीं दिखायी जा रही है। जैतारण क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। पानी का जल स्तर भी धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। यहां स्थिति सीमेंट उद्योगों में अवैध जल दोहन और शुष्क क्षेत्र होने की वजह से दिनों दिन पानी की विकराल समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे इंसानों के साथ जानवरों को भी पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जैतारण विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में बंद पड़ी जवाई बांध जल परियोजना को तुरंत प्रभाव से शुरू करवाकर जनता को मीठा पानी उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन में चम्बल व मेज नदी में आयी बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में चम्बल नदी व मेज नदी में आयी बाढ़ से कई गांवों में सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गये हैं। कई किसानों की फसल चौपट हो गयी। कई सड़कें व पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी आज तक लोग बेघर पड़े हैं। सरकार द्वारा बाढ़ग्रस्त मकानों का सर्वे भी करवाया गया। पंचायतों के सैक्रेट्री एवं पटवारियों द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त मकानों की लिस्ट तैयार करके एसडीएम साहब के मार्फत सरकार को भेजी गयी, लेकिन लिस्टों में जिन लोगों के नाम गये, उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। कुछ ही लोगों का मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया है। लोगों ने दीवाली भी टैन्ट के नीचे ही मनाई। आज भी टैन्टों के नीचे लोग रह रहे हैं, और तो और जिन लोगों के मकान अतिवृष्टि (अधिक वर्षा) से गिरे, उन लोगों में से केवल गिने-चुने लोगों को ही मुआवजा मिला और सभी को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया।

अत: मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक बार पुन: सर्वे करवाकर जिन लोगों को मुआवजे से वंचित रखा गया, उन्हें तुरंत प्रभाव से मुआवजा देने की कृपा करें। साथ ही जो पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुई जैसे कोटड़ी (घाट का बराना) मोहनपुरा से छत्रपुरा जाने वाली पुलिया आदि पुलियाओं का निर्माण भी जल्द हो तो जनता को राहत प्रदान होगी। कई कच्ची व पक्की सड़कें पूरी तरह से खतम हो चुकी हैं। उन्हें भी तुरंत प्रभाव से पुन: बनवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार गौड़।

श्रीगंगानगर में किन्नू वैक्सिंग प्लांट की स्थापना

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर जिले में किन्नू वैक्सिंग प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश का श्रीगंगानगर जिला किन्नू का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। यहां के किन्नू की देश-विदेश में बहुत मांग है। यहां पर किन्नू का वैक्सिंग प्लांट नहीं होने के कारण यहां के किसानों को अपनी उपज का 80 प्रतिशत माल पंजाब के किन्नू प्रोसेसिंग

(श्री राजकुमार गौड़)

प्लांट में भेजना पड़ता है तथा पंजाब के व्यापारियों द्वारा उनका प्रोसेसिंग प्लांट में वैक्सिंग कर देश-विदेश में ऊंचे दामों में विक्रय हेतु भेजा जाता है। श्रीगंगानगर जिले में किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने के कारण से यहां के किसानों को अपना माल सस्ती दर पर पंजाब में बेचना पड़ता है जिससे किसानों को किन्नू का उचित भाव नहीं मिल पाता है। यदि राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर यहां पर किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कर दी जाती है तो किसानों को अपने किन्नू को पंजाब नहीं ले जाना पड़ेगा जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी और राज्य की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इस इलाके के बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध होगा।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पंजाब सरकार द्वारा पंजाब से बाहर विदेश में किन्नू भेजने पर परिवहन का खर्चा सरकार वहन करती है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार भी राजस्थान के किसानों को किन्नू राजस्थान से बाहर भेजने पर परिवहन का खर्चा देवें।

अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि सरकार श्रीगंगानगर के किसानों तथा व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए श्रीगंगानगर में किन्नू वैक्सिंग प्लांट की स्थापना करे ताकि इस क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों तथा आम जनता को लाभ मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

भूमि के उत्तराधिकार के नामान्तरण के नियम का स्पष्टीकरण

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों में प्रावधान है कि कृषि भूमि के बेचाननामा का पंजीयन होने पर पटवारी द्वारा तुरंत नामान्तरण खोलना चाहिए परंतु व्यवहार में इस नियम की पालना नहीं हो रही है। कृषि भूमि के नामान्तरण के संबंध में खरीद की गई भूमि का क्रेता का कब्जा नहीं होना बताकर नामान्तरण नहीं खोला जाता जो नियमानुसार गलत है।

राजस्व नियमों में उत्तराधिकार संबंधी भूमि के नामान्तरण में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों के नामान्तरणों में राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में अलग-अलग नियमों से नामान्तरण

(श्री मदन दिलावर)

खोले जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग प्रावधान प्रचलित कर रखे हैं। किसी प्रकरण में अनुसूचित जनजाति के मृतक खातेदार के वारिसान के नाम नामान्तरण खोलते समय पुत्रियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है और तर्क दे दिया जाता है कि एसटी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता, उन पर वहां की परम्पराएं लागू होती हैं।

कुछ प्रकरणों में उत्तराधिकार में लड़कियों को सम्मिलित कर लिया जाता है, जैसे अन्य वर्गों के लिए होता है। इस प्रकार के प्रकरण न्यायालयों में भी दोनों तरीकों से निर्णीत हुए हैं। राजस्व कार्मिकों को इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुए हैं। अगर एसटी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा तो वहां की स्थानीय परम्पराएं लागू होंगी। अब वो स्थानीय परम्पराएं क्या हैं, इसको कहां से व किस दस्तावेज से माना जायेगा? फिर जो परम्पराएं बासंवाड़ा में हैं, वे अलवर में कैसे मान्य होगी?

उक्त संबंध में विशेष रूप से भूमि के उत्तराधिकार के नामान्तरण के संबंध में राज्य सरकार को एक नियम बनाना चाहिए जिससे राजस्व कार्मिकों की जान-बूझकर अथवा नियमों की अस्पष्टता के कारण की जाने वाली मनमर्जी समाप्त की जा सके। कई प्रकरणों में देखा गया है कि पुत्रियों का नाम नामान्तरण में नहीं लिखने को न्यायालय में भी उचित माना गया है और किसी प्रकरण में पुत्रियों के नाम नामान्तरण में छोड़ दिये जाने पर पटवारी को दंडित किया गया है। स्पष्ट नियम नहीं होना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। पर्ची पर चर्चा। श्री अमृत लाल मीणा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

प्रधान मंत्री सड़क योजना में सड़कों को वन क्षेत्र में आने से एनओसी नहीं मिलना

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उदयपुर जिले में तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत वन विभाग की लापरवाही और सार्वजनिक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण 6-7 सड़कों को एनओसी नहीं मिलने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, सड़कें रुकी हुई हैं। निम्न सड़कें हैं - प्रधान

(श्री अमृतलाल मीणा)

मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत नठारा बड़ा चौराहा से घोटापानी साढ़े दस किलोमीटर, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत मंडास से कलाथ 5 किलोमीटर की सड़क और मंडास से रातरखेप, यह भी 5 किलोमीटर की सड़क है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत तलाफला से केवड़ा 5 किलोमीटर की सड़क अभी रुकी हुई है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत गोडासर से बडाझोला, एक किमी और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत बनाल एक किमी। इस प्रकार मेरे विधान क्षेत्र सलूम्बर में और उदयपुर जिले की सड़कें वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं मिलने की वजह से रुकी हुई हैं। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय उप मुख्य मंत्री जी विराजमान हैं, विभाग के मुखिया भी हैं, वह सदन में जरूर वक्तव्य दें, यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री पब्बाराम विश्नोई।

फलौदी शहर में मल-जल निकासी हेतु सीवरेज लाइन

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर प्रदान किया। ध्यान देने योग्य बात है कि 104 वर्ष पहले जोधपुर और फलौदी नगर का नगरपालिका के रूप में गजट नोटिफिकेशन एक ही पत्र के द्वारा जारी हुआ। जोधपुर महानगर के रूप में विकसित हो गया और फलौदी नगरपालिका के रूप में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीगण।

श्री पब्बाराम (फलौदी): वह भी सीवरेज लाइन को तरसता हुआ हमेशा दुर्गंध के अंदर अपने आपको पाता है। वर्ष 2011 में 50 हजार से मात्र 125 जनसंख्या कम होने के कारण सीवरेज लाइन फलौदी को नहीं मिली। इस जनसंख्या को वास्तविक जनसंख्या नहीं माना जा सकता है। कारण यह है कि पश्चिम का कुंभ माना जाने वाला रामदेवरा मेला जिसके अंदर प्रतिवर्ष 50 लाख लोग आते हैं और फलौदी के अंदर से होकर गुजरते हैं और मल-जल निकासी की वहां पर व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से जाम्भा मेला पड़ता है, वहां भी फलौदी के अंदर से यात्री गुजरते हैं। लगभग साल में दस लाख लोग यहां पर आते हैं। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, किला है और हवेलियां और उसके अतिरिक्त कुरजां देखने के लिए भी लोग बहुत अधिक संख्या में आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब भड़ला भी यहां पर स्थित है इसलिए यहां पर जनसंख्या की बेतहाशा एकदम बढ़ोतरी हुई है। यह मुख्य मंत्री जी का गृह

(श्री पब्बाराम)

जिला भी है। आपके जन-प्रतिनिधि भी बार-बार इस विषय में प्रश्न उठाते रहे हैं, आपसे निवेदन करते रहे हैं। मेरी आपसे विशेषकर सहृदय शांती धारीवाल, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कौनसी नगरपालिका है जो 100 वर्ष से अधिक उम्र की हो। मात्र यह फलौदी नगरपालिका है, इसको एक विशेष पैकेज देकर सीवरेज लाइन बिछाने का आप प्रयास करेंगे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इसमें मेरी थोड़ी मदद करें और हस्तक्षेप करने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष: गोपीचंद जी मीणा।

नव-निर्वाचित पंच/सरपंचों का पदभार ग्रहण

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में अनुसूचित जाति के नव-निर्वाचित सरपंच श्री देवीलाल बैरवा, ग्राम पंचायत बोरड़ा, पंचायत समिति कोटड़ी में दिनांक 3/2/2020 को ग्राम पंचायत भवन पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पदभार कार्यग्रहण करने जाता है तो उसके और महिला वार्ड पंचों सहित समर्थकों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। 40-50 लोगों के पास धारदार हथियार, कुल्हाड़ी, लकड़ियां, सरिया हाथों में लेकर निर्दोष लोगों पर हमला करना व ग्राम पंचायत भवन पर तोड़फोड़ करना, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरपंच को जाति विशेष से अपमानित करना, अनुसूचित जाति का सरपंच होने के कारण घटना को अंजाम दिया जाता है।

चुनाव से पूर्व दिनांक 2/2/2020 को एसएचओ, पारोली को सरपंच के द्वारा पूर्व अनुमान सूचना दी जाती है लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ एसएचओ, पारोली की मिलीभगत से घटना को अंजाम दिया जाता है। हमलावरों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शामिल हैं। हमलावरों को राजनीतिक संरक्षण होने के कारण अपराधियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। घर बैठे निर्दोष लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है व हमले में 12 लोग घायल होते हैं। चार लोगों को उदयपुर के लिए रैफर कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप क्षेत्र में प्रशासन के विरुद्ध जन-आक्रोश है। पूरे जिले में धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं। कोटड़ी, एसएचओ इतिहास पंजिका में नाम दर्ज अपराधियों

(श्री गोपी चन्द मीणा)

के साथ मिली-भगत करके क्षेत्र में अशांति का माहौल कर रखा है। लाठीचार्ज करवाना, आये दिन घटनाओं को अंजाम देता है। पंचायत समिति, कोटड़ी में रातभर बैठना, पुलिस अधिकारी एसएचओ, पारोली और एसएचओ, कोटड़ी को निलंबित किया जाये। अनुसूचित जाति-जनजाति, गरीब तबके के नव-निर्वाचित सरपंचों एवं उप-सरपंचों के साथ घटनाएं हो रही हैं। राजनीतिक प्रभाव से विकास अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बंद किया जाना

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पिछली सरकार द्वारा लगभग 12 सड़कें जिसमें सीमेंट-कंकरीट सड़क भी है, वर्तमान में लगभग साल भर से कहीं-कहीं कुछ सड़कों का काम तो बिल्कुल स्लो स्पीड से चल रहा है और लगभग आठ से दस सड़कें जिनमें मिट्टी का काम और ग्रेवल का काम होकर वे बंद पड़ी हैं। पिछली बरसात के पहले वह पूरी होनी चाहिए थी। इससे बरसात में बहुत दिक्कत आई। इनके मैं नाम बता रहा हूं पीपल्दा, राजपुरा, गणेशपुरा, गोपालपुरा और खानपुर में सीमेंट-कंकरीट के साथ जो पुलिया के निर्माण थे, वह अधूरे पड़े हैं।

बागेड़ से पलवाड़ और पलवाड़ से सांगौद, पाटल्या कुलमी में जो गौरव पथ सैंक्शन था वह काम भी शुरू नहीं हो पाया है। करणवास से मालवासा सड़क मिसिंग लिंक में सैंक्शन थी उसका भी केवल ग्रेवल होकर काम रूका हुआ है। साथ ही सारोला में बाईपास सैंक्शन था, वहां भी जमीन अधिग्रहण का काम अभी चल रहा है, वह काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। साथ ही महुआ खेड़ा से अकावद जो सड़क सैंक्शन हुई थी, फोरेस्ट से एनओसी लेनी थी, पर एनओसी नहीं लेकर उसको भी निरस्त कर दिया गया। साथ ही कुछ विधान सभा में टूटी सड़कें हैं, जो गारंटी में हैं, जिनमें सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, उनको तुरंत गति से ठीक किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री मदन दिलावर।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रामगंज मण्डी के लाडपुरा में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित निवासी

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी चाहिए थी कि.....

श्री अध्यक्ष: आप ध्यानाकर्षण पर बोलें, 131 पर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं, रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में आवास के संबंध में। आवास के संबंध में मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोटा ज़िले के रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति खैराबाद की 37 ग्राम पंचायतों के 157 ग्राम तथा लाडपुरा पंचायत समिति की 5 पंचायतों के 27 रेवेन्यू विलेज सम्मिलित हैं। रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत समिति खैराबाद तथा लाडपुरा के लाभान्वित किए गए लाभार्थियों का विवरण यहां पर प्रस्तुत है। इस विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 2587 और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 39012 लाभार्थी हैं। यहां रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी परिवारों को नियमानुसार लाभान्वित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कोटा ज़िले में तथा रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में आज तक कितने आवास स्वीकृत हुए पूर्ण कितने हुए तथा लक्ष्य क्या थे?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्षण किया गया था वह विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी का दिया गया था, मैंने वह आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो टारगेट भारत सरकार ने राजस्थान को दिया है, उसमें पूरे प्रदेश भर में 97 परसेंट हम लोगों ने अचीव किया है। कोटा और रामगंज मण्डी में भी हमारा औसत से ज्यादा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार 12000 रुपये हमको देती है शौचालय बनाने के लिए, उसमें कहीं न कहीं कमी आती है, लेकिन फिर भी हम पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और टारगेट पूरा करेंगे।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि कोटा जिला व रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के...

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण लाडपुरा का है don't aside this.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र है, लाडपुरा पंचायत समिति उसी में आती है। रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने 131 क्या लिखा है, आप पुराने सदस्य हैं, नये सदस्य नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): लाडपुरा के लक्ष्य क्या थे? उसके साथ खैराबाद पंचायत समिति लगती है रामगंज मण्डी की, उसके लक्ष्य क्या थे?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न उत्तर नहीं है। आप पूछो कि लक्ष्य पूरे हुए कि नहीं हुए। 131 में.....

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कितने लक्ष्य थे, कितने पूर्ण हुए, कितने और स्वीकृत करने हैं?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस पंचायत समिति का कहना चाह रहे हैं वह खैराबाद पंचायत समिति है। उसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 2225 किए हैं। जैसा मैंने कहा, औसत पूरे प्रदेश में 96% है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर भी 95 परसेंट से ऊपर हुआ है। अगर कहीं आपको त्रुटि लगती है, आपको लगता है कि कहीं पर कुछ छूट गया है, आप मेरे संज्ञान में लाइए, हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने यह निवेदन किया है कि कितना लक्ष्य था। इन्होंने लाभार्थी बताएं, बनाए इतने। मैं लक्ष्य पूछ रहा हूं, लक्ष्य बता दें। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, बहुत सारे घुमक्कड़ जाति के लोग हैं। लगभग 5000 से ज्यादा लोग तो घुमक्कड़ जाति के ही हैं, जिनके मकान ही नहीं है। मकान इसलिए नहीं है कि उनके पट्टे ही नहीं हैं, पंचायती राज उनको पट्टा नहीं देना चाहता है। ऐसे ही पट्टे वाले लोग भी हैं, जिनके मकान नहीं बनाए गए हैं। रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो 10000 लोग ऐसे हैं जिनके पास छप्पर नहीं है और इस पात्रता में आते हैं, उनको बनाना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि उनको कब तक स्वीकृति देंगे तथा उनको कब तक आबंटन करेंगे?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि आवास स्वीकृत कराना हम लोगों का सामूहिक लक्ष्य है। प्रदेश की सरकार भी काम कर रही है और केन्द्र की सरकार भी काम कर रही है। जो सोशल इकोनोमिक सर्वे हुआ था, उसके आधार पर राजस्थान में 16 लाख 99 हजार लाभान्वित हमने चिन्हित किए थे 2016 के अंदर। बाद में लगा, इससे पूर्व अध्यक्ष महोदय, आपने भी संकेत दिया था, कई बार ग्राम पंचायत में गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी है या घुमक्कड़ जाति से है, कभी-कभी उन लोगों को पट्टा आबंटन करने में प्रभावशाली लोग बाधा उत्पन्न कर देते हैं। इसी को देखते हुए हम लोगों ने दोबारा सर्वे किया। पूरे राजस्थान के अंदर हम लोगों ने ऐसे लगभग 23 लाख और लाभान्वित चिह्नित किए हैं, जिनको हम मकान देना चाहते हैं। हमने भारत सरकार को पूरी जानकारी लिखित में तथा भारत सरकार का एप है, उसमें अपलोड कर दिया है। भारत सरकार से हमने बार-बार अनुरोध किया और पिछले महीने दोबारा मैंने खुद चिट्ठी भी लिखी है कि जो लोग रह गए हैं, जिनके पास मकान नहीं है, पक्की छत नहीं है, उनको हम लाभान्वित करना चाहते हैं। आपके क्षेत्र में जितना हमारा टारगेट था, हम लगभग सौ परसेंट पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमेशा कोई न कोई रह जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो प्रक्रिया है, जैसा आज अध्यक्ष महोदय ने कहा, ग्राम सभा, पंचायत, जिला और फिर जयपुर हमारे पास आता है, उसी प्रक्रिया के अधीन लगभग 1,20,000 रुपये, हर मकान को बनाने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, 60 40 का रेश्यो है। इसमें आवास योजना के साथ 90 दिन का नरेगा का मस्टर रोल भी लाभार्थी उसमें इस्तेमाल कर सकता है। 12 हजार रुपये से शौचालय बनाने का है, लगभग 1,60,000 रुपये सरकार देती है।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर हमने देखा है कि हर व्यक्ति 1,60,000 के साथ ही अपनी पूंजी भी लगाता है और एक मकान का निर्माण करता है। हमारी कोशिश है कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति बिना छत के नहीं रहे। हमारा यह पूरा संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कभी-कभी ऐसा होता है कि एसटी, एससी, ओबीसी के ऊपर कभी-कभी काले बादल देखने की लोग कोशिश कराते हैं लेकिन राजस्थान सरकार पूरी तरह समर्पित है, खासकर हमारे दलित भाई, आदिवासी, ओबीसी भाइयों के लिए, हर गरीब व्यक्ति को हम मकान देंगे, यह सरकार का संकल्प है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी, संशोधन विधेयक 2020 को पुर:स्थापित...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, वार्षिक प्रतिवेदन।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन लेखे सदन की मेज़ पर रखता हूं:

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास। एक सैकण्ड, प्रताप सिंह जी।

जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे
(वर्ष 2018-19)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2018-19;

जोधपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे
(वर्ष 2018-19)

(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा-60 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2018-19;

अजमेर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे
(वर्ष 2018-19)

(3) अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा-60 के अन्तर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2018-19;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राजस्थान आवासन मण्डल के अंकेक्षित वार्षिक लेखे

(वर्ष 2018-19)

(4) राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल के अंकेक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2018-2019;

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

((5) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19; एवं

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का 74वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

(6) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का 74वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19.

श्री अध्यक्ष: प्रताप सिंह खाचरियावास।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2018-19)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020.

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अंतर्गत कारणों का विवरण भी रखेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अंतर्गत राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री कारणों का विवरण भी रखेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अंतर्गत राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठें प्लीज। माननीय मंत्रीजी, पुर:स्थापित करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री कारणों का विवरण भी रखेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री संयम लोढ़ा। सभी माननीय सदस्य पार्टी के व्हिप द्वारा दिये गये समय का पालन करें।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण के समर्थन में नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अंतिम बिंदु संख्या 122 में इस सरकार का यह संकल्प व्यक्त किया है कि यह सरकार महात्मा गांधी के उच्च आदर्शों और देश के महबूब नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिये और उनके राष्ट्रव्यापी सोच के आधार पर आने वाले राजस्थान के निर्माण का संकल्प और इरादा रखती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के एक साल के कामकाज की तरफ नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि समाज के हर वर्ग का किस कदर ख्याल रखा गया है। छोटी से छोटी समस्या को किस तरीके से इस सरकार के मंत्रियों ने देखने की कोशिश और हल करने की कोशिश की है। यह हम निर्णयों से जानकारी ले सकते हैं।

(13.04 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', 'सा विद्या या विमुक्तये', ये इस सरकार के काम करने के मंत्र दिखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं और मैं कह सकता हूं कि इस सरकार के पहले साल के काम ने ही इस बात का हौसला राजस्थान की जनता को दिया है कि आने वाले पांच साल के अंदर एक नये राजस्थान का निर्माण हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक-एक फैसले पर नजर डालें। अम्बेडकर विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया था, इस सरकार ने उसे फिर से शुरू

(श्री संयम लोढ़ा)

करने का फैसला किया है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया था, इस सरकार ने उसको फिर से शुरू करने का निर्णय किया।

पहले ही साल के बजट में 50 के करीब सरकारी कालेज खोलने का निर्णय करना और उसमें से 38 चालू कर देना, माननीय सभापति महोदय, यह कोई साधारण निर्णय नहीं है। बड़ी संख्या में बच्चे 12वीं तक पढ़ने के बाद में स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन इस सरकार ने मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना ला करके निर्णय किया कि जो भी बच्चा बारहवीं में 60 प्रतिशत से ज्यादा नम्बर ले करके आएगा, यह सरकार उस बच्चे को छात्रवृत्ति देगी।

माननीय सभापति महोदय, एन.सी.ई.आर.टी. का पाठ्यक्रम पूरे राजस्थान के अन्दर लागू किया गया। मैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अन्दर आज राजस्थान दूसरे नम्बर पर आ करके खड़ा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाने का सपना रखते थे और उस दिशा में उन्होंने ले जाने का प्रयत्न किया। हिन्दुस्तान की संचार क्रांति स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। माननीय सभापति महोदय, यह भूमंडलीकरण का दौर है। पूरी दुनिया एक गांव में तब्दील हो चुकी है। आज इस समय जो अमेरिका में घटित हो रहा है, वह यहां पर पता चल रहा है। एक अलग सोच के साथ राजस्थान के पिछड़े जगत को भी आगे बढ़ाना जरूरी था और पूज्य महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह के मौके पर राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने का निर्णय किया, जिससे समाज का वह गरीब आदमी, जो मन में इच्छा तो रखता है कि उसके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त कर सकें, पूरी दुनिया के बीच में अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करके अपने परिवार का, खुद का, समाज का, राजस्थान का नाम आगे बढ़ा सकें। एक मौका राजस्थान की सरकार ने यह दिया कि हर जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गये। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि पहले ही साल में चार-चार सौ से ज्यादा की संख्या के अन्दर इनमें एडमिशन हुए हैं।

पहली से पांचवीं का बच्चा, क्या किसी सरकार के मंत्री ने अब तक यह सोचा था कि वह जो थैला ले करके जाता है, उस थैले का वज़न कितना

(श्री संयम लोढ़ा)

है। वह बच्चा उस वज़न को उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है, लेकिन राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने इस छोटी से छोटी चीज की तरफ भी ध्यान दिया और जो पहली से पांचवीं का बच्चा पांच किलो नौ सौ ग्राम की पुस्तकों का थैला ले करके जाता था, उसको घटा करके दो किलो दो सौ ग्राम कर दिया। सुनने में तो यह बात बहुत साधारण-सी लगेगी, लेकिन यह जाहिर करता है कि वह बच्चा जो अपनी पीड़ा बता नहीं सकता था, उस बच्चे की पीड़ा तक पहुंचने का काम भी इस सरकार ने किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया व्यवधान नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में आज किसी गांव में निकल जाओ, हर सरकारी विद्यालय के अन्दर आपको कुछ न कुछ निर्माण होता हुआ दिखेगा, कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखेगा। यह इस सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है कि राजस्थान में शैक्षणिक जगत के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम यह सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, 1581 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में इस सरकार ने स्वीकृति दी है।

माननीय सभापति महोदय, क्या मैं पूर्ववर्ती सरकार से यह पूछ सकता हूं कि जो इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड दिया जाता था, वह सिर्फ विज्ञान के बच्चों को ही क्यों दिया जाता था? हमारे दूसरे विषय के बच्चों ने क्या अपराध किया था? मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने इस इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड को विज्ञान के साथ-साथ वाणिज्य और कला संकाय के लिए भी लागू किया है और इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, जो पुरस्कार दिये जाते थे, चाहे वह आपकी बेटी पुरस्कार हो, एकलव्य पुरस्कार हो, मीरा पुरस्कार हो, हर पुरस्कार की राशि बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, आलोचना करना तो बहुत आसान है लेकिन आलोचना करने से पहले यह समझ लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि जिस पार्टी का इस सदन में प्रतिनिधित्व करते हुए हम बोल रहे हैं, हमारी ही पार्टी की दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने इस राजस्थान की सरकार को किन-किन पुरस्कारों से नवाजा है, किन-किन क्षेत्रों के अंदर अपनी ओर से उनकी सराहना की है।

(श्री संयम लोढ़ा)

कल यहां पर टिड्डी पर चर्चा हो रही थी। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने खुद ने राज्य सभा के अंदर यह कहा कि टिड्डी के मामले में सबसे बेहतरीन काम राजस्थान की सरकार ने किया है और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जावड़ेकरजी के हाथों से गुड गवर्नेंस के मामले में राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत को, उनको खुद को पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

माननीय सभापति महोदय, नर्मदा नहर जल संरक्षण में भारत सरकार ने पहला अवार्ड राजस्थान को दिया है। तेजपुर नहर, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंदर दूसरे स्तर का पुरस्कार खुद भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को दिया है।

माननीय सभापति महोदय, वैडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड राजस्थान को भारत सरकार ने दिया है।

इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि तंबाकू नियंत्रण के अंदर भी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजस्थान सरकार को सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड, 2019 राजस्थान सरकार को दिया है।

यह तो मैं कुछ बानगी दे रहा हूं, और भी बहुत से पुरस्कार राजस्थान को प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन का महत्वपूर्ण समय मैं वह सारी सूची पढ़ने के लिए नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। कृपया, आप दोनों ही तरफ से नहीं बोलें। अच्छी बात हो रही है, फिर ऐसा क्यों करते हो? आप भी तो यही करोगे न? तो अच्छा है कि अब आप आराम से शांति से बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के कर्मों के कारण बजरी राजस्थान में एक कैंसर बन गया लेकिन मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जिसने इतने अल्प समय में निजी लोगों को, किसानों को अब तक 500 पट्टे, 500 अधिकार पत्र बजरी खनन के जारी कर दिये हैं जिसके माध्यम से बजरी को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर एक जन आक्रोश पैदा हो रहा था, उसका शमन करने का काम हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, कैंसर की बीमारी के इलाज में समय तो लगा ही है और इस बीमारी के इलाज में भी समय लगेगा लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की सोच स्पष्ट और साफ है।

(श्री संयम लोढ़ा)

अब सिलिकोसिस कितनी भयावह बीमारी है? आदमी के उसकी चपेट में आने के बाद उसकी जान के बचने की सूक्ष्म संभावना है। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि जो सिलिकोसिस के मामले में भी एक नीति लेकर आए हैं।

राजस्थान की सरकार बनने के बाद राजस्थान कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सौर ऊर्जा नीति लेकर आए, पवन ऊर्जा नीति लेकर आए और उसके माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को आगे बढ़ाने का एक संकल्प इस सरकार ने व्यक्त किया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यह मित्र गायों की चिंता तो बहुत करते हैं। गायों के नाम पर वोट की फसल काटने में तो उनकी बहुत गहरी रूचि है लेकिन राजस्थान के 70 साल के इतिहास में श्री अशोक गहलोत वह पहले मुख्य मंत्री थे, जिन्होंने 2013 में पहली बार राजस्थान की गौशालाओं को स्टेट के बजट से पैसा देने का निर्णय लिया और जब 2013 के अंदर श्री अशोक गहलोत साहब ने यह निर्णय कर लिया, पूरे राजस्थान के गौ-सेवकों को यह एक संदेश गया कि किस रूप में राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री गौ-सेवा के क्षेत्र के अंदर एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो उन्होंने क्या वादा किया? माननीय सभापति महोदय, पूर्व की सरकार ने तो तीन महीने का अनुदान गायों के लिए दिया है, अपने चुनाव घोषणा-पत्र में इन्होंने यह कहा कि हम आएंगे तो हम 9 महीने का अनुदान देंगे। गौ-सेवा सैस लगाया और उसके बाद भी कितने समय तक वह गौ-सेवा सैस का पैसा भी दबाकर बैठे रहे और 2018 का इनका आखिरी साल आ गया, तब तक भी इनको 9 महीने का वादा याद नहीं आया। 2018 तक भी तीन महीने का अनुदान ही रहा, पर मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को जिन्होंने 2019 में राजस्थान की समस्त गौशालाओं को 6 महीने का अनुदान दिया।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, छोटे पशु का अनुदान जो 16 रुपये था उसको बढ़ाकर 20 रुपये किया और बड़े पशु का अनुदान जो 32 रुपये था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया। नंदी गौशाला हर जिला मुख्यालय पर स्थापित करने का निर्णय तो पहले हुआ, पूर्ववर्ती सरकार ने किया लेकिन खोल नहीं पाए। इस सरकार ने उससे आगे बढ़कर हर ब्लाक पर, हर पंचायत समिति के अंदर नंदी गौशाला खोलने का निर्णय किया और ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, बैठें, आप विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया, आप विराजिये। आप विराजिये। वह आपके हाथ में नहीं है, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि खुद माननीय मुख्य मंत्री वहां पर गये हैं और बाड़मेर में ब्लाक स्तर पर नंदी गौशाला खुली है और बीकानेर में भी खुल चुकी है और मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग दावा करते हैं कि हम गौ-सेवक हैं तो आपको किसने रोका है? राजस्थान सरकार ने यह निर्णय किया है, आप आगे आइए और अपने विधायक कोटे का पैसा दीजिए और हर ब्लाक पर गौशाला, नंदी गौशाला संचालित करने में सहयोग करिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हमने 8 गौशालाएं खोल रखी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): आप विधायक कोटे का पैसा तो दिलवा दो। विधायक कोटे का पैसा ही नहीं आया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। आप अपनी तरफ से बोलें जब बोल लेना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, यह गाय के नाम से सिर्फ वोट ही लेंगे। गाय के नाम से वोट ही लेते रहो आप तो। गाय के लिए आपको करना कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। जब आपका नंबर आएगा तब आराम से आप बोल सकते हैं। उस समय आप बोलें। अभी आप विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे दस मिनट इन्होंने खराब किये हैं, आप इस बात का ध्यान रखना।

50 लाख रुपया तो सरकार देगी नंदी गौशाला खोलने के लिए और मैं विनती करना चाह रहा हूं, इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को मैं यह बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान के माननीय गौपालन मंत्रीजी और राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री आने वाले वक्त में राज्य की समस्त गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान देने की इच्छा रखते हैं। इन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से अपनी यह राय प्रकट की है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): कलेक्टर और एस.पी. का दबाव रहता है इसलिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप देते ही नहीं हो न। केवल वोट के लिए काम करते हो। आपको बिना दबाव के ही दे देना चाहिए था। गौ-माता के नाम से ही तो पिछली बार सरकार में आए थे।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, विराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सरकार चला रहे हो तो फिर भीख क्यों मांग रहे हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया, विराजिये।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उप नेता महोदय, एक वायरस बहुत तेजी के साथ उस पक्ष में फैल रहा है, स्प्रिंग वायरस। जरा आप उसको कम कराओ, बोलने दो। आपको बोलना है, अभी प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय को बोलना है, इस परम्परा को रोकिये। इस स्प्रिंग वायरस को कंट्रोल करिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): स्प्रिंग वायरस तो ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आप बैठें, आप पर बहुत तेज है यह वायरस। माननीय सदस्य, आपके बहुत ज्यादा बड़ा वायरस है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं हो रही इनकी। एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए भी जन सुनवाई में जाना पड़ रहा है। आठ महीने हो गये चालान पेश नहीं हो रहा है, यह है सरकार की उपलब्धि।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये। आप सीनियर मैम्बर हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, रामलाल जी शर्मा सचेतक बनना चाहते हैं लेकिन राठौड़ साहब नहीं बनने देंगे इनको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह गरीब आदमी है, जो दिन के 36 रुपये कमाता है। अपने

(श्री संयम लोढ़ा)

परिवार का जीवनयापन करने में उसको कितनी कठिनाई थी और यह पूर्ववर्ती सरकार थी जिसने गरीब का एक रुपये किलो का गेहूं बंद कर दिया और राजस्थान के हमारे उदारमना मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने सरकार बनते ही राजस्थान के एक करोड़ चौहत्तर लाख गरीबों को एक रुपये किलो गेहूं देने का निर्णय लिया।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, हमारे शहीद आश्रित जो हैं, 25 लाख रुपये मिलते थे उनके परिवारों को, इस सरकार ने आने के बाद 25 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का काम किया और इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, आश्रितों को जो सम्मान भत्ता मिलता था 1500 रुपये, उसको भी बढ़ाकर तीन हजार रुपये किया और दूसरे विश्व युद्ध के सैनिक और उनकी विधवाओं को जो चार हजार रुपये पेंशन मिलती थी, वह बढ़ाकर दस हजार रुपये करने का निर्णय किया और स्वाधीनता सेनानी पेंशन भी बीस हजार रुपये से बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये करने का निर्णय लिया।

भारत-पाकिस्तान, हिन्दू-मुसलमान की बात करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि स्वाधीनता संग्राम के योद्धाओं की किस रूप में खिदमत करने का काम आजादी के समय से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है, यह इसका उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं 2014 का आपको लोक सभा का चुनाव याद होगा। देश के प्रधान मंत्री का भाषण भी आपको याद होगा। यू-ट्यूब पर मौजूद है। किसान भाइयों, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जो कर्जा है, दिल्ली में सरकार बनने के बाद यह नरेन्द्र मोदी का कर्जा होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राहुल गांधीजी के भाषण के बारे में भी बता दो जरा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। दस तक गिनती में कर्जा माफ। 59 लाख किसान कोस रहे हैं राजस्थान को। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जयपुर में बोला था दो लाख रुपये तक के कर्जे का। दो लाख रुपये तक के कर्जे का क्या हुआ? बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह ऊपर से छत गिर जाएगी नीचे, इतना असत्य वाचन भी मत करो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आज राजस्थान की जनता की ओर से देश के प्रधान मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने तो अपनी सहकारी संस्थाओं का, 20 लाख किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्जा माफ कर दिया। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): प्रधान मंत्रीजी का नाम ले रहे हैं, यह विधान सभा है। आपको लोक सभा में जाना चाहिए पहले। आप तो लोक सभा में जाकर वहां भाषण दो। यहां विधान सभा का भाषण दो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सदस्य, पहले यह बता दें कि इनकी विधान सभा क्षेत्र के सारे किसानों का कर्जा माफ हो गया क्या? हम मान लेंगे कि आपकी विधान सभा क्षेत्र के सबके हो गये न। आप सदन में यह कह दो सबका कर्जा माफ हो गया। आपके किसानों से ही पूछ लें। आप राजस्थान का तो छोड़ो, आपकी विधान सभा क्षेत्र का हो गया क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हमको अधिकार है देश के प्रधान मंत्री से मांग करने का, उनके भाषण की याद दिलाने का। जो लोक सभा के चुनावों में उन्होंने वादा किया है। नेशनलाइज बैंकों का, जो राजस्थान की जनता पर कर्जा है, माननीय मुख्य मंत्री खुद जाकर दिल्ली में वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव देकर आये हैं। राजस्थान के 25 सांसद राजस्थान की जनता ने जिताकर भेजे हैं। क्या हम देश के प्रधान मंत्री से यह सवाल नहीं पूछ सकते कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा कब माफ होगा। वन टाइम सैटलमेंट योजना के अंदर आप कब आगे बढ़कर सामने आएंगे? माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान).

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी पार्टी के लोगों को बोलने देना है कि नहीं देना है, यह तय कर लो पहले। बार-बार इस तरह से खड़े हो रहे हो। एक भी नहीं बोल पाओगे फिर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान सरकार 12 महीने के कार्यकाल की अवधि के भीतर ही कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति लेकर आयी। 10 हैक्टेयर की भूमि पर आपको किसी भूमि उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं

(श्री संयम लोढ़ा)

है और उद्योगों के लिये भी नीति लेकर आयी। किसी भी तरह का उद्योग लगाना चाहें तो तीन साल के लिये आपको सभी तरह के प्रावधानों से मुक्त कर दिया है और राजस्थान के अंदर, माननीय सभापति महोदय, 2,811 उद्योगों ने राजस्थान सरकार की इस छूट का एक साल के अंदर लाभ प्राप्त किया है, प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने तीन नये नगर निगम बनाये, बोर्ड बनाये और राजस्थान के गांव में बैठे हुए आदमी का, जो गरीबी के कारण हो, किसी और कारण से वह पढ़ नहीं पाया, उसको चुनाव लड़ने के अधिकार से इन्होंने वंचित कर दिया था। राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फिर से उसको चुनाव लड़ने का मौका दिया और लोगों की सेवा करने का मौका दिया। देश के अंदर अनेक ऐसे नेता हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ेलिखे नहीं थे, लेकिन पूरे प्रदेश का विकास करने में सक्षम साबित हुए और एक बार नहीं, अनेक बार सर्वोच्च पद पर बैठकर भी उन्होंने लोगों की खिदमत करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान आदान अनुदान, इनपुट सब्सिडी की तरफ दिलाना चाहूंगा। 2017 के अंदर जब अतिवृष्टि से नुकसान हुआ था और लोगों को इनपुट सब्सिडी का पैसा नहीं मिला। इनकी सरकार थी, 2018 के अंदर पैसे आ गये, पर वह पैसे इन्होंने वापस लौटा दिये, बांटे नहीं। मैं राजस्थान के माननीय राहत आपदा प्रबन्धन मंत्रीजी का धन्यवाद दूंगा कि इसी सदन में मैंने मामला उठाया था इनपुट सब्सिडी का, आपने संभागीय आयुक्त की जांच बिठायी और 2017 का भी इनपुट सब्सिडी का किसानों का पैसा आपने उनके खातों में पहुंचाने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। हमारी निशुल्क दवा योजना पूरे देश के लिये एक आदर्श है और आप हमारा नहीं, भारत सरकार के द्वारा जो रेटिंग जारी की गयी है, उस रेटिंग का अवलोकन करिये कि उस नि:शुल्क दवा के मामले में राजस्थान पूरे मुल्क में सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, क्या हाल थे 1947 के बाद पचास साल तक राजस्थान में खाली 6 मेडिकल कालेज हुआ करते थे, 1998 में पहली बार

(श्री संयम लोढ़ा)

अशोक गहलोत मुख्य मंत्री बने, उन्होंने निर्णय किया कि हम राजस्थान के अंदर मेडिकल के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान करेंगे और तब राजस्थान आगे बढ़ना शुरू हुआ। आज राजस्थान में मेडिकल कालेज की संख्या सरकारी और निजी क्षेत्र में बढ़ी। क्या हिन्दुस्तान में राजस्थान के मुकाबले कोई दूसरा उदाहरण है कि जिसने अपने प्रदेश में 15 नये मेडिकल कालेज की स्वीकृति प्राप्त की हो? पूरे देश के अंदर अगर एक भी उदाहरण दूसरा हो तो आप बता दीजिए। हमारे यहां एक्सपर्ट डाक्टर नहीं हैं, कमी है। मैं हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने प्रयास किये और 950 पी.जी. की सीटें राजस्थान के लिये वह लेकर आये।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में हम राइट टू हैल्थ केयर की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त में राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी सोच रखते हैं कि हर नागरिक कानून के जरिये अपना चिकित्सा का अधिकार प्राप्त करे। राजस्थान में आयुष्मान भारत को भी लागू किया गया, जिसके माध्यम से 10 लाख लोग, जो वंचित थे, बीजेपी की सरकार होने के बाद भी, अपनी ही पार्टी की केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को जिन्होंने लागू नहीं किया था, इस सरकार ने लागू किया और 10 लाख नये लोग इसके अंदर एड हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जोधपुर से सांसद चुनकर गये हैं। भारत सरकार में सर्वशक्तिमान मंत्री बने हैं, जल संसाधन। उनके बनने के बाद यह बजट आ गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो नर्मदा का जल समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि नर्मदा का पानी जब गुजरात के खेड़ा जिले में पहुंच जाएगा तो बचा हुआ पानी राजस्थान को दिया जाएगा। गुजरात के खेड़ा जिले में नर्मदा का पानी पहुंच गया? क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह नर्मदा का पानी राजस्थान को क्यों नहीं मिल रहा है? यह भी कि माही-व्यास का समझौता हुआ था, वह पानी राजस्थान को क्यों नहीं मिल रहा है? अब जब बहुचर्चित राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री की एक चहेती योजना थी जवाई पुनर्भरण की योजना, क्या कारण है कि आज वह योजना भारत सरकार के पास हर जगह से क्लीयर होने के बाद पहुंच गई, फिर यह जो दो चरण में योजना है, इस बजट में इस योजना की स्वीकृति क्यों प्राप्त नहीं हुई? पूरा पाली जिला इससे लाभान्वित होता,

(श्री संयम लोढ़ा)

सिरोही जिले के अन्दर भी उसको लाभ देने का प्रावधान है। 25-25 सांसद राजस्थान की जनता ने जिता करके दिये, राजस्थान में आधुनिक जोधपुर के निर्माता अशोक गहलोत साहब के बेटे को हरा कर जिस व्यक्ति को सर्वोच्च सदन में भेजा गया, क्या जोधपुर संभाग के प्रति उस सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती?

एक माननीय सदस्य: दर्द यह है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने 300 सीटों का घमंड लेकर के बैठी हुई उस निर्मम और क्रूर सरकार को जमीन दिखाने का काम किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह छाती पीटें तो समझ में आये, छाती पीटने का वक्त है आपका, जीरो, डबल जीरो, दिल्ली में खाता नहीं खुला, आपको दिल्ली की शर्मनाक हार मुबारक हो।

श्री सभापति: विराजो, विराजो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, देश की जनता को क्या वादा किया था कि जितने भी दागी सांसद हैं उन दागी सांसदों के खिलाफ स्पेशल मामलों में सुनवाई के लिए हम स्पेशल कोर्ट खोलेंगे और उनके मामलों का निर्णय करायेंगे लेकिन आप 2019 की पार्लियामेंट उठा करके देखिये, माननीय सभापति महोदय, 42 फीसदी सांसद दागी हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इतना प्रचंड बहुमत बनने के बाद भी सूचना के अधिकार कानून को संशोधन के जरिये आपने कमजोर करने का काम क्यों किया? क्या मैं पूछ सकता हूं कि प्रिवेन्शन आफ करप्शन एक्ट, आपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को कमजोर करने का काम क्यों किया?

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार का बजट आ गया, सबसे लम्बा भाषण लेकिन पूरी तरह बेरंग बजट था। देश को आर्थिक मंदी से निकालने की किसी तरह की कोई तड़प उस बजट में नहीं दिखती। 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, आप इनके हिसाब-किताब निकाल करके देखो, माननीय सभापति महोदय, जो पैसे का प्रोविजन किया, उसका 11 परसेंट पैसा भी 100 स्मार्ट सिटी का खर्च नहीं हुआ, 89 परसेंट पैसा पड़ा रहा और सपना क्या,

(श्री संयम लोढ़ा)

स्मार्ट सिटी और अब फिर पांच नये शहरों को उन 100 के साथ और जोड़ दिया। क्या हुआ स्किल इंडिया का, क्या हुआ मेक इन इंडिया का, क्या हुआ डिजिटल इंडिया का?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में इन्टरनेट सेवा बंद करने में भारत पहले नम्बर पर है। आप ताज्जुब करेंगे, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा। भारत में इन्टरनेट शटडाउन 2012 में हुआ 3 बार, 2013 में हुआ 5 बार, 2014 में हुआ 6 बार, 2018 में हुआ 134 बार और अभी 2019 में 91, हजारों करोड़ रुपये का नुकसान देश की इकोनोमी को हुआ लेकिन गलत नीतियां, गलत फैसले, उस सबने पूरी दुनिया के बीच में भारत की छवि को धूमिल किया, भारत की आर्थिक तरक्की को प्रभावित किया। पूरी दुनिया की यह धारणा बनी है कि किस तरीके से भारत में निर्णय किये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, क्या वादा था कि काला धन लाएंगे, कहां है काला धन? माननीय सभापति महोदय, महंगाई, डीजल महंगा, पैट्रोल महंगा, दूध महंगा, प्याज महंगा, इन्होंने कौनसी चीज सस्ती करने का काम किया? और वो भारत सरकार की मंत्री जो कांग्रेस राज में जब 10 रुपये बढ़ते थे तो गैस का सिलेण्डर हाथ में लेकर के खड़ी हो जाती थीं, आज क्या गैस के सिलेण्डर के दाम भारत सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं दिख रहे?

माननीय सभापति महोदय, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के देश में क्या हाल हैं? एक करोड़ नौकरियों का वादा किया था ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पहले साल में ही नौजवानों को 31 हजार नौकरियां दीं, 40 हजार परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये, नियुक्ति की तैयारी है और 30 हजार की परीक्षा की तैयारी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, घड़ी तो देखो।

श्री सभापति: आप विराजो। मैं काहे के लिए बैठा हूं यहां पर। आप तय करोगे क्या यह? आप विराजो। पहले से ही तय है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर आपके अन्दर जनता के प्रति जरा भी प्रतिबद्धता है तो आकर के बताइये कि देश के कितने नौजवानों को नौकरियां देने का काम किया है, कितने एग्जाम कंडक्ट करने का काम किया है?

एयर इंडिया बेच रहे हो, कोल इंडिया बेच रहे हो। एलआईसी, हिन्दुस्तान की जनता को सबसे ज्यादा भरोसा एलआईसी पर था, उस एलआईसी का बंटाधार करने में लगे हुए हो। डेढ़ महीने तक एफडीआई के मुद्दे पर भारत की पार्लियामेंट नहीं चलने दी और अब सत्ता में आने के बाद डिफेंस में एफडीआई, रेलवे में एफडीआई और इस बार के बजट में तो आप हायर एजुकेशन तक में एफडीआई लेकर के आने वाले हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): बहुत बड़ा पाप किया ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) आप बैठो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, डालर के मुकाबले रुपया गिर रहा था तब कह रहे थे रुपया गिर रहा है और आपने आज रुपये का क्या हाल कर दिया है? काम धंधे बंद, फैक्ट्रियां बंद, दुकानें बंद, लोग दुकान के बाहर टेबल लगाकर बैठे हुए हैं, कोई ग्राहक भी नहीं आता है। यह हालात क्यों बने? नोटबंदी लेकिन आपके अन्दर इतनी ईमानदारी भी नहीं है कि आप स्वीकार कर सकें कि नोटबंदी हमारा एक गलत फैसला था।

जब सत्ता में थे तो जीएसटी का विरोध कर रहे थे, चिल्ला-चिल्ला कर विरोध कर रहे थे और सत्ता में आने के बाद आपने जीएसटी लागू की। लागू की तो की पर गलत तरीके से की। नोटबंदी के मामले में सौ बार आपको अमेंडमेंट लाने पड़े, जीएसटी में आपको 73 बार अमेंडमेंट लाने पड़े। आपकी कोई दृष्टि नहीं है, आपका कोई सोच नहीं है, आपका कोई विजन नहीं है, वो ही कारण है कि आज देश की विकास दर जमीन पर आकर के खड़ी हो गई है।

माननीय सभापति महोदय, आप भारत सरकार के वित्त मंत्री का बजट सुनिये, आधा दर्जन बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही करनी है तो राज में किसलिए आये हो? कांग्रेस ने तो ये रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया और आप बेचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये हवाई अड्डे बनाने का काम किया, आप बेचने का काम कर रहे हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, आप अभिभाषण पर प्रधान मंत्री जी का भाषण सुनिये, 23 बार पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम लिया, 23 बार, पंडित जवाहर लाल नेहरू तो वो आदमी है जिसने बच्चों के हाथ में गुलाब और किताब पकड़ाई थी और +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, प्लीज विराजें। आप विराजें। आप विराजें, प्लीज। (व्यवधान) आप विराजें। समय आप ज्यादा खराब करोगे तो आपका समय कटेगा। (व्यवधान) आप विराजिये, आप विराजिये। माननीय राठौड़ साहब। (व्यवधान) फिर देख लेना आपका समय कटेगा, बैठा तो मैं ही हूं यहां पर। समय कटेगा, क्यों खराब करते हो। आप विराजो, प्लीज।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह प्रोसिडिंग से निकालो आप।

श्री सभापति: आप विराजो। माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं पहला हूं, मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया।

श्री सभापति: आपका समय पूरा हो गया, बिलकुल समाप्त हो गया है, 40 मिनट तो लिखा हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कल माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता राजस्थान के हमारी पार्टी के नेताओं के वक्तव्य गिना रहे थे।

एक माननीय सदस्य: आपकी कौनसी पार्टी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कांग्रेस पार्टी तो एक खुली पार्टी है, उदारों की पार्टी है, प्रतिबद्धता की पार्टी है, अपनी जिम्मेदारी उठाने वालों की पार्टी है। देश के गृह मंत्री दिल्ली के चुनावों में क्या बोलते हैं? वोट का बटन इतनी जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग़ में लगे। करंट शाहीन बाग़ में तो नहीं लगा, वहां आपके कार्यालय में लग गया।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): यह क्या कह रहे हैं?

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, भारत सरकार के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं? देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): गद्दारों का क्या करोगे ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, विराजें। माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह भाषा है क्या बोलने के लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। मदन जी विराजें ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजें। प्लीज। आपका समय समाप्त हुआ ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): देश के गद्दारों को जूते भी मारेंगे ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): देश के गद्दारों के लिए कहा है। आप देश के गद्दारों के लिए क्या करते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य। आप बैठ जाइए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 40 मिनट में 72 बार मुख्य मंत्री को धन्यवाद देने से कुछ नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): गद्दारों की पैरवी मत करो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं 2 मिनट में वाइंडअप कर रहा हूं ...(व्यवधान) नहीं, यह तो कोई बात नहीं हुई ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मुख्य मंत्री जी को बधाई देने से कुछ नहीं होने वाला है ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई ...(व्यवधान) इस तरह से आप गलत चीज को कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): उपलब्धियों के बजाय कुंठा से ग्रस्त होकर के देश के प्रधान मंत्री के ऊपर एक के बाद एक ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): यह क्या बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं 2 मिनट बोलूंगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): जब तक नरेन्द्र मोदी इस देश में नेता हैं, तब तक कांग्रेस कभी शासन में नहीं आ सकती है। नरेन्द्र मोदी का यह संकल्प कि हिन्दुस्तान को अगर समृद्धिशाली बनाना है, विकसित बनाना है तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में आज देश का प्रधान मंत्री जिस तरह से एक के बाद एक नए फैसले लेकर के देश का गौरव स्थापित कर रहा है, उसके कारण इतने ज्यादा कुंठाग्रस्त आप हो गए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाएं। प्लीज, आप विराज जाएं ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): देश का प्रधान मंत्री, देश का प्रधान मंत्री, केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार, अपनी बात करो अगर दम है आपमें तो।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: ज्ञान जी पारख, आप चालू रखें ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: आपके सदस्य बोल रहे हैं, उनको तो आप कम से कम ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजें। उप नेता जी, विराजिए आप ...(व्यवधान) आप विराजें, ज्ञान जी बोलिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पहले दिन ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: संयम जी, बैठिए ...(व्यवधान) आपको टाइम मिल गया, ठीक है। ज्ञान जी बोलिए आप।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पहले पृष्ठ में आप पढ़ेंगे तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप इधर देखिए। ज्ञान जी, इधर देखिए ...(व्यवधान) ज्ञान जी पारख आप इधर देखिए, उधर मत देखिए ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): इस देश को आजादी दिलाने में सबसे महती भूमिका निभाई। जिसकी 150वीं जयंती आज हम मना रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: बैठिए, मंत्री जी आप बैठिए ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): 000

श्री सभापति: आप विराजें ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: आप विराजें मंत्री जी ...(व्यवधान) बोलने दें ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। आपने मेरा नाम पुकारा है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: विराज जाइए, विराज जाइए।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

डॉ. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: आप विराज जाइए ...(व्यवधान) अब तो विराजो ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, हाउस को आप कंट्रोल में लाएं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, प्लीज, स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा और परम पूज्य बापू का जिक्र किया। यह बापू की 150वीं जयंती ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): बापू ने विभाजन के वक्त जो पाकिस्तान में हमारे हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी रह गए थे, उनको वादा किया था। उनको विश्वास दिलाया था। हिन्दुस्तान तुम्हारा है, भारत तुम्हारा है ...(व्यवधान) जब भी तुम आना चाहो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिए। विराज जाइए ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पाकिस्तान से जो प्रताड़ित होकर के 2 करोड़ की संख्या में हिन्दू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी हिन्दुस्तान की धरती पर शरण लिए बैठे हैं, उनको जब नागरिकता देने की बात आती है तो उनका विरोध करना ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): प्रदेश के मुखिया द्वारा कहना कि हम राजस्थान की धरती पर सीएए लागू नहीं करेंगे। यह बापू के जो वचन थे, बापू का जो वादा था, उसके ऊपर आज प्रहार कर रहे हो। बापू ने वादा किया था। बापू ने वचन दिया था।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): जिक्र किया हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती का। यह जो असम में एनआरसी लागू करने का कमिटमेंट है न, वह हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी का है। उन्होंने ही वादा किया था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): उसके बाद भी आपकी सरकारें आईं। आपने हिम्मत नहीं दिखाई। आपमें दम नहीं था। आपने घुसपैठियों को बाहर करने के लिए जो एनआरसी का कमिटमेंट किया था उसको पूरा नहीं किया। आज जब हम उन घुसपैठियों को बाहर निकालने की शुरुआत कर रहे हैं तो आप उनके पक्ष में आगे आकर खड़े होकर इस देश का बंटाधार करने के लिए तैयार हो गए। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, परम पूजनीय बाबा साहब के संविधान बनाने का 70वां वर्ष, जिस कानून को देश की लोक सभा ने, राज्य सभा ने पारित कर दिया, ...(व्यवधान) राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत हो गए, संविधान की बात करते हो आप? संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर आपने छोड़ी नहीं है। बातें करते हो आप पूज्य बापू की, माननीय राजीव गांधी की, पूज्य बाबा साहब की, पर उनकी बातों का विरोध आपका हर कार्यकर्ता खुले आम सड़क पर कर रहा है। उसके कारण देश को कैसी स्थिति में लाकर आपने खड़ा कर दिया, यह आपके लिए सोचने का विषय है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी की मैं खुद तारीफ करता हूं, वे बहुत दयालु हैं। 20 हजार के करीब शरणार्थी उनके गृह जिले जोधपुर में मौजूद हैं जिनसे मुख्य मंत्रीजी स्वयं एक बार नहीं, कई बार मिल चुके हैं। एक नहीं अनेक बार उनको आश्वासन दे चुके हैं कि हम आपको राजस्थान की नागरिकता देंगे। इतना ही नहीं, जब मुख्य मंत्री थे तो केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर उनको नागरिकता कानून में संशोधन या कोई कठिनाई है तो उसको दूर करके, शिथिलता देकर उनको नागरिकता देने की बात करते आए हैं और आज क्या हो गया? हाईकमान का दबाव पड़ा तो अपनी बात से पीछे हट गए। उनके गृह जिले में जो शरणार्थी हैं, उनसे पूछ लो जाकर कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बार नहीं, कितनी बार उनसे वादा किया और आज अपनी बात से बदल रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, मात्र अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश हित के साथ मेहरबानी करके खिलवाड़ मत करो। देश हित सबसे पहले है, फिर राज्य का हित, फिर पार्टी का हित तो बाद में है। जो राष्ट्र हित के फैसले हैं उसमें कहीं आपके आका भटके हुए हैं तो उनको संदेश पहुंचाओ

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मेहरबानी करके कि राष्ट्र हित के जितने भी मुद्दे हैं, अगर आपने उसमें राष्ट्र हित का पक्ष नहीं रखा और पाकिस्तान की भाषा बोली तो लोक सभा में अभी तो आप 52 हो, 10 से भी कम तक ठहर जाओगे आप, यह आपको आने वाला कल बता देगा। (व्यवधान) इस मुगालते में आप रहना मत कि राजस्थान में आपकी सत्ता आ गई इसलिए आप खुशी से इतरा रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण की शुरुआत में चिकित्सा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी बात इन्होंने की। प्रदेश में जो बच्चे मरे, उनका पता है आपको? प्रदेश का एक भी बड़ा अस्पताल ऐसा नहीं है जहां इस एक साल के शासन में कम से कम सौ बच्चे आपकी चिकित्सा व्यवस्था की लापरवाही, अनदेखी, कमी के कारण मरे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जितने भी आपके नेशनल चैनल हैं टीवी के, इन्टरनेशनल चैनल हैं टीवी के, सारे के सारे देख लेते तो पता चलता कि कितने समय तक राजस्थान शर्मसार रहा है, कलंकित रहा है। हमारी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर और आप अभिभाषण में एक के बाद एक कहीं न कहीं जिक्र किए जा रहे हो? हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे। पहले आप अपनी व्यवस्था को मेहरबानी करके सुधार दो। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मेरे क्षेत्र में आए थे। पूछा क्या कमियां हैं बताओ, मैं दूर कर दूंगा। कमियां बताई तो कहा कि मैं जयपुर पहुंचूंगा तो 15 दिन में आपकी जो सारी कमियां हैं उनकी सारी पूर्ति करवा दूंगा। एक साल से ऊपर हो गया, वह पता नहीं पत्र उनके पास पड़ा है कि नहीं पड़ा है जो पाली से उनको मिला था और उसके एक भी बिन्दु पर आगे किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ और उसके बाद में चिकित्सा व्यवस्था पर अपनी बात कहना यह आपको शोभा नहीं देता।

माननीय सभापति महोदय, बात की आपने किसान की आमदनी बढ़ाने की। लिखा है आपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़े एवं उनके जीवन स्तर पर में गुणात्मक सुधार आ जाए, इस हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। थोड़ा बता दो आप मेहरबानी करके कि क्या काम करेंगे? ऐसा कौनसा आपने काम कर लिया? आपको पता है कि माननीय प्रधान मंत्रीजी जब पहली बार प्रधान मंत्री बने, तब से इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो अन्नदाता है, उसकी स्थिति जैसी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा बदतर और कमजोर है। उस समय से ही शुरुआत कर दी और यह संकल्प ले लिया कि वर्ष 2022 तक मैं किसान की आमदनी को दुगुनी करूंगा

(श्री ज्ञानचंद पारख)

और उस दिशा में एक नहीं अनेक योजनाएं उन्होंने लागू कीं। उनकी योजनाएं तो सबको पता है। कोई भी जिंस है उसका समर्थन मूल्य लगभग-लगभग डेढ़ा या दुगुना बढ़ा दिया उन्होंने कि आमदनी बढ़े उसकी। कभी प्राकृतिक आपदा आई तो अनुदान की राशि भी उन्होंने लगभग डेढ़ी कर दी। फसल बीमा में जो सरलीकरण किया, जो नए नियम बनाए तो फसल बीमा योजना लागू होने के बाद में पिछले पांच सालों में जो फसल खराबे का लाभ किसान को मिला है, वह पिछले पन्द्रह साल की तुलना में लगभग पांच गुना से भी ज्यादा है। मेरा क्षेत्र खुद गवाह है इस बात का, जहां दो साल में एक किसान के खाते में पांच-पांच, छह-छह लाख रुपये आए हैं। एक परिवार को बीस-बीस लाख रुपए, जो फसल खराबा हुआ उसके बीमे का मिला है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी भूमि, हमारी मिट्टी जो हमको अनाज देती है, हमको उपज देती है, किसी प्रधान मंत्री ने कभी नहीं सोचा कि इसकी कोई उत्पादक क्षमता होती है, अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो किसान का उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। वह काम भी उन्होंने चालू किया। किसान के लिए एक नहीं, कई सारी योजनाएं शुरू कीं, उनसे उसकी आमदनी बढ़ेगी, उनसे उसकी आय बढ़ेगी, आपके सवा साल में आपकी कोई एक योजना या एक काम बता दो जो किसान की आमदनी को बढ़ाने में सहायक होगा। आपने तो किसान के ऊपर बोझ डाल दिया। आते ही पहले साल में डीजल पर वैट, पहली ही साल में डीजल पर वैट। डीजल जितना किसान की खेती में काम आता है, उतना शायद दूसरे वाहनों में काम नहीं आता है। जिस गांव में चले जाओ, खेती में सबसे ज्यादा उपयोग डीजल का होता है। सीधा-सीधा किसान की जेब से पैसा गया, आपके इस डीजल के वैट की वजह से।

माननीय सभापति महोदय, माफ किया था आपने कर्जा, कितना किया? बातें क्या की थीं आपने विधान सभा चुनाव के दौरान? दस दिन के भीतर-भीतर हमारी सरकार आने के, किसान का जो भी फसली ऋण है, वह सारा का सारा माफ कर देंगे। कितनों का माफ किया, थोड़ा आंकड़ा बता दो आप। गांव में जाकर पूछो किसान से, अधिकांश लोग आपको यही कहेंगे कि हमारा माफ हुआ है और वह भी कितने लम्बे समय के बाद? ज्यादातर संख्या वह है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में थे या मारवाड़ ग्रामीण बैंकों में थे। आज भी उस वादे को लेकर आपको कोस रहे हैं, आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपने

(श्री ज्ञानचंद पारख)

वादा तो सब का किया था और अब आप थोड़े में जाकर क्यों सिमट गए? मैं याद दिलाना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि यह राजस्थान का किसान है, जल्दी भूलने वाला नहीं है, यदि मौका मिलेगा तो आपकी वादा खिलाफी का अंजाम भी बता देगा आपको। इसलिए मौका है अभी कि जो वादा आपने किया है उसको आप निभाओ और किसान का कर्जा जो आपने कह रखा है उसको आप माफ करो।

माननीय सभापति महोदय, चाहे बिजली का बिल हो, जो आपने कमिटमेंट करने के बाद भी बढ़ा दिया। क्या उसका फर्क किसान को नहीं पड़ेगा? जब प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी हम किसान के रूप में मानते हैं तो यह बढ़ा हुआ बिल उसके खाते में भी तो आने वाला है। फिर उसका जीवन स्तर आपके माध्यम से कैसे सुधरेगा? कैसे लाभ मिलेगा उसको? आपने उसको कौनसी योजना दे दी, तारबंदी के लिए उसको पैसा दे दिया या खाद, बीज डीजल में अनुदान दे दिया उसको या आपने उसकी फसल का जो भारत सरकार समर्थन मूल्य दे रही है राज्य सरकार की ओर से कोई सहायता राशि दे दी कि हम भी अपनी ओर से दो रुपये किलो या दो सौ रुपये क्विंटल उनको अलग से अनुदान देंगे, सहायता देंगे।

कृषक कल्याण कोष का भी गठन किया आपने। एक हजार करोड़ का जिक्र आपके इस अभिभाषण में है। इस एक हजार करोड़ के किसान कल्याण कोष का कितना लाभ किस किसान को दिया, इस सदन को बता दें एक बार। एक भी किसान को इस कृषक कल्याण कोष के गठन के बाद किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला।

(14.00 बजे)

अब तो आपको लाभ देने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। टिड्डी की वजह से प्रदेश के किसानों को कितना नुकसान हुआ, वह सारा का सारा आंकड़ा आपके पास आ गया। नुकसान कितना हुआ और उसके एवज में जो आपदा कोष से सहायता मिलती है, वह कितनी है, उसका आंकड़ा भी आपके पास आ गया। दोनों का अंतर आपके पास है, किसान को नुकसान कितना हुआ और अनुदान कितना मिला। यह जो आपका एक हजार करोड़ का किसान कल्याण कोष है न, मेहरबानी करके उसका ताला खोलें आप और जो बीच के नुकसान का अंतर है, उसमें आप जो अधिकतम दे सकते हैं, वह दें। तब तो आप किसान के हित की बात करें। उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने

(श्री ज्ञानचंद पारख)

की बात करें। उसकी आमदनी को ऊंचा उठाने की बात करें। वह सार्थक होगा, वरना बातें तो कहने की हैं बहुत सारी और करने को कुछ नहीं।

किसान के लिये एक भी योजना आप सवा साल में नहीं लाये। आपका पिछला बजट आप देख लें। बजट का मौका आने वाला है। थोड़ा मुख्य मंत्री जी से आप कह दीजिएगा। जो एक साल पहले भूल चूक हो गयी, इस बार किसान को एक हजार करोड़ का जो यह कृषि कल्याण कोष है, उससे कितनी सहायता राशि दे सकते हैं, वह आप देने की बात करिएगा।

माननीय सभापति महोदय, जब कल अभिभाषण पर नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात की थी, पूरा सदन गवाह है कि वे अभिभाषण पर चंद लाइनें बोले होंगे और पूरा का पूरा समय उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी पर टीका-टिप्पणी करने में लगाया। किसकी बात कर रहे हैं? छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती आपको? उनका व्यक्तित्व, नेतृत्व जो है, वह आपकी पहुंच के बाहर है। पहली बार में सीधे गुजरात के मुख्य मंत्री, वह भी लगातार 13 साल तक, ऐसे ही नहीं बने। कोई काम किया होगा, कोई काबिलियत होगी, कोई योग्यता होगी, तब जाकर लगातार मुख्य मंत्री बने 13 साल तक। पहली बार लोक सभा का चुनाव लड़ा, पहली बार देश को नेतृत्व दिया तो पहली ही बार में पूर्ण बहुमत के साथ 282 सीटों के साथ इस देश के प्रधान मंत्री बने वे। आप तो एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं, एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं और बात करते हैं उनकी जो 2014 में 282 सीटों के साथ आए।

पूरा जोर लगा दिया, पूरा विपक्ष एक हो गया, पूरे घोड़े दौड़ा दिये, कई सारे वादे कर दिये, कई सारी घोषणाएं कर दीं कि गरीब को 6 हजार रुपये प्रतिमाह देंगे, कई सारे कांच दिखा दिये और 2019 के चुनाव में 282 सीटों से बढ़कर 303 सीटों के साथ वे फिर इस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। पहले प्रदेश के मुख्य मंत्री, प्रदेश के नेता। फिर देश के प्रधान मंत्री, देश के नेता और उससे भी आगे बढ़कर आज पूरे विश्व को माननीय नरेन्द्र मोदी जी नेतृत्व दे रहे हैं, इस बात को समझकर आपको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारे देश के प्रधान मंत्री इतने यशस्वी हैं, इतने गौरवशाली हैं कि आज पूरा विश्व उन्हें नमन करता है, उनका सम्मान करता है। यह मानना पड़ेगा आपको। कहने से कुछ नहीं होता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दस मिनट तो साहब व्यवधान की स्थिति थी।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, वह तो सबका बिगड़ेगा। सबका बिगड़ ही रहा है। आप विराजें अब।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, कैसे-कैसे काम इस देश में इन पांच सालों में हुए और विशेष तौर से इस एक साल में। कश्मीर का 370, 35 ए का वह अध्याय कलंक था हमारे ऊपर जिसके कारण हम अपने ही कश्मीर को अपना नहीं मान पा रहे थे। कितनी धमकियां मिलती थीं। कैसी-कैसी बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि अगर किसी ने हिम्मत कर दी तो देश में खून-खराबा हो जाएगा, आग लग जाएगी। चुटकियों में 370 और 35 ए को हटाकर पूरे कश्मीर में अमन-चैन और शांति कायम कर दी। एक भी दंगा, एक भी मृत्यु वहां पुलिस की गोली से नहीं हुई। 500 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा जो कि हम सबकी आस्था से बंधा हुआ है वह कोई हिन्दू-मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। इस देश का प्रत्येक नागरिक जो अपने आपको भारतीय कहता है, अपने आपको हिन्दुस्तानी कहता है, उसके लिये राम एक आस्था के केन्द्र हैं।

श्री सभापति: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): उस मुद्दे को भी कितनी जल्दी निपटा दिया। सीएए का भी कानून ला दिया। हमारी मुस्लिम बहनें, जिनके ऊपर तीन तलाक की तलवार थी, उन्हें भी उससे मुक्ति दिलवा दी। एक नहीं अनेक काम।

श्री सभापति: अब समाप्त करें प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, दो मिनट में अपनी बात करके समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने जो योजनाएं एक साल में बंद कीं, मैं उनकी जानकारी दे देता हूं। श्रमिक कल्याण योजनाओं में आपने एक साल में राजस्थान के किसी श्रमिक को लाभान्वित नहीं किया। हमारी सरकार के काल में जो करोड़ों का बजट था, आपने उस पर ताला मार दिया, कुंदी लगा दी। पालनहार योजना का पैसा विधवा बहनों का, 8 महीने से अधिकांश जिलों में इसकी राशि नहीं पहुंच रही है। विधवा की पुत्री की शादी, बीपीएल की पुत्री की शादी, एक साल में एक भी विधवा या बीपीएल की पुत्री

(श्री ज्ञानचंद पारख)

को पाली जिले में इसका पैसा नहीं मिला, मैं राजस्थान की बात नहीं करता। सड़कों के मामले में एक गौरव पथ को छोड़कर आपने एक भी नयी सड़क नहीं दी। मैं इस अभिभाषण जो कि असत्य का पुलिंदा है, उसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य

साम्भर झील में हुई पक्षी त्रासदी

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, साम्भर झील राजस्थान के जयपुर, अजमेर व नागौर जिले के लगभग 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। साम्भर भारत की सबसे बड़ी अन्तर्देशीय नमक झील है। साम्भर झील का जल संग्रहण क्षेत्र लगभग 5700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह एक विस्तृत लवणीय क्षेत्र है, जिसमें शुष्क मौसम में लगभग 60 सेंटीमीटर एवं मानसून में लगभग 3 मीटर गहराई में पानी रहता है।

यह झील एक राजस्व क्षेत्र है, जिसका कुछ हिस्सा नमक बनाने के लिये केन्द्र सरकार के उपक्रम साम्भर साल्ट्स लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया है। भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 9 प्रतिशत उत्पादन साम्भर से होता है। पक्षियों की मृत्यु की रिपोर्ट मिलने पर राजस्व और पशु चिकित्सा अधिकारियों के एक दल ने 10.11.2019 को क्षेत्र का दौरा किया और बर्ड फ्लू की जांच हेतु नमूने एकत्रित किये। वन विभाग के समीपस्थ दूदू रेंज के स्टाफ को भी इस कार्य में सहयोग हेतु लगाया गया एवं काचरोदा नर्सरी में एक रेस्क्यू सैंटर स्थापित किया गया।

जयपुर एवं नागौर जिले के राजस्व कर्मी, नगरपालिका के कर्मचारी, वन विभाग व पशुपालन विभाग के कर्मी, एसडीआरएफ के नागरिक सुरक्षाकर्मियों द्वारा चिकित्सा स्थल पर लगातार शव एकत्र किये गये। साम्भर साल्ट के कर्मचारियों और स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी इस कार्यवाही में सहयोग दिया। अजमेर जिले में भी मोनिटरिंग कार्य लगातार सम्पादित किया गया।

मैंने स्वयं माननीय कृषि मंत्री जी के साथ जाकर प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग; सचिव, पशुपालन विभाग एवं

(श्री सुखराम विश्नोई)

सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का निरंतर दौरा किया गया एवं मुआयना कर निस्तारण एवं रेस्क्यू कार्य देखा गया। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा भी निरंतर स्थिति पर नजर रखी गयी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की टीम द्वारा भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया है।

राज्य पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन विभाग, भारत सरकार को प्रोटोकाल के अनुसार सूचित किया गया तथा राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग केन्द्र, भोपाल द्वारा 14 नवम्बर, 2019 को प्राप्त रिपोर्ट में पक्षियों में बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है। बीकानेर से आये विशेषज्ञ डा. ए. के. कटारिया ने Botulism नामक बीमारी की पूर्ण सम्भावना जतायी। अत: पक्षियों के शवों को शीघ्रातिशीघ्र दफनाया गया ताकि अन्य स्वस्थ पक्षियों के भी बीमार होने की आशंका नहीं रहे। Botulism के कारण पानी का भराव, पानी के स्तर में उतार-चढ़ाव तथा नमक की सांद्रता में बदलाव हो सकता है। यह बीमारी उत्तरी अफ्रीका, यूरोप आदि में भी होती रहती है तथा इस रोग से उन क्षेत्रों में लाखों की संख्या में पक्षी मरते हैं।

पक्षियों की मृत्यु के सम्बन्ध में एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में लम्बित है। इसके साथ ही उक्त विषय में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी एक प्रकरण विचाराधीन है। इस क्षेत्र में मुख्यत: केन्द्र सरकार के उपक्रम साम्भर साल्ट्स लिमिटेड का अधिकार है जिनके द्वारा नमक उत्पादन के अतिरिक्त किसी निजी संस्था से करार कर पर्यटन गतिविधियां आरम्भ की गयीं, जिसके दुष्प्रभाव विचारणीय हो सकते हैं।

कुछ क्षेत्रों में नमक उत्पादन के लिए स्थानीय लोगों को बिना किसी योजना बनाये तथा उनके परिणामों की परीक्षा किये पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में सूचना उद्योग विभाग से मंगाई जा रही है। राज्य में स्टेट वेटलैण्ड अथोरिटी का गठन 27.11.2019 को किया गया है। यह भारत सरकार वेटलैण्ड्स रूल्स, 2017 के अन्तर्गत किया गया है। इसका कार्य राज्य वेटलैण्ड्स के संरक्षण एवं सतत प्रबंध को प्रोत्साहित कराना है। सांभर झील के सम्बन्ध में स्टैंडिंग कमेटी फोर मैनेजमेंट आफ सांभर लेक का गठन 24.12.2019 को कर दिया गया है। यह कमेटी विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा सांभर झील के प्रबन्ध को मानीटर करेगी तथा वेटलैण्ड्स अथोरिटी के

(श्री सुखराम विश्नोई)

निर्णयों को लागू करेगी। आज भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी की प्रथम बैठक आयोजित की गई।

सांभर साल्ट लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है जो एक कम्पनी है तथा इस कम्पनी के डायरेक्टर से मैंने स्वयं आज जानकारी चाही तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी और स्वीकार किया है कि कम्पनी द्वारा आनलाइन टेंडरिंग व्यवस्था की गई है।

श्री सभापति: माननीय राठौड़ जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट में मुझे बिल्कुल भी गम्भीरता नजर नहीं आई। मंत्री जी, यह विश्व की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी हुई, पूरी दुनिया के अन्दर राजस्थान और सांभर लेक बदनाम हुई। पहले सुना करते थे कि रामायण में एक सुरसा राक्षसणी थी जो परछाई को नीचे देखकर पक्षियों को निगल जाती थी, उस तरह से इस झील की आपने हालत कर दी है। सभापति महोदय, मेरा जो मूल प्रश्न था, वह यह था, मैंने यह कहा था कि सांभर साल्ट की जो अथोरिटी है उसने 15 जनवरी को देवयानी और वनगढ़ क्षेत्र के अन्दर कैचमेंट एरिया में टेंडर आमंत्रित किये हैं। मेरा प्रश्न इसलिए था कि जहां टेंडर आमंत्रित किये गये हैं, इसी 26 अगस्त को जिला प्रशासन ने इनको नोटिस देकर जिस जगह पर आज टेंडर आमंत्रित हो रहे हैं उन लोगों को उनका कारोबार बन्द करने के लिए नोटिस दिया और यह कहा कि आप गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। मंत्री जी, आपको मालूम है कि 1971 को रेमसर, ईरान के अन्दर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, एक प्रोटोकाल निर्धारित हुआ वेटलैण्ड झीलों को पूरे विश्व में बचाने के लिए। उसके अन्दर सिग्नेटरी हिन्दुस्तान भी था और 1990 में सांभर झील को रेमसर साइट के अन्दर दर्ज किया गया। 2010 की विनोद कपूर कमेटी तत्कालीन सरकार ने बनाई कि सांभर साल्ट झील में जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसको किस तरह बचाया जाए। 2015 के अन्दर NEERI की रिपोर्ट आपके पास आई और उसके बाद आप जो कह रहे हैं न कि वेटलैण्ड कंजर्वेशन रूल्स, 2017, जिसके अन्तर्गत आप कह रहे हो कि हमने यह वेटलैण्ड अथोरिटी बना दी जिसके आप खुद अध्यक्ष हो और इसकी एक भी मीटिंग आपने अभी तक नहीं की। मेरा निवेदन यह है, वेटलैण्ड कंजर्वेशन रूल्स, 2017 यह कह रहे हैं कि इसके बफर जोन के अन्दर, दो किलोमीटर के अन्दर किसी भी प्रकार का खनन का काम नहीं किया जा सकता।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, जिस सांभर झील की मैं चर्चा कर रहा हूं, यह झील कभी 207 किलोमीटर थी और आज 90 किलोमीटर में रह गई है। मंत्री जी, आप खुद कह रहे हो कि आप जाकर आये हो तो क्या यह सही नहीं है कि आप झील पर गये, आपकी फोटो प्रकाशित हुई और उसके अन्दर लगभग 2 हजार से ज्यादा इकाइयां अवैध रूप से नमक का खनन कर रही थीं? हजारों ट्यूबवैल इस सांभर झील के पेटे में, पैरीफेरी के अन्दर लगे हुए थे, कई-कई किलोमीटर दूर केबल वायर लगी हुई थी, कई-कई किलोमीटर से पाइपलाइन लगाकर ब्राइन वाटर की चोरी करके लोग उस पानी के उपयोग से नमक बना रहे थे। आप यह कह रहे हो कि यह भारत सरकार का उपक्रम है, निश्चित तौर पर है पर राजस्थान सरकार ने जब भारत सरकार से एमओयू किया, उनकी शर्तें क्या थीं, वह आप मुझे बता दें। क्या यह सही नहीं कि आप जिन पक्षियों की बात कर रहे हो, एक-दो नहीं, 26 हजार पक्षी मरे हैं? ये 26 हजार पक्षी 32 प्रजाति के हैं जो छोटी बात नहीं है। ये सारे पक्षी ढाई हजार से लेकर दस हजार किलोमीटर दूर से चलकर आये। ये प्रवासी पक्षी वापस लौटकर नहीं गये और इसमें हमारी पूरी दुनिया के अन्दर बदनामी हुई कि पक्षी मरे।

आपने जो उच्च न्यायालय का हवाला दिया, उच्च न्यायालय के आदेश से एक कमेटी बनी इण्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली उसमें थी, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एनिमल डिजीज, भोपाल उसमें थी, एपेक्स सेंटर फोर एनिमल डिजीज इन्वेस्टिगेशन, मानीटरिंग और सर्विलेंस, न्यू दिल्ली उसमें थी और राजस्थान वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी, बीकानेर उसमें थी। मंत्री जी, आप बतायें कि इन तीनों की जो रिपोर्ट थी, इसमें आपने कहा कि एवियन बोटलिज्म बैक्टीरिया से पक्षी मरे, हां इससे मरे। इससे पक्षियों के जो पंख हैं उनमें लकवा मार जाता है और पक्षी डूबकर मर गये। यह जो एवियन बोटलिज्म बैक्टीरिया था, क्या इसके फैलने का कारण झील में प्रदूषण होना नहीं था? क्या इसके फैलने का कारण झील में आक्सीजन की कमी नहीं थी? क्या इसके फैलने का काम झील के अन्दर जो अब लगातार इस तरह से खनन का अत्यधिक काम हो रहा है वह नहीं था? वन मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी अध्यक्षता में जो वेटलैण्ड अथोरिटी बनी हुई है यह वेटलैण्ड अथोरिटी 10 अप्रैल, 2018 में बनी और आप उसके अध्यक्ष हैं तो आप उसकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सांभर झील विकास प्राधिकरण बनाओगे, या नहीं बनाओगे यह भी हमें स्पष्टता से बताएं। आप उसको वाइल्ड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लाइफ सेंक्चुअरी घोषित करोगे या नहीं करोगे? आपकी कोई नमक नीति है क्या? इसका प्रबन्धन का काम तो आपने सांभर साल्ट का बता दिया।

सभापति महोदय, इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। मंत्री गये और कहा कि न तो यह वन क्षेत्र है, न यह प्रोटेक्टिव वन क्षेत्र है इसलिए मेरा लेना-देना नहीं है। पशुपालन मंत्री जी गये, मेरा कोई सम्बन्ध ही नहीं है इससे। मैं समझता हूं कि यह आप पूरे देश के अन्दर राजस्थान की बदनामी करा रहे हैं और यह स्थगन प्रस्ताव इसीलिए मैंने लगाया है। मंत्री जी, आप गम्भीर रहो। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने 15 जनवरी को जो टेंडर और पैरीफेरी के अन्दर जो वेटलैण्ड अथोरिटी बनी हुई है, वेटलैण्ड कंजर्वेशन रूल्स, 2017 बने हुए हैं जो रेमसर की साइट में दर्ज हुआ, उसकी जो शर्तें हैं, जो कपूर समिति की शर्तें हैं, जो NEERI की रिपोर्ट के आधार पर 2 किलोमीटर बफर जोन के अन्दर उच्च न्यायालय और एनजीटी का फैसला भी यह कहता है तो क्या आपने इनको अनुमति दे दी क्या? सभापति महोदय, छोटी बात नहीं है, प्राइवेट उद्यमी आ रहा है, वहां नमक का खनन कर रहा है, नमक की चोरी हो रही है यह अलग बात है और इसलिए मैंने सवाल उठाया कि अगली बार फिर ये प्रवासी पक्षी आएंगे और इस प्रकार यह झील फिर सुरसा की झील नहीं बन जाए इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें जरा गम्भीरता से सारी बात साफगोई से बताएं।

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह जी लूथरा। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, स्थगन के माध्यम से हमारे उप नेता ने जो बात रखी है, मैं उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। सभापति महोदय, जिस तरीके से इन्सान बुद्धिजीवी होने के नाते जितने भी कानून उसने बनाये वे अपने अनुकूल बनाये और अपने आपको सेफ रखते हुए कानून के दायरे के अन्दर वह अपना जीवनयापन करता है। यदि इन पक्षियों को भी बोली आती या ये भी अपने अधिकारों की मांग के लिए कोई धरना प्रदर्शन कर पाते तो मेरे ख्याल से ये भी अपना जीवन बचा पाते लेकिन, सभापति महोदय, इन पक्षियों की जो त्रासदी है वह राजस्थान के लिए तो कलंकित है ही, इसके साथ-साथ में राजस्थान सरकार ने अभी तक किसके खिलाफ कार्यवाही की? आपने कहा कि मुकदमा दर्ज हुआ, किसके खिलाफ हुआ? उस मुकदमे में क्या कार्यवाही की गई? आखिरकार इन पक्षियों के मरने का क्या कारण था? आज सरकार कह रही है कि बर्ड फ्लू की वजह से इनकी

(श्री रामलाल शर्मा)

मौत नहीं हुई तो मौत का कारण क्या वहां अवैध रूप से जो कनेक्शन हो रखे हैं उनसे करंट की वजह से हुआ या इस सांभर झील के अन्दर दूषित पानी हुआ या इस दूषित पानी के अन्दर किसी ने पाइजन डालने का काम किया? आखिरकार कोई न कोई कारण तो जरूर है इन पक्षियों की मौत का। सभापति महोदय, इन पक्षियों की यह कोई साधारण मौत नहीं है, 25 हजार से अधिक पक्षियों की मौत हो जाए और उसके बाद भी राजस्थान की सरकार यह कहे कि सीएमओ के अन्दर हमने इस प्रकार के एक सैल का गठन किया है और इसके ऊपर हम पूरी मानीटरिंग कर रहे हैं। सभापति महोदय, जब तक इस पूरे प्रकरण की जांच हो, जांच में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हो और जो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, पानी की चोरी कर रहे हैं, नमक बनाने का काम कर रहे हैं और आखिर आपकी कौनसी मजबूरी है जिसकी वजह से आप कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए किसी को तो आप जिम्मेदारी दो कि उस व्यक्ति की वजह से, उस संस्था की वजह से या इन लोगों की वजह से इस प्रकार से 25 हजार पक्षियों की मौत हुई है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय, वह जो दरी है जिस पर आप विपक्ष में रहकर धरना देने का काम करते हो न, उस दरी का आप मोह छोड़ो। आप राजस्थान सरकार के जिम्मेदार मंत्री हो, जब आपकी सरकार नहीं रहे तब उस दरी को काम में लेना। अभी तो आप मंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करने के लिए गम्भीरता से काम करो और जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही करो और भविष्य में इस प्रकार की त्रासदी नहीं हो इसके लिए आपको काम करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, जैसे पक्षियों की मौत का 26 हजार का आंकड़ा बता रहे थे उसमें 22976 पक्षियों की मौत हुई है और 520 पक्षियों को बचाया गया।

माननीय सभापति महोदय, अवैध खनन की बात कर रहे हैं। अवैध कूप की बात कर रहे हैं। पिछले 5 साल में ही अवैध कूप वहां खोदे गये। हमने वे कुए बंद किए, आज की तारीख में कोई अवैध कुआ नहीं चल रहा है। साथ ही पिछली सरकार ने एक...

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य, आप विराजें। जवाब दे रहे हैं। सदस्य आप विराजें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): सभापति महोदय, पिछली सरकार ने एक चंद्रा ग्रुप से एमओयू किया, बाकायदा वहां पर होटल खोला। न तो फोरेस्ट से एनओसी ली, न एनवायर्नमेंट से एनओसी ली, बिना एनओसी के होटल वहां चल रही है। बिना एनओसी के वहां पर छोटी रेल चल रही है। साथ ही सांभर साल्ट लिमिटेड है, भारत सरकार का उपक्रम है। किस तरह से एमओयू राजस्थान सरकार के बीच में हुआ है। उसकी जांच परख करेंगे, व्यवस्थित तरीके से आइंदा इस तरह की कैजुअल्टी नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप अवैध होटल की बात कर हो, किसने हाथ बांधे हैं आपके, हटाओ न आप। अगर हमने किया तो हम इधर बैठे हैं। हमने किया, हमारे समय में, हटाओ उसको आप, कौन मना कर रहा है... (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): आपने किया है। न फोरेस्ट से एनओसी ली, न एनवायर्नमेंट की एनओसी ली, न उस चंद्रा ग्रुप ने जिसके कब्जे में वह जमीन थी, न उसने इत्तला की कि पक्षी मर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरा आरोप है कि जो अवैध रूप से 15 जनवरी को टेंडर हो रहे हैं, उनको जान-बूझकर आप बचाने का काम कर रहे हो। मेरा आरोप है आप पर।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): हम कोई बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपका ही प्रयास है उसमें।

श्री सभापति: माननीय शकुन्तला जी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, 15वीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए मुझे मौका दिया। सभापति महोदय, जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है, उसी दिन से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक विकास, आमजन के चेहरे पर एक खुशी दिखायी दे रही है और जो मेरे साथी विपक्ष में बैठे हैं, उनको उठकर टोकना इस तरह से है, ये चाहे तो बिना पानी नाव चला दें, पत्थर में फूल खिला दें तो इनकी बोली का और

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उठने का कोई अंत नहीं, कोई जनाधार नहीं है। मुझे खुशी है सरकार द्वारा विकास की धारा समृद्ध राजस्थान बनाने में कामयाब हो रही है। सरकार ने प्रदेश में लोक कल्याणकारी योजनाएं, जन सेवा, पारदर्शी, संवेदनशील कार्य प्रणाली हमारी सरकार की, जो राज्य को विकसित करने की दिशा में नये आयाम स्थापित कर रही है।

महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर, राज्य में संविधान निर्माण की जयंती पर, दो दिवस का विशेष सत्र भी बुलाया गया था। सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नैतिक आदर्शों, सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, ग्राम स्वराज्य सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए राज्य विकास की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। राजस्थान प्रदेश के आमजन को नि:शुल्क और सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, जनता क्लिनिक खोलना, निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारम्भ करना, गंभीर रोग की दवाएं अधिकतर नि:शुल्क दी जा रही हैं। बीपीएल एवं वरिष्ठ नागरिकों की एमआरआई, सीटी स्कैन, आरयूएचएस मेडिकल कालेज, जयपुरिया अस्पताल में नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। 24 जुलाई से रूबेला अभियान प्रारम्भ किया गया और टीकाकरण से करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिला। राज्य में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ई-सिगरेट के विक्रय पर, भण्डारण पर, विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया। 15 नये मेडिकल कालेज खोले गये चरणबद्ध रूप से, पंचायत मुख्यालयों पर आयुर्वेद चिकित्सालय, औषधालय खोले गये। अभी हर बात पर जो यहां पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं, जिनके नाम की फिल्म भी है। वे मंत्री महोदय अभी दो एक दिन पहले कह रहे थे कि इतने बच्चे मर गये। ऐसा हो गया, सरकार में इतने मर गये, बड़े शर्म की बात है, लेकिन, पूर्व मंत्रीजी से मैं पूछना चाहूं कि पहले बांसवाड़ा में मरे थे और उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि हड़ताल हुई, जब सैकड़ों लोग मरे थे और फिर इस तरह की बात बोल रहे हैं तो यह कैसी धारणा है, इसका मतलब गलत है।

राजस्थान में पिछली बार कितनी बार हड़ताल हुई, शर्मसार हुआ, कितने लोग मारे गये, सिर्फ और सिर्फ हड़ताल के कारण, पूर्ववर्ती सरकार की नाकामी के कारण। वो तो आपको बैठना ही है। हमारा प्रयास यही है कि अब नहीं मरे, अब नहीं मरने चाहिए, हमारा प्रयास ये है और आपकी गलतियों को सुधारने के लिए जो पिछली सरकार गलती कर गई थी। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, सभापति महोदय, एक बच्ची को भर्ती कराया गया कोटा में,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

नाबालिग से बलात्कार केस में, उसको छुट्टी दे रहे थे। मैं वहां मिलने गई, सीएमएचओ साहब से बात की, कह रहे थे कि पूर्ण रूप से स्वस्थ है। यहां चिकित्सा मंत्री और सारे लोग आ गये, सरकार यहीं है, मैडम इसकी सेवा में है। मैंने जब उस बच्ची को देखा और डेन्टिस्ट और आई स्पेशलिस्ट को बुलाया तो उसका जबड़ा टूटा हुआ था, आंख का आपरेशन हुआ, जबड़े का आपरेशन हुआ, कितनी शर्म की बात है। वहां आपकी सरकार जाकर आई थी। एक दूसरे पर इस तरीके से बातें करना, आपकी जो गलतियां थीं, नाकामियां थीं, उनको सुधारने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है।

किसानों के हित के लिए कृषक कल्याण योजना बनाना, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि महाविद्यालय खोलना, किसान सेवा पोर्टल शुरू करना, लघु और सीमान्त वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना को लागू करना, जिसमें 75 वर्ष से कम वर्ष की आयु और उससे अधिक को एक हजार और साढ़े सात सौ रुपये दिये जाएंगे। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कें बनवाना, किसानों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना, आनलाइन किसानों का पंजीकरण करना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना।

(14.28 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

पिछड़े वर्ग के लिए इस सत्र में राजकीय महाविद्यालय में 5 प्रतिशत की छूट देना और पिछली सरकार दो-दो बार बनी और दो-दो बार आरक्षण के नाम पर किस तरह से खून बहाया, वो कभी नहीं भूल सकते और कांग्रेस सरकार ने आते ही, पांच परसेंट बंजारा, लुहार, राईका, गडरिया, गुर्जर सभी जातियों को एक अहिंसात्मक तरीके से बिना लड़ाये जाति धर्म को और आरक्षण दे दिया, जिससे पिछड़े वर्ग को, इन आदिवासियों को सभी पोस्टों पर आरएएस हों, डाक्टर्स हों, कितने गरीब के बेटे-बेटी सरकार सर्विस में भागीदार हुए। सवर्ण का एक बना तो दिया कि सवर्ण को आरक्षण देना, उसमें एक प्रतिबद्धता लगा दिया, धन्यवाद है राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को जिन्होंने सम्पत्ति की सीमाओं को दूर किया। प्रदेश में 55 वर्ष से अधिक आयु और विधवा परित्यक्ता को, तलाकशुदा को पेंशन में वृद्धि की, दिव्यांगों की पेंशन में वृद्धि की, सिलिकोसिस के लिए नई नीतियां बनाई, जनजाति रोजगार

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मेले का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया गया। आदिवासी क्षेत्र में एकलव्य नवीन मॉडल आवासीय विद्यालय खोले गये। महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया गया। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाकर 4,500 रुपये से 5,750 रुपये, सहायिका का 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,250 किया गया तो इस तरह आम जन का ध्यान रखते हुए सरकार ने हर वर्ग के हर जन का ध्यान रखा है। घूमंतु हो, अर्ध घूमंतु हो, विमुक्त जातियों के लिए 50 वर्ग गज का नि:शुल्क भूखण्ड देने का काम कर रही है सरकार। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम कर रही है सरकार। विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले गए। मुख्य मंत्री महोदय ने आपकी बेटी योजना अंतर्गत अध्ययनरत छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जिससे बच्चियों को लाभ मिलेगा और आपने तो क्या किया, भीमराव अंबेडकर जिनका नाम लेते हैं, बड़े-बड़े गुणगान करते हैं उस विधि विश्वविद्यालय को बंद करने का काम आपकी सरकार ने किया। हमारी सरकार बनते ही हरिदेव जोशी पत्रकारिता को खोल दिया गया। प्रदेश में रिक्त पदों को भरा गया जो इतने सालों से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पशुधन सहायक के रिक्त थे और नए केन्द्र खोले गए। दूध के लिए उचित मूल्य 1 फरवरी से 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया गया किसानों के लिए। आवारा पशुओं के लिए नंदी शाला खोली गई। छोटे और बड़े पशुओं का अनुदान बढ़ाया गया। मुख्य मंत्री युवा संबल योजना के तहत लाखों लोगों को लाभान्वित किया गया। स्टेट बीपीएल परिवारों को एक रुपये किलो गेहूं दिया जा रहा है। यह कांग्रेस सरकार की कामयाबी है। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़-पौधे लगाने के लिए योजना बनाई गई और बाड़मेर में 1195 हैक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाए गए। लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके राजस्थान के विकास में चार चांद लगा दिए। प्रदेश के जिलों और तहसीलों में ई-मित्र प्लस मशीनें स्थापित की गई हैं। सभापति महोदय, जो मशीनें ई-मित्र पर, हैं तहसील स्तर पर, वह चालू हैं जबकि पिछली सरकार की एक मशीन थी जो ढाई-ढाई लाख रुपये में प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर लगाई गई और कलेक्ट्रेट में, लेकिन पूरे राजस्थान में एक भी जगह पर उस मशीन का सदुपयोग नहीं हुआ।

बात करते हैं शहीदों की, शहीदों के लिए राज्य सरकार द्वारा उनके

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

आश्रितों को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करना, यह हमारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार के माननीय मुख्य मंत्रीजी की संवेदनशीलता है कि वे देश के युवा को, देश के एक शहीद को कितना चाहते हैं। शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन 1,500 रुपये से 3,000 रुपये और द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों की विधवाओं को 4,000 रुपये से 10,000 रुपये की। यह इतना सराहनीय काम है कि शहीद के पीछे रहने वाला परिवार इससे खुशी से रह सके, खुशहाली से रह सके, यह सारी चीजें की हैं। चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, 20,000 से बढ़ाकर 25,000 करना और सर्किट हाउस हो, राजस्थान हाउस हो, वहां उन स्वतंत्रता सेनानियों को ठहरने के लिए व्यवस्था करना और खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण देना, यह कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा सराहनीय कदम है जो पूरे राजस्थान के आमजन को छूने वाला है, प्रोत्साहित करने वाला है।

सड़कों के लिए, जैसे ही सरकार बनी, पिछले पूरे 5 वर्ष में, सभापति महोदय, मैं यहीं मौजूद थी कितनी बार प्रश्न लगाए कि राजस्व गांव को जोड़ने के लिए कितनी सड़कें बनाई गई। एक भी सड़क पूरे 5 साल में राजस्व गांव को जोड़ने की नहीं बनाई गई। बड़े शर्म की बात है यह सभापति महोदय। कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद अभी राजस्व गांव जो 500 की आबादी वाले हैं उनको जोड़ने का काम किया है। सड़कें मंजूर हो गई और काम भी चालू हो गया और पिछले पूरे 5 साल में एक भी राजस्व ग्राम को जोड़ा हो तो आप गांव बता दें, कौनसा गांव जोड़ा था हम देख लेंगे। नेट पर आ जाता है, नेट देख लो खोलकर। आपको नहीं आता तो आपके पोते-पोतियों या बेटों को आता होगा। जो अधिक आबादी वाले गांव हैं उनको जोड़ना मिसिंग लिंक में और जो बड़े टूटे हुए रोड हैं उनका काम भी चालू हो गया। अभी एक यह बात कर रहे थे नागरिकता और सीएए वाली, सभापति महोदय, जब सेंटर से बन गया कोई कानून तो लागू तो होना ही है लेकिन उसको बांटा किस तरीके से जा रहा है, उसको पेश किस तरह से किया जा रहा है। 'गणेश, गुरुनानक, खुदा, यीशु, राम, रहीम, मौलवी, फादर, पण्डित सब एक झरने की धार हैं, आज देश के शीर्ष नेता भारत हिन्दुस्तान इंडिया को बना दिया निराधार है।'

इस तरह की चाल चल रहे हैं। सभापति महोदय, भारत देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतिहास में अंकित है। अखंडता, अनेकता, एकता, धर्मनिरपेक्षता की मिसाल माना जाता है भारत देश। विदेशों में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उदाहरण है। उस भारत देश को आजादी मिलने के बाद देश के हालात किस तरह बिखर गए थे उन हालात को एक सूत्र में बांधने का काम सम्माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, जितने हमारे प्रधानमंत्री रहे उन्होंने किया और इस देश को स्थापित किया। अणु-परमाणु शक्ति, हरित क्रांति, शिक्षा में, बैंकों का एकीकरण, वैज्ञानिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से इस देश को इस मुकाम पर लाए कि पूरे वर्ल्ड में भारत देश को जाना जाने लगा।

सभापति महोदय, देश की वर्तमान सरकार अपने कुछ मित्रों को व्यापारिक फायदा पहुंचाने के लिए देश को भटकाने का काम कर रही है। हर डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर रही है, निजीकरण कर रही है पैट्रोल कंपनियों का। यह तो करें तो करें लेकिन गरीब रथ को भी करने जा रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है। निजीकरण का काम करने जा रहे हैं। पहले कहा जाता था जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे कि पैट्रोल महंगा हो रहा है। काला धन ले करके आएंगे। महंगाई को जड़ से खतम कर देंगे। रोजगार की तो पूरे देश में गंगा बहा देंगे लेकिन आज के हालात क्या हैं, सभापति महोदय, देश में फरमान जारी कर दिया, कानून बनने से पहले सबसे सलाह लेकर बनाते तो कौन मना करता। एक धर्मनिरपेक्ष देश को धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। कानून बनाते, एक युवा को रोजगार देने का कानून बनाते, किसान को संबल देने का कानून बनाते, शिक्षा का कानून बनाते, स्वच्छ भारत का नारा देते, पोलीथिन को बंद करके तो देखते दिल्ली में पहाड़ खड़ा कर दिया 5 साल में।

सभापति महोदय, देश की जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। किसान की दुगुनी आय करने वाले थे। भाई-बहनों, दुगुनी आय हो जाएगी आपकी और नीम का खाद मिलेगा। भारत देश का किसान इंतजार कर रहा है, सभापति महोदय, कि किस दिन वह नीम का खाद कौनसी मालगाड़ी में लादकर किसान के खेत तक, गांव तक, ढाणी तक पहुंचने वाला है। दुगुनी आय कौनसे बैंक से आने वाली है। युवा इस तरह की बात नहीं करें, उसको भटकाने का काम किया है कि वह रोजगार की बात नहीं करें। जनता देश के विकास की बात नहीं करे। आम व्यक्ति अपने घर की बात नहीं करे। पोर्टल को जब चाहे खोल देते हैं और जब चाहे बंद कर देते हैं। गांव में बैठा गरीब आदमी इंतजार करता है कि कब पोर्टल खुलेगा। यह भ्रष्टाचार हुआ है। अब

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

यह भी एक नया भ्रष्टाचार का काम है कागज बनाने का जैसे पंचायती राज में हुआ था कि शिक्षा का कानून लागू कर दिया। करते तो एमपी, एमएलए से करते। वहां बीईओ, डीईओ, चक्कर पर चक्कर काटते रहो।

इसी तरीके से इसका उदाहरण अब आसाम में मिल रहा है। इतने लोगों को नेशनल रजिस्टर सिटीजन, यह क्या है? किसमें शामिल करेंगे, अगर धर्म के नाम पर बांटते हैं तो कहां जायेंगे यह 19 लाख लोग? आज कोई यह बता दे कि इस भारत देश में कौनसा धर्म, कौनसी जाति, कौनसे वर्ग का खून देश की आजादी के लिये इस धरती माता ने नहीं पीया हो।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): तो फिर धर्म के नाम पर बंटवारा क्यों किया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आज के वर्तमान भारत का आप कर रहे हो। शर्म की बात है, आज आप कर रहे हो। इस वैज्ञानिक युग में आप कर रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। कौनसा धर्म है मुझे बता दें आप, कौनसी जाति है जिसने अपने लहू से इस धरती माता का, भारत का टीका नहीं लगाया हो।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पूरे हिन्दुस्तान को धर्मशाला बना दो। कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ, देखो वहां जाकर। पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है, वह देखो जाकर।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, बड़ी शर्म की बात है कि आज के ...

श्री सभापति: रुकिए आप एक मिनट, रुकिए एक मिनट। ज्ञानचंद जी, आप विराजिए, विराजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): इन्होंने कई बार टोका है मुझे।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, यह बदले की भावना नहीं है। आपको टोका तो आप भी टोकेंगे, मैं ऐसे बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको इस तरह से बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहिये, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। इतने वरिष्ठ सदस्य हैं आप, बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आपको टोका तो आप भी टोकेंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, आज के

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

वैज्ञानिक युग में, कौनसे युग की बात करते हैं। आज के स्किल इंडिया के युग में यह बात कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। सभापति महोदय, डूब मरने वाली बात है, इस तरह की बात आज के युग में करना। पता नहीं क्या परिस्थितियां रहीं प्राचीन काल की, लेकिन आज के युग में ऐसी बात करना, धर्म के नाम पर बांटना, धर्म के नाम पर कहना, जाति के नाम पर कहना। हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म का व्यक्ति क्रांतिकारी हुआ था। भारत माता पर शहीद हुए हैं, फांसी लगी है, गोली खाई है, इस लहू से तिलक किया है।

बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, स्किल इंडिया की, डवलपमेंट इंडिया की, नये भारत की, कौनसे भारत की बात करते हैं? देश आज विकास के पथ से भटक गया है। कहते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करते, ऐसा नहीं करते तो उन पत्थर मारने वालों के साथ वहां मिलकर सरकार क्यों बनाई? क्यों बनाई राज के लिये, कुर्सी के लिये? कुर्सी के लिये समझौता कर लिया, यह किस चीज का उदाहरण है? कुर्सी के लिये समझौता करना यह कैसा उदाहरण है? आज कहते हैं कि मुख्य मंत्री यह कहते हैं, कौनसे दिन मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि शरणार्थियों को हम नागरिकता नहीं देंगे या किसी भी वर्ग को नही देंगे। कब कहा? हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने आज तक कभी नहीं कहा। राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय संवेदनशील हैं। उन्होंने इस तरीके की बात कभी नहीं की और हमारे किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने भी कभी इस तरीके की बात नहीं की। सभापति महोदय, यह बड़े शर्म की बात है। यह भारत देश को विकास पथ से भटका कर डिजिटल में, कौनसे डिजिटल में, धर्म के डिजिटल में ले जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है यह डिजिटल नहीं, स्किल नहीं, क्रिटिकल इंडिया बनाने जा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय, अब समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक मिनट, मैं राजस्थान की सरकार और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। अलवर में एसपी आफिस खोला, बानसूर में कालेज की वित्तीय स्वीकृति, नारायणपुर में उप तहसील से तहसील बनाया, स्कूल क्रमोन्नत हुए, पशु केन्द्र खुले, हरसोरा में पीएचसी से सीएचसी हुई, टूटी सड़कों का निर्माण हुआ, रिक्त पदों को भरने का काम किया, राजस्व गांवों को किया, यह एक विधान सभा क्षेत्र का है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): दो लाइन मैं जरा विपक्ष को तो बोल लूं साहब।

श्री सभापति: आप समाप्त करें, आपने अपनी बात कह दी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): "हवा के साथ उड़ गया घर इस परिंदे का, न जाने कैसे बनाया था घोंसला, वह तूफान क्या जाने," कौनसे देश के विकास की यह बात करते हैं, न जाने कैसे कैसे देश के विकास की धारा में कांग्रेसी और क्रांतिकारी बलिदानी इस देश को विकास की धारा में लाये थे। यह बीजेपी वाले क्या जाने, हवा में बात करने वाले क्या जाने, हवा में बात करने वाले क्या जाने, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण साधारणत: सरकार के अगले वर्ष का दर्पण होता है, प्रगति का मापदंड होता है लेकिन तथ्यों के विपरीत यदि उनके मुख से गलत कहलवाया जाये, असत्य कहलवाया जाये तो यह उनके साथ तो अन्याय है ही, साथ ही राजस्थान की सात करोड़ जनता के साथ भी यह गलत साबित होता है। एक नया अभिभाषण तो हुआ लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं गत वर्ष जब 17 जनवरी, 2019 को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उस अभिभाषण में भी कई बिन्दु ऐसे हैं जिन पर पूरा साल भर बीत गया लेकिन सरकार ने उस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। आप बिन्दु 24 उठा लीजिए, आपने संविदाकर्मियों को स्थाई बनाने की बात कही। एक साल हो गया, कमेटी गठित हो गई, मीटिंगें होती रहीं लेकिन आज तक उस ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। जब प्रश्न में पूछा तो कहा कि अभी विचार किया जा रहा है।

बिन्दु 49 देख लें, उसमें कहा गया, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाया जायेगा। उस पर सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। गौशालाओं की बात हो रही थी, उसमें लिखा हुआ है गौशालाओं में शैड, पेयजल, चारा और चिकित्सा की सुविधा देंगे, लेकिन उस ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, बड़ी बड़ी बातें हुईं।

बिन्दु 53 में लिखा है जिसको बहुत जोस्जोर से कहा गया कि 20000 स्कूल पिछली सरकार ने बंद कर दीं, हम खोलेंगे। अब आने वाला है बजट, मैं पूछना चाहूंगा कि 20000 में से आपने कितने स्कूल खोले? बड़ी-बड़ी बातें विपक्ष में कहकर बैठना सरल होता है लेकिन जब तथ्यों की ओर

(श्री वासुदेव देवनानी)

जायेंगे तो ध्यान आयेगा कि वह स्कूल सही मर्ज की गई थीं। इस तरह की बातें महामहिम राज्यपाल के मुख से कहलवाना शोभा नहीं देता। उसमें कहा गया है हम नये समृद्धशाली राजस्थान का निर्माण करेंगे। वह सपने क्यों दिखा रहे हो, कैसे निर्माण करोगे? आपके पास पैसा है क्या? यदि मैं कहूं कि आर्थिक दृष्टि से राजस्थान दिवालिया की स्थिति की ओर जा रहा है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके सारे विकास के काम ठप पड़े हैं। बार-बार सारे विभागों से मांग करते हैं, सारे अधिकारी कहते हैं कि साहब पैसा नहीं है। विभागों में पैसा नहीं है सड़कों के लिये। मैंने दो चार मंत्रियों से भी बात की है, कहेंगे तो आपके सामने उनसे कहलवा दूंगा। अधिकारियों ने कहा है कि पिछली सरकार के जो कार्यादेश थे, अनौपचारिक रूप से कहा गया है कि काम मत शुरू करो, हमारे पास पैसा नहीं है। तीन हजार करोड़ रुपये तो ठेकेदारों का बाकी है। प्रदर्शन कर चुके। बहुत बोलते हैं तो कहते हैं कि पांच लाख रुपया ले जा, दस लाख का चैक काट दिया लेकिन पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे।

यह सरकार कर्मचारियों की हितैषी बनती है, अभी तक उनका डीए पिछले चार-पांच महीने से बकाया है, दूसरा डीए ड्यू हो गया, कर्मचारियों को नहीं दे पा रहे हो लेकिन 200 करोड़ का प्लेन खरीदने की ओर तो जरूर आगे बढ़ोगे, यह कहां का न्याय है। बार-बार कहेंगे कि केन्द्र से पैसा नहीं मिल रहा है। आपने राजस्व कितना कलेक्शन किया, राजस्थान के राजस्व कलेक्शन में 14 हजार करोड़ की कमी आई है। केन्द्र उसी में से तो आपको प्रतिशत देगा। आपका कलेक्शन नहीं हो रहा और कलेक्शन क्यों नहीं है क्योंकि आपके पास आर्थिक प्रबंध की कोई योजना नहीं और योजना न होने के कारण कर्मचारियों को वेतन भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। एक महीने का दिया तो अगले महीने के वेतन की चर्चा करते हैं कि कैसे दिया जाये। आर्थिक प्रबंध नहीं कर रहे हैं, इसका असली कारण ढूंढ़ो। उसका कारण है कि आपकी सरकार के शक्ति के दो केन्द्र बने हुए हैं। कर्मचारी, अधिकारी किसी की नहीं सुनते, राजस्व कलेक्शन करते ही नहीं हैं। सीएम और डिप्टी सीएम के दो ख़ेमे यदि बने हुए होंगे तो प्रशासन में पकड़ नहीं रहेगी, किसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे नहीं। नये राजस्थान का निर्माण करेंगे, इसका केवल सपना दिखाते रहो।

यहां तक कि विधायक कोष, जो हमारा सवा दो करोड़ रुपये का अधिकार है, उसमें से भी आपने केवल आधा पैसा रिलीज किया है और आधे पैसे में भी राजस्व के कई नियम खातेदारी के लगा दिये, जिससे किसी विधायक का वहां पर काम नहीं हो सके। अजमेर उत्तर में मैं एक करोड़ के

(श्री वासुदेव देवनानी)

प्रस्ताव दे चुका हूं। बारबार उस पर आब्जेक्शन करके लटकाया जाता है। दिये हुए छह-सात महीने हो गये हैं, लेकिन आज तक एक भी टेण्डर नहीं हो पाया है, यानी इस प्रकार इनडायरेक्टली दबाव डालने की स्थिति बनी है। बिना आर्थिक मजबूती किये आप राजस्थान का भला नहीं कर सकते।

दूसरा, आप संविधान की बड़ी दुहाइयां देते हैं। संविधान बचाव की बड़ी-बड़ी बातें करते हो। मैं उधर नहीं जाता, नेशनल मुद्दों पर। बाकी सदस्यों ने सीएए और दूसरे मुद्दों पर बोल लिया। हम लागू नहीं करेंगे, यह आपके घर की खेती नहीं है कि लागू नहीं करेंगे। सदन के अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि सरकार को लागू तो करना पड़ेगा, इसलिए उस मुद्दे पर नहीं आता हूं। 45 साल बाद पंचायतों एवं जिला परिषदों पर आपने प्रशासक नियुक्त किये हैं। ये आप कौनसे संविधान की पालना कर रहे हो? आपको चुनाव करवाने थे। आप चुनाव में कई प्रकार के रोड़े अटकाते गये। कोर्टों ने रोका। आपने पहले तो बेईमानी करके, साढ़े तीन हजार पर एक वार्ड, कोई वार्ड दस हजार का। जहां पर कांग्रेस जीत सकती है, वह साढ़े तीन हजार का बनेगा। कहीं विपक्ष का है तो दस हजार का बनेगा। यह कौनसा न्याय है, लेकिन इसके बावजूद भी आप चुनाव तो करवाओ, चुनाव करवाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आप कोर्टों में गये, अब तो मजबूरी है। आपने तीन निगमों में नहीं किये। आप जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोट रहे हो, वह जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यहां तक कि केन्द्र के द्वारा नियमों का पालन नहीं करके आप संघीय ढांचे पर प्रहार लगा रहे हो। पंचायतों को आपको पैसा देना था। केन्द्रीय वित्त आयोग के 1840 करोड़ रुपये जो सीधे पंचायतों में जाने थे, वे आज तक नहीं गये। राज्य वित्त आयोग के 1 हजार 48 करोड़ रुपये सीधे पंचायतों को जाने थे, वे आज तक नहीं गये और आप पंचायती राज की मजबूती का बड़ा-बड़ा दावा करते हो। आपके कई दावे खारिज हो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई तो दो, लोकतंत्र का तो करो।

यहां तक कि संविधान में लिखा हुआ है-बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, लेकिन आप तो पत्रकारों को धमकियां दे रहे हो कि आप विज्ञापन तो हमसे लेंगे और दूसरों का छापेंगे तो यह नहीं चलेगा। यह पहली बार है। पहले तो इमरजेंसी में कहा, लेकिन यह छोटी इमरजेंसी लगा दी कि आप पत्रकारों को धमकाने लग गये। अगर राजनीतिक प्रतिशोध से बात करेंगे तो राजस्थान का विकास नहीं होगा। आपने मीसा बंदियों की पेंशन रोक दी। आप

(श्री वासुदेव देवनानी)

स्वतंत्रता सेनानियों को दे रहे हैं, अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों ने क्या कसूर किया? जो 19 महीने जेल में थे, इंदिरा के समय जब आपातकाल लगा तो उसके खिलाफ आपने जेल में बंद किया। एक सरकार करती है और दूसरी आकर निरस्त करती है, यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संविधान की पालना हो रही है? मन के अंदर राजनीतिक प्रतिशोध का भाव है। एक पेंशन देने से आप पर कोई कर्ज नहीं आ रहा है, लेकिन पैसे लुटाने के नाम पर आपने.. मीसा बंदियों के लिए तो आपके पास पैसे नहीं हैं, आर्थिक उत्थान के लिए पैसा नहीं है। आप बैकडोर से हजारों करोड़ का टैक्स लगाते जा रहे हो, 4 परसेंट वैट लगाकर आपने 18 हजार करोड़ रुपये की इनकम कर ली, स्टेट टोल टैक्स आपने बंद कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा, यह सब जनता देख रही है।

माननीय सभापति महोदय, यदि इस प्रकार का दृश्य चला तो जनता कभी भी उबलकर सड़क पर आ सकती है, फिर इनके लिए रोकना कठिन हो जाएगा। आपने बड़ी बातें कीं। हम निरोगी राजस्थान बनाना चाह रहे हैं। 'निरोगी राजस्थान' कैसे बनाएंगे? पिछले एक साल के अंदर 18 हजार से ज्यादा बच्चों की मौत इस राजस्थान के अस्पतालों में हुई है। जितने भी मेडिकल कालेजों से संबंधित चिकित्सालय हैं, 13 हजार से अधिक बच्चे इनमें मौत के शिकार हुए। जितने जिला अस्पतालों में हुए उससे ज्यादा बच्चे इनमें मौत के शिकार हो गये और ब्लाक स्तर पर भी हुए हैं। इतने बच्चों की मौत के बाद भी कभी सरकार यह नहीं कहती कि हमारी कोई कमी रही है। मैंने प्रश्न पूछा, कहते हैं किसी का दोष नहीं है। सारे उपकरण भी हैं, सारी सुविधाएं भी हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं तो फिर मौत के शिकार क्यों हो रहे हैं? इससे ज्यादा संवेदनहीनता आज तक इतिहास कभी नहीं रही, बिल्कुल संवेदनहीन। कोर्ट ने भी आपको कह दिया कि जरा उसकी समीक्षा करो। अब यह डंडा कोर्ट का पड़ा है कि आप कमियां ढूंढो, आगामी वर्ष का एक्शन प्लान लाओ। तब जाकर आप नींद से जग रहे हो। क्यों भइया, आपका बेटा होता, आपका बच्चा होता और चला जाता तो आपकी किस तरह की फीलिंग होती? 18 हजार से अधिक बच्चों के साथ इस तरह का दृश्य होना और आप उस पर चुप्पी साधे हुए हो और कुछ इम्प्रूव नहीं कर रहे हो।

मैं अजमेर के हास्पिटल में गया हूं। जब मुझसे मांग की तो मैंने भी अपनी ओर से उपकरण भेंट किये हैं, ऐसा सभी लोग कर रहे हैं। हमारे कोटा में तो पांच विधायकों ने अपने विधायक कोष से पैसे दिये हैं। दस-दस लाख

(श्री वासुदेव देवनानी)

रुपये दिये हैं। हम कह रहे हैं कि 15 मेडिकल कालेज खोलोगे, बड़ी-बड़ी बातें, बहुत खुशी है लेकिन कहां से खोलेंगे, आपके पास स्टेट शेयर ही नहीं है, 15 हास्पिटल के लिए लगभग 2 हजार करोड़ रुपये, केवल स्टेट शेयर चाहिए। आप तो आर्थिक कंगाली पर चल रहे हो। मैं निश्चित रूप से इस सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप अपने कार्यकाल में 15 मेडिकल कालेज खोलकर बता देना, चालू करके बता देना। खुला तो, प्रारम्भ में तो ठीक है, शिलान्यास कर लोगे, फोटो खिंचवा लोगे, लेकिन वह हास्पिटल और मेडिकल कालेज वर्किंग में आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आप आर्थिक प्रबंधन के नाम पर आप जीरो हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या आप ज्योतिषी हैं?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपके सारे कर्म देखकर कह रहा हूं। ये आपके कर्म हैं। मैं कर्मकाण्ड का व्यक्ति हूं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): देवनानी हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं देवनानी हूं, मैं कह रहा हूं वह आप बता देना। आप तो यहीं सदन में रहेंगे, मैं भी सदन में रहूंगा, अगली बार भी आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, ये कहते हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। बड़े दावे हो रहे थे कि इतने पदों पर हमने नियुक्तियां दे दीं। बेरोजगार कितने हैं? राजस्थान में 27 लाख बेरोजगार युवकों के रजिस्ट्रेशन हैं, आपने उसमें से केवल डेढ़ लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है, बाकी साढ़े पच्चीस लाख कहां गये? उन साढ़े पच्चीस लाख को कोई पूछने वाला नहीं है। नौकरियों की बात करें तो आप जो नौकरियां गिना रहे हैं, ये हमारे समय की विज्ञप्तियां हैं। हमारे समय में कोर्ट में किसी कारण से किसी बालक ने अटका दिया। आप सारी की सारी उन्हीं लोगों को दे रहे हैं। आपने कौनसी विज्ञप्तियां जारी कीं, जिसके आधार पर परीक्षा हुई या इंटरव्यू हुए और उनको नियुक्तियां दी गयीं। इसका हिसाब-किताब तो बताएं, लेकिन आपके पास कोई हिसाब-किताब नहीं है। न नौकरी देंगे, न बेरोजगारी भत्ता देंगे। केवल सदन में बोलकर बाहर वाहवाही लूटते रहेंगे। युवा बिल्कुल तैयार बैठा है। वह आक्रोशित है। युवा के मन में आक्रोश है। वह चाह रहा है कि मैं कुछ और करूं, लेकिन युवा देख रहा है कि मेरी गलती से राजस्थान रो रहा है। हमारे वोट देने से यह जो सरकार 0.5 परसेंट से बन गयी, इसलिए पूरा राजस्थान रो रहा है और उसकी कसर तो दिल्ली में निकाल दी, जो इनके डबल जीरो आया है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

पैसे की बात करें, स्कूल की शिक्षा की बात करें। आपके एमडीएम में अध्यापकों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। बच्चों को सवेरे नाश्ता मिलता है, उसके ऊपर भी आपने कुण्डली मार रखी है। यहां तक कि अन्नपूर्णा दूध योजना का पैसा चार-छह महीनों से अध्यापकों और स्कूलों को नहीं पहुंचा है तो फिर आप बच्चों के उद्धार की बात कैसे करते हो? और तो और शिक्षा मंत्री जी चले गये। महापुरुषों का अपमान करना शायद इनका स्वभाव है। इन्होंने अभी-अभी सर्कुलर जारी किया है। उसमें लिखा है कि आप केवल स्कूलों के अंदर और सभाकक्ष में चित्र केवल राजीव जी, नेहरू जी और डा. अंबेडकर के लगाएंगे, कि भइया बाकी के महापुरुषों के हटा दें। क्या बाकी के महापुरुष नहीं थे? सुभाष चन्द्र बोस महापुरुष नहीं हैं? झांसी की रानी नहीं हैं? डा. हेडगेवार महापुरुष नहीं हैं? वीर सावरकर महापुरुष नहीं हैं? आप इतनी संकीर्णता बरतेंगे, आजादी के आंदोलनकारियों को यदि जाति के अंदर बांटेंगे, दलों के अंदर बांटेंगे तो फिर यह हिन्दुस्तान नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के आंदोलन को..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अभी मेरे 10-12 मिनट ही हुए हैं, मुझे 15 मिनट का समय दिया हुआ है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। सहयोग करें। आपके लीडर ने आपका समय निर्धारित किया है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं दो-चार मिनट में समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भ्रष्टाचार, अपराध और मानव तस्करी में.. भ्रष्टाचार में राजस्थान टापर, अपराध में टापर। यदि थानों में एफ.आई.आर. दर्ज होगी, आपके राजस्थान के मंत्री परसादी लाल जी मीणा के कहने से एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती, बाद में दूसरे मंत्री के पास जाते हैं, तब जाकर एफ.आई.आर. दर्ज होती है। मानव तस्करी में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के हजारों बच्चे, जिन्हें रोकने का नाम तक नहीं। इन्होंने कहा कि हम भिखारियों से जयपुर को मुक्त करेंगे, फिर धीरे-धीरे राजस्थान को मुक्त करेंगे। आज 22500 भिखारी पंजीकृत हैं, उनके पुनर्वास की योजना का कुछ पता नहीं है। पुनर्वास केन्द्र खोले गये, बड़ी-बड़ी बातें हुई थीं।

जल स्वावलम्बन की बात कही तो आपने राजनीतिक प्रतिशोध में

(श्री वासुदेव देवनानी)

मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना तो बंद कर दी। राजीव गांधी के नाम पर आपने शुरू की। आपने किया क्या? कितने गांवों में काम हुए? कितने काम हुए? कहीं कोई पता नहीं। गिरते भू-जल को रोकने के लिए किसी प्रकार का कुछ नहीं। यह सारी स्थिति इसलिए बनी है कि...

(15.00 बजे)

श्री सभापति: समाप्त करिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): राजस्थान की चिंता हमारे मुख्य मंत्री को नहीं है। मैंने तीन मिनट कहा था, मैं खतम कर दूंगा। राजस्थान की चिंता नहीं है। उनको चिंता केवल अपनी कुर्सी बचाने की है। वह दिल्ली के चक्कर काटने में है और यहां तक कि रात-दिन केवल मोदी जी को और आरएसएस को गाली देने के अलावा उनके पास समय नहीं है। आरएसएस तो वह संस्था है जिसने हर आपदा में समाज का काम किया है, हर संकट के समय लोगों के लिए आगे आए हैं। देशभक्त लोगों की संस्था है और उनका गुणगान मैं ज्यादा नहीं करता, आपके समय के अनुसार। आरएसएस जैसे देशभक्त संगठन को केवल गाली देने से आप अपने को गाली दे रहे हैं, अपने महापुरुषों को गाली दे रहे हैं, इससे राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। केवल एक-दूसरे को नीचा मत दिखाओ। राजस्थान की चिंता करो। दिल्ली में तो नंबर बढ़ते जाएंगे, राजस्थान का विकास तब होगा जब सीएम और डिप्टी सीएम एकमुखी होकर सारे अफसरों की नकेल कसेंगे और विपक्ष का सहयोग लेंगे। विपक्ष को गाली देना छोड़ेंगे, प्रधान मंत्री को गाली देना छोड़ो। हमारे प्रधान मंत्री आपके भी प्रधान मंत्री हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सीएम को भी गालियां मिलेंगी, प्रधान मंत्री को भी मिलेंगी। हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने इंदिरा जी को देवी तक, दुर्गा माता तक कहा था। कुछ तो शर्म करो। मोदी जी देश के नेता हैं, देश के नेता का सम्मान करो। विश्व के अंदर सर्वोच्च स्थान पर भारत को ले जा रहे हैं। आइए सहयोग करिए। छोटी-छोटी संकीर्णता की राजनीति छोड़िए। जाकर राजस्थान के विकास की बात करो। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सभापति महोदय, काफी अच्छी बहस चल रही है। राठौड़ साहब मेरी तरफ दत चित्त होकर देख रहे हैं। राठौड़ साहब बहुत भाग्यशाली हो। मैं भी वहां बैठा करता था लेकिन मेरी सीट तीसरे नंबर पर थी। आप ही के पद पर था। यह गौशाला नहीं है हिंगोनिया की, जहां गायें मरें, प्रचार गौ माता का करें। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि गाय मरने के बाद भी बीजेपी में हैं। इन्होंने एक दिन नहीं कहा कि गाय जिसके कारण मरी, अव्यवस्था के कारण मरी, उसकी जांच तक नहीं करा पाए। मैं आपके विरोध में नहीं हूं। आपका भला चाहता हूं।

श्री सभापति: समय की सीमा है माननीय रामनारायण जी। वार्तालाप के बजाय आप सीधे अपने अभिभाषण पर आएं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): यह ज्ञान उस कुर्सी से मैंने बहुत दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने दो साहब।

श्री सभापति: आपके लिए समय निर्धारित कर दिया। वार्तालाप बाहर जाकर करना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): वह सामने बैठते हैं इसलिए सीट का असर आ जाता है। माननीय, आप दोनों का ध्यान रखिए। सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था हम पार्टी की बात कर रहे हैं, देश का भी ध्यान रखना चाहिए। आप तो डिप्टी मिनिस्टर रहे थे तब कितना लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के ऊपर कर्जा था? राजस्थान सरकार के ऊपर कितना कर्जा था? ज्ञान थोड़ा बढ़ाइए। 2019 में भारत सरकार के ऊपर 88 लाख करोड़ का कर्ज हो गया था और मोदी जी कहते हैं, सब कुछ ठीक है, भारत ठीक है, अच्छा चल रहा है और गरीब बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। आप थोड़ा इसको सोचिए। उधर बैठे हैं तो आप मोदी जी की पार्टी हो गए। चूंकि देश का प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी है, पार्टी बाद में है। गर्ग साहब, पार्टी बाद में है। सौभाग्य है कि आप जैसा समझदार आदमी वहां बैठा है, फिर भी बोलता नहीं है, डरता है।

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान की कृषि उपज मिनिमम प्राइस में क्यों नहीं ली जा रही है? पहले कभी नहीं होता था कि इतने लाख टन लेंगे, 25

(श्री रामनारायण मीना)

हजार टन लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। यह कभी नहीं कहा गया। जब से आप शासन में आए हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पोषक कौन है हिन्दुस्तान में, इतना बता दीजिए? अमेरिका से दोस्ती कौन रखता है, इतना बता दीजिए? ब्रिटेन के पक्ष में कौन बोलता है, इतना बता दीजिए? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प से दोस्ती क्यों कर रहे हैं, यह भी बता दीजिए?

माननीय सभापति महोदय, आपने देखा होगा, आप तो मंत्री रहे हैं, सरकार रहे हैं, हमारे डीआरडीओ, वह हैदराबाद का हो, बैंगलोर का हो, आज हम हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स की तो बात करते हैं, इसको खतम किया जा रहा है। इंजीनियरों को बेरोजगार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? देवनानी जी चले गए, ये रोजगार की बात यहां कर रहे हैं तो राजस्थान अलग हो गया क्या? सारी पालिसीज केन्द्र सरकार जो बनाती हैं, वह लागू होती है। हमने जो यहां पास किया, हमने अनुरोध किया है, विनती की है केन्द्र सरकार से कि आप और हम अलग नहीं हैं। हमें अलग मत कीजिए। देश की जनता को अलग मत कीजिए। हमने कभी नहीं कहा कि आप कश्मीर में कितनों को नजरबंद किए हुए हो। आज क्या स्थिति हो रही है इस देश की? जितना जातिवाद बढ़ रहा है, कभी नहीं बढ़ा। हम बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। राजस्थान हाई कोर्ट में शायद 50 परसेंट जज हो गए क्या? सुप्रीम कोर्ट में वंचित वर्ग के कितने जज हैं? किस हाई कोर्ट में कितने जज हैं, पता है आपको? आज जितनी घृणा उनके साथ हो रही है जातिवाद के चक्कर में, शायद हिन्दुस्तान में कभी नहीं हुई। न्याय मांगने कहां जाते हैं वे, क्या उनके वकील नहीं हैं? सभापति महोदय, वंचित वर्ग के वकील आज भी ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले मौजूद हैं। अकेले भीमराव जी अम्बेडकर नहीं थे। वे देश के सपूत थे जिन्होंने देश का नाम विश्व में रोशन किया, वे देश के सपूत थे जिन्होंने हिन्दुस्तान को टूटने से बचाया, वे देश के सपूत थे जिन्होंने जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया लेकिन आज तो विनोबा भावे की तस्वीर भी तोड़ी जा रही है। गुजरात में महात्मा गांधी की तस्वीर तोड़ी जा रही है, उनका स्टेच्यू तोड़ा जा रहा है और वोट उनके नाम से लिए जा रहे हैं। यह स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं इस देश में? इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि देश कहां जा रहा है, यह हमें सोचना पड़ेगा। बीजेपी कहां जा रही है, कांग्रेस राज में आ रही है या नहीं आ रही है, आप पैदा हो रही है या नहीं हो रही है, आप क्यों पैदा हुई? आप का दिल्ली में आज जीतने का यदि कोई कारण पैदा हो

(श्री रामनारायण मीना)

सकता है तो बीजेपी के भ्रष्टाचार को और आपके भ्रष्टाचार को देखकर कि जो कम भ्रष्टाचारी है, उसको जनता चुन रही है। आज नवरत्न कंपनियां बेची जा रही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 0000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। किसी का भी अंकित नहीं होगा। जिस वक्ता को कहा गया है, उसी का अंकित होगा।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं आज नेहरू जी का नाम हम सबको लेना चाहिए, फोटो की बात नहीं है। नेहरू जी नहीं होते तो आपको पता है। इधर से कृपया करके मत बोलिए। मेरा सहयोग मत कीजिए।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय बैठे-बैठे बोल रहे हैं। आप वरिष्ठ हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं आपसे अर्ज कर रहा था, महाराजा हरिसिंह से आप तो नहीं मिले होंगे। नाम तो सुना होगा आपने। कबाइलियों ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। महाराजा हरिसिंह के महल को चारों तरफ से घेर लिया, कश्मीर पर कब्जा कर लिया। पत्र आया। नेहरू जी ने कहा, हम में शामिल होने का यदि आप हस्ताक्षर करेंगे तो हम हमारी फौज भेजेंगे। फौज कितनी-सी थी, गिनती की। 12 टैंक थे, 4 विमान थे, थे क्या हिन्दुस्तान के पास? नेहरू जी ने सोचा। इतिहास में पढ़ लीजिए नहीं पढ़ा हो तो, महाराजा हरिसिंह ने अपने सहयोगियों को, अपने सुरक्षाकर्मियों को यह कहा कि सुबह फौज कब्जा कर ले, मेरे ऊपर उनका हाथ आए तो मेरे को गोली मार देना। नेहरू जी ने फौज भेजी। जो कुछ संभव था किया और आज टू-थर्ड कश्मीर हिन्दुस्तान के पास है। शर्म आनी चाहिए वन-फोर्थ कश्मीर को आप नहीं ले सके। लीजिए, हम साथ हैं, लेकिन भाषा कम बोलिए, जहर कम उगलिए, लीजिए, हमने कब मना किया। यह तो एहसान भूल गए कि टू-थर्ड कश्मीर कैसे आया? यह तो नेहरू जी थे।

मैं आपसे अर्ज कर रहा था, विषय मत भटकाइए। ये वो ही जवाहर

(श्री रामनारायण मीना)

लाल नेहरू थे जिन्होंने नवरत्न कंपनियां हिन्दुस्तान में पैदा कीं। आप उनको बेच रहे हैं। आप तो भारत पैट्रोलियम को भी बेच रहे हैं, जो विश्व की अच्छी कमाई करने वाली कंपनी थी। आप एलआईसी को बेच रहे हो। बीएसएनएल सबसे अच्छी कम्पनी थी उसको बेच रहे हो, और किनको बेच रहे हो? आप नेहरू जी की बात कर रहे हो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हम तो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि देश का प्रधान मंत्री 50 पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहा है। मैं आरोप लगाता हूं, आपकी पार्टी का बड़े से बड़ा नेता मेरे सामने बैठ जाए, आप जिस तरह से पूंजीपतियों की गुलामी कर रहे हो, हिन्दुस्तान में अब तक कभी भी नहीं हुई, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। देश का सर्वोच्च पूंजीपति कौन है क्या उसकी पूंजी नहीं बढ़ रही? हमने तो सुना था कि देश का प्रधान मंत्री बहुत अच्छा आदमी है। जैसा भी है किसी पार्टी का है। हम किसान हैं, डबल आय होगी, माननीय सभापति महोदय, मैं तो घाटे में जा रहा हूं। अगर बच्चे किसी तरह से कमाकर डीजल नहीं डलवाए तो मेरी तो गाड़ी ही नहीं चलेगी। मैं तो सबसे ज्यादा घूमता हूं। जितना मैं प्राइवेट गाड़ी में घूमता हूं, उतना कोई नहीं घूमता, जितना कि मैं घूमता हूं। मैं घाटे में क्यों जा रहा हूं, मेरे पास भी आपसे ज्यादा जमीन है। मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा आदमी हूं, फिर यह क्यों हो रहा है, आप तो कृपा करके संदेश दीजिए, आप चाहो तो मैं प्रस्ताव रख दूं, बीजेपी समर्थन करे तो। देश की नवरत्न कंपनियों को बेचने से रोकने के लिए मोदी के हाथ बांध देने चाहिए, आप चाहो तो मैं प्रस्ताव रख देता हूं। आप देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो? कैसे बर्बाद कर रहे हो, केवल ट्रंप से हाथ मिलाने के लिए। जो ट्रंप आज भी दिल से किसी न किसी से नफरत करता है, वह डीआरडीओ सारी खतम करके, इंजीनियर को खतम करके, विश्व की अच्छी से अच्छी आयुध निर्माण की संस्थाओं में हिन्दुस्तान की संस्थाएं हैं। नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। हम सबसे अच्छे पैटन टैंक बना सकते हैं, सबसे अच्छी गोला-बारूद कर सकते हैं। जो स्थितियां बन रही हैं, 80 हजार करोड़ के हथियार कहां से खरीदे, अमेरिका से। ईमानदार हो, बच्चे-बच्ची नहीं है, मेरे पीछे खाने वाला कोई नहीं होगा तो मैं कमीशन क्यों खाऊंगा, फिर भी मैं खा रहा हूं। आप बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि मेरा परिवार नहीं है। मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो मेरे लिए कह रहा हूं। इसलिए इस भ्रष्टाचार को खतम

(श्री रामनारायण मीना)

करिए। 88 हजार-90 हजार लाख करोड़ का जो कर्जा है, उसको बचाइए। रिजर्व बैंक से कर्ज लेकर कंगाल मत करिए। बैंकों को मिलाकर गरीब के साथ ऐसा मत करिए। वह तो इंदिरा जी थीं, जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण ग़रीबों के लिए किया था। मोची जो जूती गांठता है उसके लिए किया, आप उनको मिला रहे हैं।

मैं डा. मनमोहन सिंह जी का इस सदन में आभार व्यक्त करता हूं किसान होने के नाते, हिन्दुस्तान के किसानों का 70 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया था। पूंजीवादी व्यवस्था में बैठे लोग क्या कहते हैं, किसानों ने देश को बर्बाद कर दिया, तो बता सकते हैं आप नाम? एक लाख 21 हजार करोड़ का कर्जा किसका माफ किया बताइए, नहीं तो मैं बताता हूं, मोदी जी के खिलाफ प्रस्ताव पास करें, क्यों किया कर्जा माफ? पूरे हिन्दुस्तान का किसान, मात्र 70 हजार करोड़, वह भी किसने किया, डाक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जो किसान का बेटा है, आज भी उनके घर खेती है।

सभापति महोदय, कथनी और करनी में कितना अंतर है, यह तो मैं नहीं कहता। आप धर्म के नाम की बात बहुत करते हो। राठौड़ साहब, मेरी विनती सुन लीजिए। हिन्दू धर्म में पहला अवतार कौनसा है, मैं बताता हूं, मत्स्य अवतार। माताजी की छुट्टी, भैरूंजी की छुट्टी, दादा की छुट्टी, काकी की छुट्टी, बाप की छुट्टी, मत्स्य अवतार की छुट्टी तो करवा दो। मैं कांग्रेस के साथियों से भी कहता हूं, मेरी पार्टी से भी कहता हूं। मैंने प्रश्न लगाया, आपके टाइम पर भी लगाया था। मैं चाहता हूं कि हिन्दू धर्म का ज्यादा अपमान नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, आप भी मेरा साथ दीजिए, कम से कम जब छोटे-मोटे भूत-पिशाच, प्रेत की छुट्टी है, तो प्रथम अवतार की भी छुट्टी होनी चाहिए, मेरा आपसे निवेदन है और पूरे सदन से निवेदन है। होनी चाहिए, बिलकुल होनी चाहिए, हम तो तैयार हैं। आप क्यों धर्म के नाम पर वोट लेने वाले चुपचाप बैठे हो, हाथ खड़ा करिए। आपकी बात तो मुख्य मंत्री जी मानते हैं, जाकर बैठिए न। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मेरे पैट्रोल पम्प नहीं है, वह भी हो जाएंगे सेठ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): थोड़ा शांत हों सेठ जी। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आपकी बात करता हूं सेठ जी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अच्छा आपकी बात करता हूं, आप रिजर्व कास्ट के हो?

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): हिन्दुस्तान में शिड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण खतम हो रहा है और आप चुपचाप बैठे हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): यह तो मैं हूं जिसने कभी स्कालरशिप नहीं ली, जिसके बच्चे-बच्चियों ने कभी स्कालरशिप नहीं ली। यह मेरा सौभाग्य है, सदन का भी सौभाग्य है।

श्री सभापति: रामनारायण जी, आप विराजिए। यह क्या हो रहा है भई?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आप विराजें। इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, जो नए लोग आए हैं उनको आप क्या नसीहत दे रहे हैं। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा, आप विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। आप विराजिए। अलाउ नहीं करूंगा ...(व्यवधान) किसी का अंकित नहीं होगा। आपका यदि समाप्त हो गया हो तो मैं दूसरा नाम पुकारूं?

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, अभी रिजर्व क्लास का एक भाई बोल रहा था।

श्री सभापति: आप कांग्रेस के सदस्य हैं। आप अपनी बात जारी रखें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माफी चाहता हूं, आपसे पहले का हूं, यह बात तो सही है, इसमें क्या बात है। पर मैं मात्र एक व्यक्ति हूं, जिसने कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी के लिए नहीं सोचा। मेरा सौभाग्य है कि मेरी पार्टी ने रिजर्व क्लास का होते हुए भी हमेशा 11 चुनाव सामान्य सीट से लड़ाए, उस पार्टी को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं ऐसे नहीं हूं रिजर्व सीट पर जाकर लडूं।मैं कहता हूं मुझे लड़ा दो एक दफा तो, अब यह हरीश जी चाहेंगे तो लड़ लूंगा आखिरी चुनाव, बाकी अभी तक तो मौका नहीं मिला। फिर भी मैं उनकी वकालत करता हूं जिनको हम वंचित वर्ग कहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है दिल्ली में। मैं अदालतों पर आक्षेप नहीं लगाता, लेकिन राजनीति बहुत खतरनाक है। हिन्दुस्तान में शासन के इशारे पर फैसला हो जाए, इससे बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। पहले तो आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता था, कानून बदल गया क्या? जब एक भी जज ऐसा नहीं है जो शिड्यूल्ड कास्ट का हो, जातिगत भावना तो भगवान में भी थी। भील राजा को सम्मान इसलिए दिया कि भील उनका सम्मान करते थे। कृष्ण भगवान ने टेक्टिस खेली, क्योंकि धर्म को जिताना था, जिसको हम भगवान मानते हैं तो इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ करना हो तो हम राजस्थान में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बाकी भारत सरकार से आशा करना, हम रिजर्व क्लास के आदमी हैं। हालांकि रिजर्व का कभी फायदा नहीं उठाया, लेकिन तकलीफ होती है, बहुत सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों में पैदा हुआ हूं। यह अजीब बात है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है। आपको पूछने के लिए मलहम लगाया जा रहा है। दस प्रतिशत फायदा दिया जा रहा है, नब्बे प्रतिशत गला काट दिया जाता है। यह हिन्दुस्तान में हो रहा है। किस मुंह से गौ माता की बात करें, कभी किसी की बीवी ने, गौ-माता की बात करने वाली ने, गाय को हाथ से रोटी दी है? अभी बोल रहे थे, जिन्होंने गौशाला संभाली। इसलिए बहुत-सी चीजें हो रही हैं, यह ठीक नहीं है। देश के अंदर जातिवाद के आधार पर घृणा किसी भी पार्टी के लोग करते हैं तो शर्मनाक है और दुखदाई भी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसान परिवार से आता हूं और हमारे को बहुत संकट है। हमारे मंत्री जी गायब हो गए, वन विभाग के मंत्री जी। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने, मुख्य मंत्री जी ने, मुख्य सचिव ने, गृह सचिव ने, सबने आदेश निकाल रखा है, विधायकों की चिट्ठी का जवाब दो।

(श्री रामनारायण मीना)

हमारे बच्चे-बच्चियों को, हमारे किसान न तो रात को सो पाते हैं और न दिन को जग पाते हैं। आप तो उस सदन में थे, जब माननीय रघुवीर सिंह जी कौशल और हम कुश्ती लड़ा करते थे। आपको पता है, भारत सरकार को कागज गया था, पत्र गया था।

ये रोज आपकी तरफ कम होंगे, हमारी तरफ बहुत हैं। रोज को संरक्षित सूची में डाल रखा है, माननीय सभापति महोदय, जो लाखों की संख्या में हैं। तीतर-बटेर उसमें हैं कि नहीं हैं, लेकिन रोज हैं। जंगली पशुओं की सूची में डाल दें। उनके ऊपर अत्याचार हो तो जेल में डाल दें, लेकिन संरक्षित सूची में, जबकि लाखों की संख्या में हैं। इसको निकालने के लिये माननीय राजस्व मंत्रीजी, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, इसमें कुछ करिये।

श्री सभापति: समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सरकार वैसे भी मानती है, चार साल में राजस्थान के सारे बबूल खतम कर दिये जायेंगे। अभी तो एक भी नहीं हुआ, पर दिन में तो कितने करते हैं, यह आप देख लीजिये। एक भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाइये, न्यूनतम समर्थन मूल्य में मात्रा अंकित नहीं होनी चाहिए। जितना पैदा हो, किसान से खरीदा जाये। नहीं तो वह क्या करते हैं, दलाल पैदा हो जाते हैं। इसलिये उन दलालों को खतम करने के लिये आप कीजिये।

एक एफ.आई.आर. का मामला तो हुआ है। माननीय मंत्रीजी आप बैठे हैं, उद्योग मंत्रीजी भी विराजमान हैं। थाने में चार दिन, दस दिन चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं। उद्योग मंत्रीजी आप तो पीड़ित हो। हमें तो बड़ा अच्छा लगा, सरकार फरियाद कर रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): मेरा रैफरेंस दे रहे हैं। मैं कोई फरियादी नहीं था, न रिपोर्ट दर्ज कराने गया। मेरे इलाके का गरीब आदमी था। उससे गरीब मेरे ख्याल से लालसोट में कोई नहीं होगा। उसकी लड़की का यहां पर मर्डर हो गया। चार दिन उसकी रिपोर्ट नहीं की। हमारी, कांग्रेस की जो जन सुनवाई थी। (व्यवधान) मुख्यालय में कांग्रेस की जन सुनवाई होती है। वहां पर उसको पहुंचाने गया था। वह जानता भी नहीं था। वहां पर मंत्रीजी ने उसकी सुनी। सुनकर तुरंत उसकी एफ.आई.आर. होकर कार्यवाही हुई।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री परसादी लाल (उद्‌योग मंत्री): इसमें बुरी क्या बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) यह कोई वाद-विवाद का विषय नहीं है। विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। विराजिये आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: मंत्री महोदय, विराजिये आप, विराजिये। आपने अपनी बात कह दी।

श्री परसादी लाल (उद्‌योग मंत्री): 000

श्री सभापति: आप समाप्त करें। नहीं, आप सहयोग करें। विराजिये आप, प्लीज सहयोग करें।

श्री परसादी लाल (उद्‌योग मंत्री): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। प्लीज। यह कोई वाद-विवाद का विषय नहीं है। आपने अपनी बात कह दी। माननीय रामनारायणजी, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय, मुझे आदेश किया जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): संयम जी, थोड़ी-सी कृपा कर दो। मुझे एक मिनट में कहने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज, सहयोग करें। विराजिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं मानता हूं, आपकी बात मैं अर्ज कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, एफ.आई.आर. का मामला बहुत गम्भीर है।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, सदन का सदस्य होने के नाते सरकार से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि यह सब थानों में हो रहा है। इन थानेदारों के खिलाफ कोई नहीं आ रहा है। आप कोई न कोई कमेटी गठित करिये। उनके खिलाफ कार्यवाही करिये।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): उद्योग मंत्री को जाना पड़े। (व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय। आपके पहले से ही मेरे तो सब मामले खतम हुए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं आपकी जगह आने वाला नहीं हूं। हाथ जोड़े, माफ करना।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अशोक लाहोटी।

श्री सभापति: मैं अर्ज कर रहा हूं न। मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें आप।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आसन तो सहयोग करता है।

श्री सभापति: सहयोग करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): इसलिये मैं कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, शराब का कारोबार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये आप।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सभापति महोदय, मेरी अर्ज तो सुनिये। शराब का कारोबार फल फूल रहा है। एक ठेकेदार के पीछे छह-छह दुकानें हैं और अधिकारी जांच करते हैं, एक दुकान में गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर रेट लिस्ट नहीं है। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है, कार्यवाही करिये।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी। (व्यवधान) विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्री सभापति: नहीं। कोई अलाउ नहीं करूंगा। बोलिये आप। (व्यवधान) नहीं, विराजिये आप। विराजिये। (व्यवधान) श्री अशोक लाहोटी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी का अंकित होगा, और किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) नहीं, विराजिये आप। श्री अशोक लाहोटी। बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह देख रहा था कि आपको गुस्सा आया हुआ है उसका शिकार मैं नहीं हो जाऊं। हम तो नये लोग हैं, हमारे पर तो मेहरबानी रखना।

श्री सभापति: आप मेरे स्नेह के भाजन हैं, गुस्से के शिकार नहीं हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आज इस सदन में बड़े-बड़े संयोगों का दिन है। सभापति महोदय, यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो है, यह बारहवां अभिभाषण है। अब राजस्थान में बारहवां क्या है, यह तो मैं नहीं समझता पर यह मुख्य मंत्री गहलोतजी का बारहवां अभिभाषण है। 1999 से लेकर आज तक यह बारहवीं बार मुख्य मंत्री कार्यकाल का अभिभाषण है। (व्यवधान) आगे तो देखेंगे पर आज तो बारहवां है। सभापति महोदय, मैं ये सारे अभिभाषण साथ लेकर आया हूं, यदि कोई बोले तो। ये सारे अभिभाषण मैंने देखे। आज तक इन्होंने अपने कार्यकाल में 404 पेज और 1288 बिंदु राज्यपाल के मुंह से असत्य बुलवा दिये।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि हम आज तक सुनते आये थे, जब सदन में नहीं थे, कि राज्यपाल का अभिभाषण नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों पर होता है। पर मैं बड़े खेद के साथ कह रहा हूं कि न नीति है, न नीयत है, न सिद्धांत हैं, न समन्वय है। मैं समन्वय कह रहा हूं, सभापति महोदय, न सरकार का समन्वय है, न मंत्रियों का है और न अधिकारियों के साथ समन्वय है। न कार्यक्रम है, न क्रियान्वयन है। सभापति महोदय, मैं यदि घोषणाओं की बात करूं तो अभी मैं देख रहा था कि आज तक इन मुख्य मंत्रीजी ने अपने इस तीसरे कार्यकाल के पहले साल सहित मिलाकर, और आज का दिन भी संयोग है, सभापति महोदय, आज इस सरकार को 420 दिन हो गये। (व्यवधान) 420 दिन हो गये इस सरकार को।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): चलो 21 मान लेते हैं, 20 के बाद ही तो 21 आता है, 20 तो हो गये।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 420 में आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। आप चार सौ बीसी करके आये हो क्या?

श्री सभापति: विराजिये, लाहोटीजी। माननीय श्री लाहोटीजी, विराजिये। एक मिनट विराजिये आप।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, गम्भीरता बरतें। खास तौर से पहली बार जो माननीय सदस्य आये हैं, बार-बार यह बीच में उठ करके बोलने की आदत बंद करिये। अच्छी परम्पराएं नहीं हैं। पूरे सदन के साथ-साथ बाहर भी लोग आपको देख रहे हैं। क्या मिसाल कायम करना चाह रहे हैं आप? मैं चुपचाप बैठा रहूं और आपको फ्री कर दूं जैसा मन में आये, जिसको बोलना हो, बोले। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। जब तक मैं यहां बैठा हूं, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। गम्भीरता बरतें, सहयोग करें। जो माननीय सदस्य अपनी बात बोल रहा है, उसको गम्भीरता से अपनी बात बोलने दें। ऐसे नहीं, आप पहली बार आये हैं, कुछ सीखिये। सदन की मर्यादाएं हैं, परम्पराएं हैं सदन की। यह कोई तरीका नहीं कि कोई बोल रहा है, जिसके मन में आये तब।

माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाइये। आपको कह रहा हूं। या तो आप बाहर जाकर बात करें। अपने स्थान पर जाइये। (व्यवधान) पहले आप अपने स्थान पर जाइये आप। आप अपने स्थान पर जाइये। माननीय श्री लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मेहरबानी, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बचाने का काम किया।

श्री सभापति: आप भी गम्भीरता से अपनी बात कहें। बचाया इसलिये है कि गम्भीरता से अपनी बात कहें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं गम्भीरता से ही कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय। इन मुख्य मंत्रीजी ने अब तक 452 घोषणाएं कर दीं। 1999 से राजस्थान देख रहा है। अभी इन्होंने एक पत्र निकाला, वर्ष एक-फैसले अनेक। इस बार तो इन्होंने हद कर दी। एक ही में 171 घोषणाएं कर दीं। वर्ष एक-फैसले अनेक, तो क्या एक वर्ष में एक ही काम करना था। पर इन्होंने ठीक कहा, सभापति महोदय, इन्होंने अनेक फैसले कर दिये। सभापति महोदय, ये बारह के बारह अभिभाषण यदि ध्यान से देखो तो पूरे के पूरे

(श्री अशोक लाहोटी)

अभिभाषण केवल कट-पेस्ट और कापी किये हुए हैं। इस अभिभाषण में एक अच्छी बात लिखी है कि अभिभाषण में महात्मा गांधीजी को याद किया है। लेकिन इसी अभिभाषण में महात्मा गांधीजी के बाद गांधी परिवार के एक-एक सदस्य को धन्यवाद देने के बाद अंत में कहीं जगह बच गई तो बाबा साहब अम्बेडकरजी को याद किया। यह स्पष्ट दिख रहा है कि बाबा साहब और कांग्रेस के जो मतभेद थे, इन बारह के बारह अभिभाषण में दिख रहे हैं। इस बार के अभिभाषण में भी बाबा साहब का नाम सबसे अंत में लिखा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं इन्होंने शुरू से कुछ शब्द चुन रखे हैं। वह शब्द है- लोक कल्याणकारी, पारदर्शी, संवेदनशील, जन सेवा, चिकित्सा सुविधा, गरीबों को सुलभ चिकित्सा, महिला सशक्तीकरण, सुशासन, सामाजिक समरसता और सबसे लास्ट में एक बड़ा शब्द इन्होंने जोड़ रखा है पंचायती राज व स्थानीय निकायों को मजबूत करना। पहले से लेकर बारहवें अभिभाषण तक यह के यह शब्द हैं, पूरा फोकस इन शब्दों पर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल चार बिंदुओं पर बात करूंगा। इन्होंने सबसे ज्यादा यह रखा है। आज बड़े-बड़े लोग यहां पर भाषण दे रहे थे, वित्तीय स्थिति की बात कर रहे थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन में 2009 में जब यू.पी.ए. की सरकार थी तब इसी सदन पटल पर यह कहा था कि पूरे विश्व में आर्थिक संकट है। भारत की अर्थव्यवस्था भी इस कारण से कमजोर हुई है और राजस्थान का तो खजाना खाली है। इसी में आपका अंकित किया हुआ है, आपके अभिभाषण में, आप खुद खोलकर देख लें तो आज पूरे विश्व में कौनसी तेजी चल रही है? भारत की अर्थव्यवस्था, जी.डी.पी. तो पांच प्रतिशत से चल रही है, विश्व की तो दो प्रतिशत से ही चल रही है। फिर आज यह कौनसे आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ी-बड़ी बातें इन्होंने कीं। इन्होंने यह कहा कि यह सरकार संवेदनशील है। सबसे ज्यादा यदि फोकस सरकार का है तो वह संवेदनशीलता का है।

माननीय सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा, संवेदनशीलता के केवल दो-तीन उदाहरण बता रहा हूं। कल मेरे एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह जवाब दिये हैं कि राजस्थान में 97 हजार मौतें एक साल में हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, कितनी? 67 हजार और 30 हजार बच्चों की, इस

(श्री अशोक लाहोटी)

प्रकार 97 हजार मौतें हुईं। चार घंटे की दूरी पर कोटा है और यह लिख रहे हैं कि कोटा में 34 दिन लग गये मंत्रीजी को जाने में, यह संवेदनशीलता है और 34 दिन ही नहीं लगे, माननीय सभापति महोदय, यह बच्चों की लाशों पर कारपेट बिछाकर मंत्रीजी चल रहे हैं। मंत्रीजी के स्वागत में कारपेट बिछाये गये, यह संवेदनशीलता है सरकार की। यह संवेदनशीलता है। आप उनका पक्ष ले रहे हो, आपको भी जाना है और जनता को जवाब देना है। 30 हजार बच्चों की मौत पर यदि कोई सरकार यह दम भरती हो कि हम संवेदनशील सरकार हैं तो लानत है ऐसी सरकार पर और लानत है ऐसे मंत्री पर जो 30 हजार बच्चों की मौत पर 34 दिन बाद कारपेट बिछाकर चलते हों।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आपने संवेदनशीलता की पराकाष्ठा कर दी कि इतनी-इतनी मौतों के बाद में स्वाइन-फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, एक भी चीज में यदि चिकित्सा विभाग ने कहीं पर कंट्रोल किया हो तो चिकित्सा मंत्रीजी सदन में अपने अभिभाषण पर जवाब दे दें कि इन्होंने इस चीज पर कंट्रोल किया हो। जयपुर शहर में द्रव्यवती के काम रुकने के कारण सबसे ज्यादा डेंगू फैला, यह मीडिया का आंकड़ा बता रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, यह कांग्रेस के नेता जो इतनी बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति राजस्थान में खराब है। यह मैं नहीं कह रहा, इनके उप मुख्य मंत्री कह रहे हैं, यह जवाब रहा। यह अपने उप मुख्य मंत्री से जवाब मांगें। वह कह रहे हैं कि कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है। इनके उप मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि राजस्थान में चिकित्सा की स्थिति खराब है। यह मैं नहीं कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, उप मुख्य मंत्री कह रहे हैं। यदि इस्तीफा लें तो उप मुख्य मंत्री से लें, भाजपा से किस बात का विरोध है? हम तो आपको वह आइना दिखा रहे हैं कि जिस आइना को यदि समय पर देख लोगे तो वह डबल जीरो दिल्ली वाला दुबारा नहीं देखना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, हम तो 300 प्रतिशत बढ़ोतरी पर हैं आठ पर भी।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, संवेदनशीलता के ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे लेकिन मैं इसमें ज्यादा नहीं करके, इन्होंने कहा पारदर्शिता, माननीय सभापति महोदय, सरकार बहुत पारदर्शी है। मैं केवल दो उदाहरण आपको देता हूं। अख़बार में यह आया, मीडिया में आया कि गुटखा और तंबाकू

(श्री अशोक लाहोटी)

पर सरकार बैन लगाएगी। राजस्थान में वाहवाही हुई कि सरकार बैन लगाएगी। दो दिन बाद क्या हुआ? यह पारदर्शिता है।

माननीय सभापति महोदय, एक अध्ययन दल बिहार में भेजा गया कि शराबबंदी होगी। अध्ययन दल वापस नहीं आया, उससे पहले ही यह आदेश आ गया कि 30 फीट रोड पर भी बार खुलेंगे और अब तो मैंने यह सुना है कि पाइपलाइन भी घर-घर दे रहे हैं, 15 प्रतिशत शराब ज्यादा बेचने का आदेश पारदर्शी सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी यहां पर हैं नहीं। सचेतक साहब यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वाकई सरकार पारदर्शी है, यह हम भी मानते हैं पर लोग बात कर रहे हैं कि यह अंडर टेबल कोई होती है बातचीत, वह हो गयी। यदि हो गयी हो तो इसकी जांच करवा लें।

पिछले अभिभाषण में आपने यह कहा था कि हम सरकार के छह महीनों के फैसलों की जांच करेंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, इस तरह के आरोप यह कैसे लगा सकते हैं?

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यदि अंडर टेबल डील नहीं हुई है तो जांच करवा लें, मैं आरोप लगा रहा हूं। मैं आरोप लगा रहा हूं कि आप जांच करवा लें, जांच आयोग बैठाकर जांच करवा लें। माननीय सभापति महोदय, मैं बिलकुल आरोप लगा रहा हूं। इनको मेरे खिलाफ कोई निर्णय लेना है तो लें। मैं आरोप लगा रहा हूं और यदि अंडर टेबल डील नहीं हुई है तो दोनों घोषणाओं के बाद फ़ैसले क्यों पलटे गये, उसकी जांच करवा लें।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, पिछली बार इन्होंने यह कहा कि हम छह महीनों की जांच करवाएंगे, उससे पिछली बार भी माथुर आयोग बना था, क्या हुआ? पिछली बार भी यह कहा था कि हम छह महीने की जांच करवाएंगे सरकार की, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो उस मिट्टी का है जिसको जितना तपाओगे, उतना 24 कैरेट सोना बनकर निकलेगा। एक नहीं पचास जांच करवा लो लेकिन सोना सोना ही रहेगा और पीतल पीतल ही रहेगा, यह देश की जनता जानती है।

(श्री अशोक लाहोटी)

मानननीय सभापति महोदय, इनका तीसरा जुमला है जवाबदेही। जवाबदेही तो सरकार की है। हर मामले में जवाबदेही है। पारदर्शी भी है, संवेदनशील भी है और जवाबदेही भी है। जवाबदेही इतनी है, माननीय सभापति महोदय, कि आये दिन हर मंत्री के यह बयान आ रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं। सरकार के मंत्री सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, अधिकारी मंत्रियों के प्रति जवाबदेह नहीं है और मंत्री जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। यह आपने घोषणा पत्र में लिखा है। घोषणा पत्र का एक बिंदु बता दें, माननीय सभापति महोदय, एक बिंदु पर यह खड़े होकर कह दें कि हमने इस बिंदु पर ईमानदारी से काम कर दिया। गांधीजी को याद किया, गांधीजी के साथ सिद्धांतों को लिखें, एक बिंदु बता दें कि हमने गांधीजी के लिए यह किया।

माननीय सभापति महोदय, संविदाकर्मी, एन.आर.एच.एम., एन.यू.एच.एम., पैराटीचर्स, व्याख्याता, लोक जुम्बिश, आंगनबाड़ी, शिक्षाकर्मी, विद्यार्थी मित्र, दो लाख की कर्ज माफी, 50 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और जो कांग्रेस नेता कह रहे हों कि हमने किसानों की कर्ज माफी कर दी तो वह अपने एरिये में जाकर किसानों को कह दें कि हमने आपका सारा कर्ज माफ कर दिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वह जाकर अपने क्षेत्र में कह दें कि राजस्थान के 50 लाख बेरोजगारों को हमने भत्ता दे दिया। केवल एक चीज, मैंने यह पढ़ा था कि शिक्षा मंत्रीजी के यहां पर 16 हजार को मिला है। बेरोजगार इनके यहां पर भी 1 लाख 60 हजार हैं।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इन्होंने यह कहा कि हम स्थानीय निकायों को मजबूत करेंगे। जवाबदेही टिड्डी पर भी थी सरकार की। छह महीने बाद में मुख्य मंत्रीजी पहुंचे और पहुंचकर क्या किया? बाड़मेर के एक किसान की जेब टटोल कर उसकी मजाक उड़ाई गयी। किसानों की मजाक उड़ाई गयी, किसानों का भद्दा मजाक उड़ाया गया, किसानों के साथ यह मजाक किया गया कि आपकी जेब खाली है, आप गरीब है, आप निराश्रित है और उस किसान की मजाक उड़ाई गयी। यह प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी जाकर कर रहे हैं छह महीने बाद। यह जवाबदेही है? माननीय सभापति महोदय, जवाबदेही है दिल्ली के प्रति। मैं कह रहा हूं, यह बाड़मेर के मंत्रीजी बैठे हैं, आप कह देना, जवाब दे देना। मंत्री महोदय, मैं तो नया सदस्य हूं, आप जवाब दे देना।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): हां, मैं दे रहा हूं न।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मेरे बैठने के बाद में दे देना।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जब यह बोल रहे थे, उस वक्त मैं मौजूद था। उलटा उन्होंने अधिकारियों को बोला कि इनकी जेबें देख लो, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनकी तत्काल मदद करो। यह बात बोली थी और अब यह उलटी +++ बोल रहे हैं। (व्यवधान) इनकी जेबें देखो, टिड्डी खा गयी जेब को, इनकी जेब देखो, टिड्डी खा गयी, यह कहा था। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): नारायण सिंहजी, आप बैठें। आप विराजिये। मैं बात कर लूंगा। मैं नया जरूर हूं पर इतना जरूर कह दूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये। विराजये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं +++ बोल रहा हूं तो आप अपने क्षेत्र में जाकर कह देना कि टिड्डी नहीं आई। मैं +++ बोल रहा हूं तो आप अपने क्षेत्र में जाकर कह देना कि टिड्डी नहीं आई। आप कह देना कि बेरोजगारी भत्ता दे दिया और मुझे वीडियो क्लिप दे देना। माननीय सभापति महोदय, जवाबदेही है दिल्ली के प्रति। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): +++ संसदीय शब्द है क्या?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जवाबदेही है दिल्ली के प्रति। (व्यवधान)

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): केन्द्र सरकार ने क्या दिया टिड्डियों के लिए? केन्द्र सरकार ने कितना पैसा दे दिया? देश के प्रधान मंत्री ने टिड्डियों से राहत के लिए कितना पैकेज दिया, वह तो आप बता दो। यह केन्द्र सरकार का काम है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): +++ संसदीय शब्द है क्या? मैं यह अर्ज कर रहा हूं +++ संसदीय शब्द है क्या?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप सुनना चाहते हो तो मैं वह भी बता दूंगा अभी। आप धैर्य से सुनना कि हमने कितना पैसा दिया है और आपने कितना लगाया है, मैं वह भी बता रहा हूं, आप मुझे दो मिनट का समय दे दो।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं गंभीरता से यह आरोप लगा रहा हूं कि सरकार के मुख्य मंत्रीजी की जवाबदेही है केवल दिल्ली के प्रति। पिछली बार भी मैंने आंकड़ा दिया था और आज भी कह रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी 76 बार दिल्ली की यात्रा कर चुके हैं। एक साल के इन 420 दिनों में 76 टाइम दिल्ली की यात्रा कर चुके हैं, जवाबदेही वहां के प्रति है। यदि वहां के प्रति जवाबदेही है तो यहां आपके उप मुख्य मंत्रीजी तैयार बैठे हैं, उनको दे दो मौका।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज को मजबूत करेंगे। राजस्थान के 7 करोड़ लोगों से पूछ लो, वह राजस्थान जो पंचायती राज का जनक रहा है, वह राजस्थान जिसके नाम से पंचायती राज जाना जाता है, आज पंचायती राज और स्थानीय निकाय दोनों को फुटबाल बना रखा है। यह पता नहीं कि यह सरपंच के चुनाव कब होंगे? कितने हो गये और कितने नहीं हुए? पंच के कब होंगे, डी.आर. के कब होंगे, सी.आर. के कब होंगे, यह हम मजबूत कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह काठ की हांडी है, चढ़ जरूर गयी लेकिन बार-बार नहीं चढ़ेगी। माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज में आपने जो किया वह पूरा देश देख रहा है और यह क्यों किया, मुझे तो लगता है कि यह दोनों ही मंत्री बड़े मजबूत हैं। इनको चक्कर-घिन्नी करने के लिये इन्हीं के डिपार्टमेंट में किया है। पंचायती राज और स्थानीय निकाय को गोल कर दिया। कहीं दो कर दिये, कहीं तीन कर दिये। आज तक पता नहीं चल पा रहा है कि इनके चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे? कितने फेज में होंगे, कब होंगे?

माननीय सभापति महोदय, आपने इक्कीसवीं सदी में एक नारा दिया 'अनपढ़ रहो, सरपंच बनो'। मैं आज ही न्यूजपेपर पढ़ रहा था। आप पढ़ाई की बात करते हो, इक्कीसवीं सदी की बात करते हो। आप शर्म करो, राजस्थान की विधान सभा में बैठकर आप टेबल बजाते हो कि हम अनपढ़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ही आपका यह आंकड़ा आया है कि 100 के लगभग सरपंच हैं जिनको साइन ही नहीं करना आता। केवल 10 प्रतिशत सरपंच हैं जो ग्रेजुएट हैं। यह हमारी इक्कीसवीं सदी का सिनेरियो है और हम यहां बैठकर टेबल बजा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह शर्म की बात है कि इक्कीसवीं सदी में पढ़ने वाले, जब भी आगे जांच होगी, पांच साल बाद का आंकड़ा देख लेना,

(श्री अशोक लाहोटी)

जब जांच होगी तो आप और हम ही यह पैरवी करते रहेंगे कि सरपंच साहब तो पढ़े-लिखे नहीं थे, क्या करें, गलती से लगा दिया होगा अंगूठा। माननीय सभापति महोदय, अभी इन्होंने पाइंट नंबर 62 पर लिखा। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, पांच मिनट तो मेरे इन्होंने ले लिये थे, मुझे 15 मिनट दिये हैं। पांच मिनट बचे हुए हैं अभी। सभापति महोदय, पाइंट नंबर 62 पर लिखा 'हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि नि:संकोच पुलिस थाने में FIR दर्ज करा सकता है और ऐसी व्यवस्था करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।' अभी मंत्रीजी कह रहे थे कि FIR दर्ज करवाने के लिये जन-सुनवाई में जाना पड़ा। वाकई राजस्थान देश का पहला राज्य है, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी टिड्डी पर बात कर रहे थे कि आपने क्या दिया। आपने लिखा है कि हमने 48 करोड़ 80 लाख रुपये दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कांग्रेस के सारे माननीय सदस्यों से कह रहा हूं कि एसडीआरएफ का फण्ड किसका था? वह केन्द्र सरकार का पैसा था। एक रुपया भी राजस्थान सरकार ने अपने बजट से टिड्डी में दिया हो तो आप कह दें। गुजरात ने भी दिया। गुजरात ने उस 14 हजार के अलावा, ...(व्यवधान) सुन लो मंत्रीजी, आपके क्षेत्र का है, 14 हजार के अलावा गुजरात में 5 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर किसानों को खुद की तरफ से दिया है। राजस्थान में कीटनाशक भी वही छिड़का हुआ है, जो केन्द्र ने भेजा। आपके पास तो एक बाल्टी भी नहीं थी। आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो यहां बैठकर। आप शर्म करो। सभापति महोदय, एक रुपये...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह बड़े-बड़े बोलने वाले इनके यहां जवाब ले लेंगे लोग। इन्होंने कहा कि हमने 1582 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मेरा समय बचा हुआ है। पांच मिनट तो हाउस को आर्डर में लाने में लग गये।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): दो मिनट तो दो, सभापति महोदय। 1582 करोड़ रुपये यह कह रहे थे कि हमने शिक्षा में खर्च कर दिये। राजस्थान सरकार का इसमें हिस्सा कितना है? मंत्री महोदय, यह केन्द्र का पैसा है, वाहवाही लूटो तो कम से कम कहो तो सही। जिसका खाओ उसकी थाली में तो छेद मत करो। माननीय सभापति महोदय, आपने कहा एक लाख 58 हजार को बेरोजगारी भत्ता दे दिया, 50 लाख बेरोजगार हैं और माननीय सभापति महोदय, आपने कहा इलेक्ट्रिक बसें खरीदीं, एक भी इलेक्ट्रिक बस यदि आपने अपने पैसे से खरीदी हो तो बता दीजिये। एक करोड़ रुपये तो केन्द्र सरकार सब्सिडी दे रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अंत में केवल एक बात कहना चाहूंगा। आपने इस अभिभाषण के लास्ट में लिखा है और राज्यपाल महोदय से आग्रह किया है, यह अभिभाषण में है कि सदन का वह सहयोग चाहते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने इस बार सबसे ज्यादा भाषणों में जाकर प्रदेश में कहा है।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बस समाप्त ही कर रहा हूं। उन्होंने यह कहा कि आपका सार्थक सहयोग चाहते हैं। इस सदन को बचाने के लिये चाहते हैं। राजस्थान के विकास में चाहते हैं। बेशक, माननीय सभापति महोदय, इस सदन के 200 के 200 सदस्य इनका सहयोग करने के लिये तैयार हैं, लेकिन सहयोग इस कीमत पर करें कि आप सदस्यों का मजाक उड़ाएं, आप उन जीते हुए सदस्यों का अपमान करें। जीते हुए सदस्य अपने क्षेत्र में उद्घाटन नहीं करते, हारे हुए लोग उद्घाटन कर रहे हैं। मैं सदन से पूछना चाहता हूं क्या ऐसा सहयोग लेना चाहते हो? मैं धन्यवाद दूंगा हेमाराम जी चौधरी को, आज मंत्री तो नहीं हैं, लेकिन हेमाराम जी ने सिरोही में ओटाराम जी देवासी नहीं आये तो उद्घाटन करने से मना कर दिया था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अब अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है आपका। विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: विराजिए। मदन प्रजापत जी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदयजी ने जो अभिभाषण पढ़ा, उनके समर्थन में मैं

(श्री मदन प्रजापत)

बोल रहा हूं और सर्वप्रथम मैं संविधान निर्माता बाबा साहब को नमन करता हूं कि उन्होंने शानदार संविधान बनाया। जो मैं देख रहा था एक ही विचारधारा, जब माननीय राज्यपाल जी अभिभाषण पढ़ रहे थे, कटारिया जी नहीं चाहते हुए भी विरोध कर रहे थे। इतना शानदार संविधान और कोई देश में नहीं है। हिन्दुस्तान के संविधान से बड़ा संविधान कोई हो ही नहीं सकता, इसका हमें गर्व है। माननीय सभापति महोदय, आज हमारे में और इनमें यह अंतर है कि हम गांधीजी की 150वीं जयंती मना रहे हैं और इनके मंत्री गोली मारने के आदेश के भाषण दे रहे हैं और इनके कार्यकर्ता पिस्तौल लेकर दिल्ली की सड़कों के ऊपर उतर जाते हैं। यह गोडसे की याद ताजा करते हैं। 1948 की घटना को इन्होंने ताजा किया और ऊपर से गांधीजी को मनाने और मानने का ढोंग रचते हैं। इनकी असलियत और करनी व कथनी में जो अंतर है, वह जगजाहिर है और सामने आ गया है।

माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि बार-बार सामने से एक आवाज आ रही थी, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी में और उप-मुख्य मंत्रीजी में मतभेद हैं। मैं पूछना चाहता हूं यह तो एक थे और एक हैं लेकिन कभी वसुन्धरा जी का दौरा किसी जिले में होता है तो दूसरे दिन पूनियां जी और शेखावत साहब जाते हैं और राठौड़ साहब बीच में देखते हैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, यह समझ में नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, कल जो सामने से भाषण दे रहे थे किस बात का धन्यवाद, किस बात का धन्यवाद। बार-बार एक ही आवाज आ रही थी और वरिष्ठतम सदस्य कह रहे थे किस बात का धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूं कि हम 125 से ऊपर बैठे हैं, धन्यवाद मांग कौन रहा है? धन्यवाद लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को और राजस्थान की सरकार को देने के लिये हम खूब सदस्य बैठे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे नाम की राशि वाले वरिष्ठ सदस्य, इनका तो भगवान ही मालिक है। दुनिया में सुना था माननीय प्रधान मंत्री असत्य बोलते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में सदन में कोई एक नंबर असत्य बोलने में माहिर है तो मुझे मेरे नाम राशि वाले के ऊपर है और मुझे खुशी भी है कि मेरी नाम राशि में से एक हैं। आज गरीबों के मसीहा छत्तीस कौम के हितैषी, आज राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के कारण, जिन्होंने क्रांतिकारी

(श्री मदन प्रजापत)

फैसले लिये, इनके कारण पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान का नाम रोशन हुआ है, राजस्थान का मान बढ़ा है, राजस्थान का सम्मान बढ़ा है। माननीय सभापति महोदय, करनी और कथनी में इनका जो अंतर है, आप सभी जानते हैं जो पहले आरोप लगाये- ए फोर आदर्श घोटाला, के फोर कोयला घोटाला, कनिमोझी, राजा भैया ने क्या किया, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, पर आज मुझे खुशी है कि यह जो असत्य आरोप लगाये गये, उनमें एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुए और एक को भी सज़ा नहीं हुई और जनता ने यह जान लिया इसलिए दिल्ली में आप जो कह रहे थे, यह हालत होगी, यह लड़ाई विचारधारा की थी। आपने शाहीन बाग़ के नाम पर जहर फैलाया और आज आप देख सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, पहले योजनाओं का विरोध, बाद में जीएसटी हो चाहे आधार कार्ड हो, चाहे एफडीआई हो, तमाम योजनाएं लोकप्रिय माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंहजी ने लागू की थीं। जब प्रधान मंत्री नहीं बने, भयंकर विरोध और प्रधान मंत्री बनने के बाद में तमाम योजनाएं निर्मल भारत, नाम बदलकर स्वच्छ भारत। तमाम योजनाएं, जीएसटी का विरोध और सरकार में आने के बाद में यह सभी योजनाएं लागू कर दीं। नोटबंदी आजादी के बाद में सबसे बड़ा घोटाला अगर कहें तो भी कम है। गरीब लाइनों में मरे, अमीर एक भी नहीं मरा। बैंकों में पीछे वाले दरवाजे से अटैचियां और बैग भर-भरकर अमीरों के घर तक भी गये और साल भर बाद में भी गुजरात में बिचौलिये प्रतिशत में तय करते रहे और लास्ट में तो 35 प्रतिशत में सौदे हुए। रातों-रात एक नाम आया, तीन दिन बाद में गये वह जिंदा या भगवान जाने कहां है, कोई अता है न कोई पता है।

माननीय सभापति महोदय, इन बातों के अलावा नोटबंदी में गरीब ने आवाज बुलंद की तो एक संदेश दिया गया, अमीरों का इलाज कर रहा हूं, तब गरीबों ने और आम आदमी ने सोचा कि मेरी एक आंख चली जाएगी कोई फर्क नहीं, सामने वाले पूंजीपति की दोनों जा रही हैं। इस भ्रम जाल में एक गरीब और आम आदमी को गुमराह किया गया।

माननीय सभापति महोदय, कश्मीर वाले निर्णय में जो माननीय नेहरू जी ने किया था, पहले भी कई बातें हुईं पुराना इतिहास क्या है लेकिन यह युवाओं को भ्रमित करने के लिए फालतू के झूठ बोले जा रहे हैं और इनको तो

(श्री मदन प्रजापत)

सपने में भी नेहरू जी, नेहरू जी करते हैं और रात को भी ये नेहरू जी, हर बात के लिए नेहरू जी। नेहरू जी नहीं होते...

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): देश नहीं टूटता।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आज देश का विश्व में इतना जो मान-सम्मान और नेहरू जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और आप नेहरू जी की जूती के बराबर भी मुकाबला नहीं कर सकते। नेहरू जी कौन थे, नेहरू जी का इतिहास, नेहरू जी की विरासत और नेहरू जी का योगदान हिन्दुस्तान कभी भूल नहीं सकता, कभी भूल नहीं सकता।

कश्मीर के बाद में युवाओं को यह भ्रमित किया कि आपको वहां जमीनें मिलेंगी, सगाई सम्बन्ध होंगे, भाई, कश्मीर का गरीब आदमी सेब भी नहीं खरीद सकता और अभी यह सी.ए.ए., एन.आर.सी. यह मतलब क्या है? नागरिकता पहले भी दी थी, जो आपके एम.एल.ए. बने चौहटन से तरुण राय जी कागा, हजारों-लाखों को दी गई। सवाल नागरिकता का नहीं है, 25 परसेंट हिन्दुओं को यह गुमराह, भ्रमित कर रहे हैं कि मोदी जी हिन्दुओं के लिए अवतार हैं और मुसलमानों को परेशान कर लें, इससे हिन्दू खुश हो जाएंगे और हमारी वोटों की पेटी भर जाएगी। माननीय सभापति महोदय, ऐसी भाषा का प्रयोग हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी को शोभा नहीं देता है। लात मार देना, फकीर बनकर झोला लेकर जाऊंगा, यह प्रधान मंत्री की भाषा है?

माननीय सभापति महोदय, आज बेरोजगारी हो, जी.डी.पी. हो, आर्थिक हालात हों, यह सब ध्यान भटकाने के लिए है, इनका कोई अर्थ नहीं। सिर्फ युवाओं को भ्रमित करने के लिए बार-बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं। मरे हुए का क्या नाम लेना, पाकिस्तान हिन्दुस्तान से लाखों गुना पीछे था, है और रहेगा। अपना मुकाबला अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जापान से है, आप उनका नाम लो। वोटों के लिए पाक का मतलब देश नहीं, पाकिस्तान का मतलब प्रवासी, उनको मुस्लिम शब्द कहें तो भी कम है कि पाक का मतलब मुसलमान का विरोध है, इस भ्रम जाल में वोट लेने के लिए भ्रमित कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज समझौते की पाकिस्तान ने पालना नहीं की है तो पाकिस्तान ने कौनसी प्रगति कर ली, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। विराजिए। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मैं हिंदू हूं मुझे गर्व है लेकिन आपके जैसा नकली हिन्दू, हिन्दुत्व नहीं हूं मैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं हो रहा है इनका।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मैं हिन्दू हूं, सनातनी हूं लेकिन वोटों के लिए आप वाले हिन्दुत्व एजेंडे का सदस्य नहीं हूं।

आज पाकिस्तान की हालत खराब हो गई अगर नेहरू जी और समझौते की पालना नहीं की, क्या पाकिस्तान ने प्रगति की है? क्या आप हिन्दुस्तान को पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं? मैं याद करता हूं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को, दो-दो टुकड़े कर दिये और पूरे विश्व में 'चिकमंगलूर भाई चिकमंगलूर, एक शेरनी सौ लंगूर।'

माननीय सभापति महोदय, आज जरूरत है मन की बात की जगह गरीब के दिल की बात सुनने की। मन की बात, मन की बात, लोग बोर हो गये हैं। सभापति महोदय, आज मुझे खुशी है जो आप गांधी के भक्त बता रहे हैं, दूसरी तरफ इनके गृह मंत्री जी चतुर बनिया बोल रहे हैं। इससे ज्यादा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है।

मेरी जीत उस दिन हो गई चाहे मजबूरी में सही, चाहे डर से सही, चाहे वोट के लिए सही, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, इनको मानने के लिए मजबूरी में ये मानने लग गये, जिस दिन ये विचारधारा वाले लोग इन महापुरुषों को मानने लग गये, उस दिन हमने समझ लिया कि हमारी जीत हो गई है।

माननीय सभापति महोदय, तीन तलाक, तीन तलाक की बातें करते हैं, तीन तलाक तो राजस्थान और तीन राज्यों से हो गया, तीसरा जवाब झारखण्ड, महाराष्ट्र से हो गया और आज इनका सूपड़ा साफ, सी.ए.ए. और एन.आर.सी. का जवाब भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। यह राजस्थान वीर भूमि है, राजस्थान वीरों की भूमि है, यहां से ही इनकी शुरुआत हुई थी और उलटी गिनती भी इस वीर भूमि से हुई है और आज नाममात्र के राज्यों में रहे हैं और आने वाले समय इनका नाम लेने वाले नहीं रहेंगे और इतिहास बनेगा कि अगर सबसे ज्यादा हालात किसी ने गलत पैदा किये तो वो आपका कार्यकाल याद किया जाएगा।

(श्री मदन प्रजापत)

आज देश में भारत रत्न राजीव गांधी जी की 70वीं जयंती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती आप भले ही किसी तरह से भी मनाएं लेकिन 1948 में जो घटना घटित हुई वो ही व्यक्ति इस तरह से आया था और आज वो आकर लोगों ने परख कर ली कि यह वास्तव में वो ही विचारधारा के अंग्रेजों के चहेते लोग हैं जो वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर बात पर नेहरू जी को जिम्मेदार बताने वालों को शर्म आनी चाहिए।

आज भारत की नवरत्न कम्पनियों में, मैं जिक्र लम्बा नहीं करूंगा, उनका जिक्र आ गया, जब टाटा से एयरलाइंस को लिया गया और आज बड़ा दु:ख होता है कि वापस जाने की तैयारी में है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे एल.आई.सी. हो, बी.एस.एन.एल. हो, रेलवे हो, तमाम जो हिन्दुस्तान में हरे और लाल रंग के पैट्रोल पम्प गली-गली में खुल गये हैं, यह पैट्रोल पम्प मालिक कौन हैं, एस्सार है या रिलायंस है? क्या कारण है जो एच.पी.सी.एल. और इंडियन आयल कम्पनियों को कमजोर किया जा रहा है? आज रेलवे की हालत खराब, दो करोड़ नौकरियां, एक बात के ऊपर भी यह खरे नहीं उतरे। आज इनसे ज्यादा डर हिन्दुस्तान के लिए हो ही नहीं सकता।

यह लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की बात करते हैं, आज अशोक गहलोत जी के कारण राजस्थान का सम्मान और गौरव बढ़ा है। पूरे हिन्दुस्तान में आज गरीब के लिए पेंशन लागू करके यह साबित कर दिया कि अगर कोई गरीब का भला कर सकता है तो उस व्यक्ति का नाम है अशोक गहलोत। आज युवाओं ने यह तय कर दिया कि कब अशोक गहलोत जी आएंगे, हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे और बेरोजगारी भत्ता देकर यह साबित कर दिया कि युवाओं का कोई हितैषी है तो उस व्यक्ति का नाम है लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत।

माननीय सभापति महोदय, हाथों हाथ जब चुनाव में एक, दो, तीन गिनती गिनी गई, यह विचार में पड़ गये कि दस दिनों में कैसे कर्ज माफ किया जाएगा लेकिन किसानों का कर्जा माफ करके यह साबित कर दिया कि किसान का कोई भला कर सकता है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। विराजिए, विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आज आम आदमी के लिए एक रुपये किलो गेहूं देकर यह साबित कर दिया कि आम इन्सान की दिल में कोई पीड़ा जानता है तो उस व्यक्ति का नाम है लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत।

माननीय सभापति महोदय, यह धर्म के ठेके की बातें करते हैं, हिन्दू धर्म की ठेकेदारी की बातें करते हैं लेकिन हर मजहब और धर्म के बुजुर्गों के लिए फ्री यात्रा की सौगात किसी ने दी है तो उस व्यक्ति का नाम है अशोक गहलोत, उस सरकार का नाम है कांग्रेस।

माननीय सभापति महोदय, जब दवाई की बात आई, यह सपना था कि गरीब महिला कहीं दर-दर भटकने के लिए मजबूर नहीं हो, यह महिलाओं के दिल में सम्मान है कि हमारा कोई भला कर सकता है तो डिलीवरी का तमाम खर्चा फ्री करके यह साबित कर दिया कि महिलाओं का हितैषी कोई हो सकता है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत हैं। किसानों का कर्जा माफ करके यह साबित कर दिया कि किसान का अगर कोई भला कर सकता है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत कर सकते हैं।

(16.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आज आम आदमी के लिए एक रुपये किलो गेहूं देकर यह साबित कर दिया कि आम इंसान की कोई पीड़ा जानता है तो उस व्यक्ति का नाम लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत है। माननीय सभापति महोदय, यह धर्म के ठेके की बातें करते हैं, हिन्दू धर्म की ठेकेदारी की बातें करते हैं। लेकिन हर मजहब और धर्म के बुजुर्गों के लिए फ्री यात्रा की सौगात किसी ने दी है उस व्यक्ति का नाम है अशोक गहलोत। उस सरकार का नाम है कांग्रेस।

माननीय सभापति महोदय, जब दवाई की बात आई तो महिलाओं में यह सपना था कि गरीब महिला कहीं दर-दर भटकने के लिए मजबूर न हो। यह महिलाओं के लिए दिल में सम्मान है। उनका कोई भला कर सकता है तो डिलीवरी का तमाम खर्चा फ्री करके यह साबित कर दिया कि महिलाओं का हितैषी कोई हो सकता है तो यह लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, मैं 2 मिनट में

(श्री मदन प्रजापत)

समाप्त करता हूं। आज दवाई फ्री। मुझे पुरानी बात बड़ी याद आती है। दवाई जहर है। रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, खैरात बांटी जा रही है। ये शब्द पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी के मुंह से बाड़मेर की धरती पर बोले गए। अगर यह जहर था तो आपने पांच साल में बंद क्यों नहीं किया? कौन रोकने वाला था आपको? गरीब जनता का डर था इसलिए आपने न तो बंद किया और न ही चालू रखा। मैं धन्यवाद देता हूं लोकप्रिय मुख्य मंत्री को कि इन्होंने आते ही जांच और सैकड़ों तरह की दवाइयों का दायरा बढ़ाकर यह साबित कर दिया कि गरीब की पीड़ा अगर कोई जानता है तो माननीय अशोक जी गहलोत जानते हैं।

सभापति महोदय, आज इन्होंने नन्दी शाला खोलकर के यह साबित कर दिया कि राजस्थान में अगर कोई असली गौ भक्त है तो उस व्यक्ति का नाम लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात कह देता हूं। यह नन्दी शाला खोलने वाला गौ भक्त है। यह फालतू बातें करते हैं। हमारे लिए गौ माता दूध देती है और इनके लिए वोट देती है। चुनाव आए तो गौ माता, चुनाव गए तो आवारा पशु।

सभापति महोदय, यह मुमकिन और नामुमकिन की बातें करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ओबामा, ओबामा, यह बातें करते थे इनके पी.एम. साहब। आपने झूला झुलाकर, चाय खुद बनाकर के पिला दी। मनमोहन सिंह जी का जो रुतबा था, और आप का रुतबा चाय पिलाना और झूला झुलाना। रुपया वेंटिलेटर पर है। रुपया बीमार है। आज पूछना चाहता हूं रुपये की हालत क्या है? माननीय सभापति महोदय, माल्या और चौकसी भाग सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मंदी और बेरोजगारी आ सकती है, मोदी है तो मुमकिन है। आज एयर इंडिया बिकने की तैयारी में है, मुमकिन है। आडवाणी जी दुखी हैं, मुमकिन है। मंदिर बनाने वाला तोगड़िया रोड पर है, प्रवीण तोगड़िया, मुमकिन है। यह पटेल साहब के आदर की बात करते हैं, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी जिन्दे छाती के ऊपर मूंग दल रहे हैं। सभापति महोदय, और भी कई बातें हैं। दस सिर लाए जाएंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): काला धन, लोकपाल, जन लोकपाल, भगवान, यशवंत सिन्हा जी कहां घूम रहे हैं? विचारधारा की क्या हालत हो गई? कोई पूछने वाला नहीं है। सब मुमकिन है। मुझे गर्व है कि जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, उस पार्टी ने देश की आजादी की जंग लड़ी और सामने वालों ने एक उंगली भी नहीं कटाई। अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के भेदिए और हिन्दू विरोधी। इनके साथ में मैं कल जोइन कर लूं तो असली हिन्दू, इनके खिलाफ तो हिन्दू विरोधी। इनके पक्ष में तो देशभक्त, इनके खिलाफ देशद्रोही। भाई, कौनसी फिल्टर मशीन आपके यहां, कहां पड़ी हुई है?

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): कौनसी फिल्टर मशीन है जो गंगा जल से धोकर के पवित्र किया जाता है?

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आज मुझे खुशी है कि इनकी उलटी गिनती शुरू हुई है।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इनकी उलटी गिनती शुरू होने वाली है। आज यह कहावत है कि जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की प्रजा भिखारी।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह मात्र दस सेठों के दलाल हैं। जो पहले अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे वह आज अंबानी, अडाणी और रिलायंस, नाम नहीं जानूं जिन व्यापारियों के चौकीदार बने हुए हैं। चौकीदार हैं चौकीदार जनता के नहीं, गरीब के नहीं, युवा के नहीं, महिलाओं के नहीं, मात्र किसी के चौकीदार हैं तो दस लोगों के हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैं अभिभाषण पर बोलूं, उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने पूरे देश की जनता को भिखारी बताया है। इन शब्दों को आप अगर निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): देश की जनता तो वास्तव में देश की मालिक है। आज के दिन भिखारी नहीं है। देश की जनता को भिखारी कहने वाले खुद भिखारी हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा।

श्री सभापति: अपनी बात कहें। विराजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): यह देश की जनता इस देश की मालिक है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ऐसा प्रधान मंत्री मानते हैं। यह उदाहरण है कि जिसका राजा व्यापारी, यह कहावत है। आप मान रहे हो व्यापारी तो बात अलग है।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 15वीं विधान सभा का चतुर्थ सत्र 24.01.2020 को आहूत किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ा गया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार द्वारा किए गए पिछले एक वर्ष के कार्यों का लेखा-जोखा सदन में रखा। जनहित की योजनाओं को धरातल पर लाने की बात कही गई लेकिन आप देख रहे हैं कि एक वर्ष में कोई भी जनहित की योजना अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है।

सभापति महोदय, महामहिम से सदन में असत्य वाचन करवाया गया इसलिए मैं इस अभिभाषण के पक्ष में नहीं हूं। सभापति महोदय, अभिभाषण के पैरा नंबर 2 में ही राज्यपाल महोदय से कहलवाया गया कि नवीन समृद्ध राजस्थान के निर्माण की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। सरकार ने प्रदेश में लोक कल्याण और जनसेवा की भावना से उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील कार्यों की प्रणाली विकसित करने की दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार लोक कल्याण के बजाय स्वयं का कल्याण करने में ज्यादा विश्वास रखती है। यह सरकार जन सेवा की जगह स्वयं की पार्टी और अपनी सेवा करने में ज्यादा ध्यान देती है। यह सरकार अपने आपको उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील बताती है जबकि सरकार गैर जिम्मेदार सरकार है। यह सरकार एससी, एसटी की हमदर्द बनती है लेकिन एससी, एसटी को आरक्षण देना भूल गई। आनन-

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

फानन में विधान सभा का सत्र बुलाया गया और संकल्प पारित कराया गया। माननीय सभापति महोदय, भारत रत्न डा. भीमराव अंबेडकर साहब के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। डा. भीमराव अंबेडकर साहब के जीते जी आपकी पार्टी और आप उनको सुख नहीं दे सके। आज घड़ियाली आंसू बहाकर उनकी वाहवाही कर रहे हैं और उनके अनुयायी बन रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार पारदर्शी भी नहीं है। इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे। जब पार्टी सत्तासीन हो गई तो जनता के वादे भूल गए। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कई वादे थे कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। इतनी बड़ी असत्य बात भी किससे कहलाई? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल जी से कहलवाया कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो बेरोजगारों को 3500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। खेती के लिए दिन में बिजली दी जाएगी। गरीबों को एक रुपये किलो गेहूं दिया जाएगा। माननीय मुख्य मंत्री जी और राहुल जी से जनता ने पूछा कि विधान सभा के चुनाव हैं 10 दिन में, किसानों का कर्जा किस प्रकार से माफ होगा? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था।

सभापति महोदय, यह सरकार कहती है कि यह संवेदनशील सरकार है। यह संवेदनशील सरकार भी नहीं है। यह सरकार संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करती है कोटा में 1 महीने में 113 बच्चों की मौत हो जाती है। सरकार मौके पर जाकर बातचीत नहीं करती है। बच्चों के उपचार में लापरवाही बरती जाती है। 113 बच्चों की मौत की जिम्मेदार सरकार अपने आपको पाक साफ कैसे बताती है? मंत्री जी, चिकित्सालय में डाक्टर नहीं हैं। चिकित्सा मंत्री जी कोटा जाते हैं और वहां जाकर के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। कहते हैं कि क्या पहली बार बच्चों की मौत हुई है, तो क्या इस प्रकार की मौतें होनी चाहिए? टीवी के कार्यक्रम को छोड़कर मंत्रीजी आ जाते हैं, हमने यू-ट्यूब पर देखा है ऐसा नजारा, ऐसी संवेदनहीन सरकार, जनता क्या उम्मीद करेगी इनसे? कहा जाता है एक बार जैसा कि चलन में है राजस्थान में कि अशोक गहलोत साहब, मुख्य मंत्रीजी जादूगर हैं और वास्तव में ही जादूगर हैं। इसका उदाहरण मैंने देखा है कि वे जादूगर कैसे हैं। विधान सभा का जब चुनाव आया तो चुनाव के अंदर चुनावी सभा हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीजी को बुलाया

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

गया। उनसे कहलाया गया कि आप घोषणा कीजिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो दस दिन में कर्जा माफ कर दिया जाएगा। राहुलजी ने कहा, एक से दस तक गिनती बोलिए, शायद उनको आती या नहीं आती गिनती आगे, एक से दस तक बोले और कहा कि किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ कर देंगे दस दिन में। क्या हो गया सम्पूर्ण कर्जा माफ? बेरोजगारों को साढ़े तीन हजार रुपये तक का भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद जब लोक सभा के चुनाव आए, लोक सभा के चुनाव आए, वापस राष्ट्रीय अध्यक्षजी को बुलाया गया, लोक सभा के चुनाव में सांसदों की जरूरत होती है। वास्तव में जादूगर कैसे निकले कि उन्होंने राहुलजी से घोषणा करवा दी अपने लिए तो मुख्य मंत्री की कुर्सी पक्की करके बैठ गए और राहुलजी का जब नम्बर आया तो सांसद की एक भी सीट उनको नहीं दी गई। वास्तव में जादूगर हैं, इसका पहला उदाहरण यह देखने को मिलता है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार सुशासन देने की बात करती है लेकिन यह शासन भी नहीं दे पा रही है। अभी मैंने कल के अख़बार में पढ़ा था कि इन विभागों में अफसरों पर भारी पड़े मंत्री, अब भारी क्यों पड़े, प्रदेश के पांच-पांच मंत्री, इनकी बात इनके सचिव नहीं मानें तो सरकार कैसे चलाएंगे, उनका स्थानांतरण करवाना पड़ता है, सचिव ही नहीं माने आपकी तो आप काहे के मंत्री हो? इस प्रदेश में क्या भला करेंगे आप?

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के बनने के बाद पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण बना हुआ है। प्रदेश की जनता अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही है। चारों तरफ जहां देखें हम, माफियाओं से यह प्रदेश घिरा पड़ा है। सरकार के चारों तरफ माफिया ही माफिया हैं। बजरी माफिया, इनका तो कहना ही क्या है? जितनी बात करो उतनी बात कम है। टोल माफिया, बड़े-बड़े लठैत लेकर खड़े हैं, टोल वसूली के लिए। एक टोल यहां लगा दिया, चौकी और आगे लगा दिया, फिर और चौकी आगे लगा दी, इस प्रकार से चौकियों से आगे चौकियां लगाकर टोल वसूली की जा रही हैं। शराब माफिया, प्रदेश में आए दिन दो-चार-दस गाड़ियां रोज पुलिस पकड़ रही है और उनकी आड़ में कितनी गाड़ियां, कितने ट्रक, कितनी तस्करी हो रही है। भू माफिया, भू माफियाओं का तो कहना ही क्या? जिसके हाथ में लाठी, उसी की

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

भैंस, यानी गरीबों की जमीन पर कब्जा करो, फिर तोड़ बट्टे करो, ऐसे भू माफियाओं का बोलबाला हो गया है। खनन माफिया, खनन माफिया जहां चाहे खोदो, खाओ, कमाओ। अवैध वसूली करने वाले माफिया हो गए, अफीम की तस्करी हो रही है, मानव तस्करी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है, सट्टेबाजारी चल रही है। खुलेआम सरकार की आंखों के नीचे इस प्रकार से कारोबार चल रहे हैं, माफिया पनप रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजरी पर तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि बजरी का अवैध परिवहन करना, ले जाना, खोदना, एक बड़ा जुर्म है लेकिन यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना कराने में भी नाकाम है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में असुरक्षा का वातावरण है, अपराधों की संख्या घटने की बजाय बढ़ रही है। चोरी, डकैती, लूट, अपहरण, फिरौती, मारपीट, हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। चोरी की घटनाएं 41.35 प्रतिशत, डकैती 43 प्रतिशत बढ़ी है, लूट 40 प्रतिशत तक बढ़ी है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से इस प्रदेश में सुरक्षा ही नहीं रहेगी, चोरी का वातावरण बन जाएगा, डकैती का वातावरण बन जाएगा तो जनता कहां जाएगी? प्रदेश में अपराधों का बढ़ना राजस्थान की खुशहाली के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार को अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर बार-बार अभी जिक्र हो रहा था, यहां के विधायक यदि थाने में चले जाएं, एफआईआर दर्ज कराने की बात कहें तो उनको धमकाया जाता है, यानी मंत्री भी कह देते हैं तो भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इस प्रकार का माहौल राजस्थान के अंदर देखा जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पैरा नम्बर 67 में किसानों पर बिजली के बिल का आर्थिक भार नहीं पड़े इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आगामी चार सालों में विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। क्या हुआ? तीन दिन पहले ही बिजली की दरें बढ़ीं। आप ये दरें क्यों बढ़ा रहे हो? 24 तारीख को तो आप कह रहे हो कि बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी और आज सदन में वापस कह रहे हैं कि बिजली की दरें बढ़ेंगी, यह क्या है?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारी पिछली सरकार ने किसानों के लिए दस हजार रुपये तक का बिजली का बिल माफ किया था, लेकिन आने वाली सरकार ने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। यह दस हजार रुपये के जो बिजली के बिल हमने माफ किए थे, कांग्रेस पार्टी ने वह वापस चालू कर दिए हैं, हम इसकी घोर निन्दा करते हैं, विरोध करते हैं। वर्तमान में गांवों के अंदर विजिलेंस पार्टियों को भेज रखा है, चोरी पकड़ो, जिनके कनेक्शन हैं, उनको मोटे-मोटे बिल दे दो, वीसीआर के नाम पर तीन लाख, चार लाख रुपये, सात-सात लाख रुपये के वीसीआर भरे जा रहे हैं। एक उदाहरण बताऊं मैं, एक व्यक्ति के बाड़े के अंदर विजिलेंस पार्टी गई, उसके ट्यूबवैल पर बिजली का कनेक्शन लगा हुआ था, उसके वहां पर एक टैंकर खड़ा था, उस टैंकर पर लिखा हुआ था, शर्मा वाटर सप्लाई, उसकी वीसीआर भरी कि आपका यह जो कनेक्शन है वह घर का है लेकिन आप इससे पानी की सप्लाई करते हैं, कामर्शियल काम में ले रहे हैं, साढ़े तीन लाख रुपए की शीट भर दी। मैंने कहा कि भाई, यह पानी नाली में डालें, कहीं ले जाएं, कौनसा गांव के अंदर ले जाएगा, चार सौ की आबादी का गांव है, कौनसा वाटर सप्लाई कर रहा है, बहुत मुश्किल से एमडी साहब से बात करने के बाद वीसीआर को नष्ट किया गया। इस प्रकार से लूट खसोट का काम इस प्रदेश में हो रहा है। बिजली के ट्रांसफार्मर यदि जल जाएं, चोरी हो जाएं तो उनको समय पर नहीं बदला जा रहा है, एक-एक महीने तक नहीं बदला जा रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार इसमें अपना कोई न कोई दखल दे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, एक बात और है। पिछली सरकार द्वारा सड़कों के जो काम स्वीकृत हुए जो काम हमने स्वीकृत किए थे, उन सब कामों को आने वाली सरकार ने रोक दिया, चाहे मिसिंग लिंक हो, चाहे गौरव पथ हो, चाहे नोन पेचेबल सड़कें हों। जिन सड़कों के काम चल रहे थे उन कामों को रोक दिया, ठेकेदार पैसे के लिए दर-दर भटक रहे हैं, जो सड़कें खोद दी गई हैं वहां पर मिट्टी के गुबार उड़ रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? मेरा इतना ही निवेदन है कि हम सब मिलकर इस प्रदेश की खुशहाली के लिए नए

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

आयाम स्थापित करें, यदि विपक्ष का साथ मिल रहा है, इसका अर्थ यह मत समझो कि आप अपनी मनमर्जी कर लेंगे। जितने भी विकास के काम हैं, जो-जो भी स्कीमें हमारी पिछली सरकार ने शुरू की थीं, उन सब कामों को आप चालू रखेंगे तो ही यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री पुखराज। श्री पुखराज। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

दो दिन से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हाउस में बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे साथियों ने, विपक्ष के साथियों ने बड़ी बखूबी से, बड़े बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से अपने विचार रखे और मैं समझता हूं कि जो सार्थक बहस है, इस बहस से निश्चित तौर पर राजस्थान को कुछ न कुछ नया मिलने वाला है। लोकतंत्र में हर सरकार का पैमाना चुनाव है, चुनाव के माध्यम से सरकारें बनती हैं और चुनाव के माध्यम से सरकारें जाती हैं।

राजस्थान की जनता ने 2018 में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। कांग्रेस को पांच साल तक सेवा करने का मौका दिया। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पांच साल तक जनता के हर वर्ग का खयाल रखे। किसान को खेत का पानी, फसल के लिये वाजिब दाम, आम आदमी के लिये सरकारी अस्पताल, नौजवान के लिये रोजगार और गरीबों के खाने के लिये अनाज और रहने के लिये मकान और इसके साथ-साथ व्यापारी को अच्छी टैक्स नीति मिले ताकि उसका व्यापार चल सके, यह सरकार की एक सैद्धांतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है।

राजस्थान सरकार पिछले एक वर्ष में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस बात पर कायम रही कि जो जनता के सामने हमने वायदे किये थे, जो घोषणा पत्र पेश किया था, उसके हिसाब से सरकार चल रही है। विपक्ष के लोग चाहे मानें या न मानें, एक साल में जो फैसले हुए हैं, वे राजस्थान सरकार के ऐतिहासिक फैसले हैं। क्रिटिसाइज करना इनका फर्ज है और प्रजातंत्र का उसूल यही है कि अपना-अपना पक्ष रखा जाए और बाकी जनता पर छोड़ना चाहिए।

(श्री जगदीश चन्द्र)

राज्यपाल का जो अभिभाषण था, राजस्थान सरकार ने कृषि के क्षेत्र में किसानों का ख्याल रखने के लिये कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला किया था, उसमें 18 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया गया है। मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये का कर्जा माफ हुआ है। मैं इस बात का साक्षी हूं। मैं एक गांव मोहनपुरा का उदाहरण दे सकता हूं जहां 11 करोड़ रुपये का कर्जा माफ हुआ है किसान का।

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान की सरकार थी और सरकार बनने के बाद हमारे राष्ट्रीय नेता की मौजूदगी में जयपुर में कांग्रेस की एक रैली हुई जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की कि केन्द्र सरकार की तरफ से किसान का समर्थन मूल्य तो तय किया जाता है, लेकिन समर्थन मूल्य पर किसान की फसल कभी बिकती नहीं है। यह हिन्दुस्तान की पहली सरकार है जिसने तय किया कि समर्थन मूल्य पर किसान का एक-एक दाना हम खरीदेंगे और बेचने का भी प्रबंध करेंगे। सरकार ने समर्थन मूल्य पर जो कानून लाने की तैयारी कर रखी है, उसके लिये मैं आपके माध्यम से सरकार का धन्यवाद करना चाह रहा हूं। यह पहली सरकार होगी जो समर्थन मूल्य पर कानून लेकर आ रही है।

इसके साथ-साथ फसल के खराबे की जो चर्चा थी, हमारे घोषणा पत्र में यह बात भी लिखी हुई थी कि खराबे की फसल पर इनपुट सब्सिडी देने की जो व्यवस्था की जाएगी, यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला है। जो मरा हुआ किसान था, जिसकी फसल खराब हो जाती है और दाने-दाने के लिये मोहताज हो जाता है, उसकी व्यवस्था भी राजस्थान सरकार ने की है। कृषि विपणन प्रणाली के माध्यम से राजस्थान सरकार ने फैसला किया और कृषि मंत्री जी को मैं बधाई देना चाह रहा हूं कि पहली दफा राजस्थान में किसान को समय पर बीज मिला है। यूरिया की व्यवस्था की गयी है। डीएपी की व्यवस्था की गयी है और किसान जो मारा-मारा फिर रहा था पिछली सरकार के जमाने में, कम से कम इस साल उसे भटकना नहीं पड़ा, इसलिये मैं सरकार को बधाई देना चाह रहा हूं। इतना बड़ा कदम किसानों के पक्ष में लिया गया है।

पिछले चार साल में आपने राजस्थान में देखा होगा, किस तरह से किसान आत्महत्याएं कर रहे थे। कर्जे के नीचे दबे हुए थे। रोजाना बैंक वाले

(श्री जगदीश चन्द्र)

उनके घर के चक्कर लगा रहे थे। राजस्थान सरकार ने यह कर्जा माफ कर किसानों को सम्बल देने की व्यवस्था की है। पिछले एक साल का अगर आंकड़ा आप उठाकर देखें तो कोई एक-दो केसेज के अलावा शायद ही किसी किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया हो। इससे बढ़िया बात सरकार के लिये हो ही नहीं सकती है।

इसके साथ-साथ राजस्व रिकार्ड की बहुत भारी समस्या थी, रोजाना खातेदारी की दिक्कत हो रही थी, पटवारी खातेदारी के नाम से कमीशन वसूल करते थे और किसानों को परेशान करते थे। जमाबंदी के नाम से पटवारी और ग्राम सेवक परेशान करते थे। राजस्व मंत्री जी को मैं बधाई देना चाह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान सरकार हिन्दुस्तान की पहली सरकार है जिसने पूरे के पूरे राजस्व रिकार्ड को आनलाइन कर दिया ताकि किसी भी किसान को किसी भी प्रकार की खातेदारी में दिक्कत न हो, जमाबंदी में दिक्कत न हो, अपनी जमीन का रिकार्ड लेने में दिक्कत न हो। यह फैसला राजस्थान सरकार ने किया है।

सरकार बनने के साथ-साथ हमारे कृषक कल्याण कोष में एक हजार करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गयी है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और किसानों को उद्योगों में शामिल करने के लिये, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 हैक्टेयर जमीन के ऊपर फूड प्रोसेसिंग के प्लांट लगाने की जो व्यवस्था की है बगैर लाइसेंस के, यह अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, जिसके लिये राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। आपके माध्यम से मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने किसान के साथ-साथ उस गरीब व्यक्ति का भी ख्याल किया है जो दवाई के लिये दर-दर की ठोकर खा रहा था। पिछली सरकार जो 2013 से लेकर 2018 तक थी, उसने राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल चकनाचूर करके रख दिया था। भामाशाह योजना के माध्यम से करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया था। प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिये फैसला किया गया था। हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि कोटा में बच्चों की मृत्यु हो गयी। मैं इन्हें याद दिलाना चाह रहा हूं कि राजकोट में और अहमदाबाद में दिसम्बर के महीने में 102 बच्चों की मृत्यु हुई थी जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है। जिस दिन यह रिपोर्ट मीडिया में आयी कि अहमदाबाद और राजकोट के अस्पतालों में

(श्री जगदीश चन्द्र)

102 बच्चों की मृत्यु हो गयी, उस दिन के बाद इनकी जुबान पर ताला लग गया। बोलने के लिये इनके पास कुछ नहीं था।

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान के मुख्य मंत्री का ऐतिहासिक फैसला है। मुफ्त दवाई की योजना यूरोप के बड़े-बड़े देशों में होती है। अमेरिका में ये सब चीजें होती हैं। पहली बार जब राजस्थान के मुख्य मंत्री ने 2008 में फैसला किया तो ये लोग मजाक समझ रहे थे। पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि मुफ्त दवाई कैसे हो सकती है, कैसे नि:शुल्क जांच हो सकती है, किस तरह से सरकार आर्थिक प्रबंध करेगी, इन सारी चीजों के बावजूद भी राजस्थान के मुख्य मंत्री ने ऐतिहासिक फैसला किया और उसके कारण राजस्थान का गरीब से गरीब आदमी आज सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकता है, अपनी जांच करा सकता है।

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में दुबारा से एक लाख रुपये तक की दवाई भी मिलनी शुरू हुई है। इस बात के लिये मैं सरकार को आपके माध्यम से बधाई देना चाह रहा हूं। यही राजस्थान की सरकार है जिसके द्वारा जयपुर में 12 जनता क्लीनिक खोले गए हैं। यह अपने आप में एक मिसाल कायम की गई है। इस सरकार द्वारा आगे आने वाले समय में पूरे राजस्थान में जनता क्लीनिक खोलने का जो फैसला किया गया है, यह बहुत अच्छा फैसला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहली दफा पंचायत हैडक्वार्टर पर आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का जो प्रबंध किया गया है, वह एक ऐतिहासिक फैसला है। गांव और देहात के व्यक्तियों के लिए आने जाने का साधन नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार ने फैसला किया कि की डोर स्टैप पर उसका इलाज हो, डोर स्टैप पर उसे अनाज मिले, डोर स्टैप पर किसान को बीज मिले। ये सारी की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ये सारी बातें मेंशन की हैं। यह राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाह रहा हूं। काफी लंबे समय से इस सदन के अंदर और सदन के बाहर भी इस बात की चर्चा होती थी, आरक्षण के लिये आंदोलन होते थे कि सामान्य वर्गों को भी आरक्षण

(श्री जगदीश चन्द्र)

मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार इस मामले को लेकर गम्भीर थी। राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करके 10 परसेंट आरक्षण सामान्य वर्ग को जो दिया है, जिसमें जमीन का जो एक क्लाज था, उसे हटाकर लगभग 8 लाख रुपये की वार्षिक आय के हिसाब से जो ईडब्ल्यूएस का ऐतिहासिक फैसला किया है, उसके लिए मैं सरकार को आपके माध्यम से बधाई देना चाह रहा हूं। इसके साथ-साथ जो हमारे स्कूल और कालेज थे, जिनमें ओबीसी के छात्र थे जो आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको 5 परसेंट का आरक्षण दिया गया है और सामान्य विद्यार्थियों को 10 परसेंट का उनके दाखिले में आरक्षण दिया गया है। यह सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनायी जा रही है। सारा सदन महात्मा गांधी की चर्चा कर रहा है। पूरा देश महात्मा गांधी की चर्चा कर रहा है। चर्चा करनी भी चाहिए। आने वाले 50-100 वर्षों में ऐसा महापुरुष नहीं होगा। उन्हें देवता की तरह पूजना चाहिए कि गांधी नाम का देवता हिन्दुस्तान में हुआ था, जिसने बगैर हथियार के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उनकी जयंती मनाने के लिए राजस्थान सरकार ने जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जिले हैडक्वार्टर पर, हमारे गांव और देहात के जो बच्चे हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिलता, भाषा के आधार पर जो ऊंचे पदों पर नहीं जा सकते, दिल्ली और जयपुर का मुकाबला नहीं कर सकते, उनका ख्याल रखते हुए यह फैसला किया गया है।

गांधी की आत्मा हिन्दुस्तान के गांवों में बसती है। गांधी जी को सही मायने में समर्पित राजस्थान की सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का ऐतिहासिक फैसला किया है, मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाह रहा हूं कि ये एक जिला हैडक्वार्टर पर नहीं है, राजस्थान की 10 हजार ग्राम पंचायतें हैं। राजस्थान सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह यह फैसला करे सदन के अन्दर कि प्रत्येक हैडक्वार्टर पर अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला जाएगा ताकि गांव और देहात का बच्चा अंग्रेजी पढ़कर ऊंचे अवसर प्राप्त कर सके। यह फैसला भी सरकार जो कर रही है, इसके लिये भी मैं सरकार को धन्यवाद करना चाह रहा हूं।

इसके साथ-साथ हमारे स्टेट की इंडस्ट्री के जो हालात हैं, इंडस्ट्री के हालात आपने देख लिये होंगे। राजस्थान सरकार नयी इंडस्ट्री पालिसी लेकर

(श्री जगदीश चन्द्र)

आयी है ताकि रोजगार के अवसर प्राप्त हों। इस तरीके का फैसला राजस्थान सरकार ने किया है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाह रहा हूं।

पिछले काफी दिनों से हमारे आस-पास के प्रदेशों में खिलाड़ियों को बड़े-बड़े प्रोत्साहन दिये जा रहे थे। हमारी राजस्थान सरकार ने पहली बार निर्णय किया है कि जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, जो राजस्थान को रिप्रजेंट करेंगे, उनको राजस्थान सरकार की नौकरी में दो प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया है, वह ऐतिहासिक फैसला है और मील का पत्थर राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए साबित होगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी। हमारे विपक्ष के साथियों ने बड़ी लम्बी-चौड़ी बात की। जयपुर से आने वाले एक साथी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, एफआईआर की चर्चा कर रहे थे। आपको याद होगा कि 2007 के अन्दर जब पुलिस रिफोर्म एक्ट आया था, हमारे विपक्ष के डिप्टी लीडर अभी यहां से चले गये, कल वे चर्चा कर रहे थे प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन आफ इण्डिया की जिसमें स्टेट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडवाइजरी दी गई थी और पुलिस कानून में सुधार करने की बात की। 2013 से 2018 के बीच में आपकी सरकार थी, माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया साहब बैठे हैं, ये उस जमाने के होम मिनिस्टर रहे थे। उसमें लिखा था कि प्रत्येक जिले पर, प्रत्येक सब डिविजनल हैड क्वार्टर पर पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनेगी जो इस बात का ध्यान रखेगी कि अगर किसी आदमी के साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमेटी की रेस्पांसिबिलिटी होगी और उसको न्याय दिलाने की वह कार्यवाही करेगी। आप देखो, पांच साल निकल गये, पांच साल में इनको कभी याद नहीं आया और कल अपने भाषण में कह रहे थे कि कानून व्यवस्था पर राजस्थान सरकार बात कर रही है, वह मात्र फरेब है। फरेब हमने नहीं किया। हमने तय किया है, एसपी की अकाउंटेबिलिटी तय की है कि अगर एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करता तो एसपी के दफ्तर में एफआईआर दर्ज की जाएगी और उस एसएचओ को सरकार के माध्यम से, एसपी के माध्यम से पाबंद किया जाएगा कि पीड़ित को न्याय मिले और एफआईआर दर्ज हो। यह फैसला राजस्थान की सरकार ने किया है। माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय राठौड़ साहब होते तो मैं उनसे चर्चा करता। कल उन्होंने बात की कि

(श्री जगदीश चन्द्र)

साहब चिट्टा बिक रहा है, मेडिकेटेड दवाइयां बिक रही हैं। 2013 से 2018 के बीच में आपकी सरकार थी और गंगानगर जिला, सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र उत्तर भारत की सबसे बड़ी नशे की मण्डी थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं सीधे-सीधे तौर पर पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं कि आपके नीचे यह राजस्थान में मेडिकेटेड नशे की शुरुआत हुई है। मैं हमारी सरकार को, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि मैंने विधान सभा में जब क्वेश्चन उठाया उसके बाद 100 परसेंट तो नहीं पर कम से कम 60-70 परसेंट हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया है जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं और यह उदाहरण आपके सामने है। आपको इस बात पर आत्म-चिंतन करना चाहिए कि कौनसी बड़ी गलती कर दी गई जिसकी वजह से राजस्थान में यह नशे की बीमारी फैल गई। आस-पास के प्रदेशों से जो नशे की बीमारी आ रही है इस पर आप गहन विचार करें, आत्म निरीक्षण करें और आप सरकार से माफी मांगें कि हम तो नहीं कर पाये पर आपने कम से कम इसको रोकने का प्रयास तो किया। इसके लिए मैं सीधे तौर पर मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आपने ऐतिहासिक फैसला किया है ताकि आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह वही सदन है जिस सदन ने आज से दो महीने पहले दो कानून बनाए। एक मॉब लिंचिंग का कानून था और एक ऑनर किलिंग का कानून था। पूरे देश के अन्दर यह पहला राज्य है जहां ऑनर किलिंग का कानून बनाया गया था और दूसरा राज्य हमारा था जिसने मॉब लिंचिंग का कानून बनाया। यह सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, सरकार का संकल्प है कि जीरो टोलरेंस के ऊपर हम लोग काम करेंगे और राजस्थान की सरकार ने साबित करने का प्रयास किया जिसका उदाहरण आपके सामने है। कानून अभी राष्ट्रपति जी के सामने विचाराधीन है और वह जल्दी ही लॉ बनकर हमारे बीच में आने वाला है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मुखिया का बहुत्तबहुत धन्यवाद कि साढ़े पांच सौंवी जयंती सूफी सन्त श्री गुरुनानक देव जी का पूरा देश मनाने जा रहा है, पूरी दुनिया मनाने जा रही है और पहली दफा अल्पसंख्यक और आम लोगों को सुल्तानपुर लोदी जाने के लिए राजस्थान सरकार ने मुफ्त बस की जो

(श्री जगदीश चन्द्र)

व्यवस्था की है, यह अपने आपमें ऐतिहासिक फैसला है। इसके साथ-साथ हमारे जो सिख बहुल क्षेत्र हैं उनके सिख साथियों को हिन्दू मैरिज एक्ट के माध्यम से अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और उसमें 25 से 30 हजार रुपये का खर्चा होता था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आनंद मैरिज एक्ट को लागू करके हिन्दुस्तान का तीसरा राज्य बनाया है और इतनी बड़ी सौगात सिख संगत को, सिख कम्युनिटी के लोगों को दी है। यह ऐतिहासिक फैसला किया है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने आनंद मैरिज एक्ट लागू करके राजस्थान में मिसाल पेश की है।

इसके साथ-साथ आपने गुरुनानक देव जी के ऊपर एक पीएचडी की रिसर्च स्टार्ट की है और गुरुनानक के नाम से एक गुरुनानक स्मृति वन की स्थापना करने का जो फैसला किया है यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा और इसका संदेश राजस्थान के अलावा राजस्थान के बगल के मुल्क में और दुनिया के सारे मुल्कों में गया है कि राजस्थान की सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया है। जो संत, जो पूरी दुनिया के लिए शांति कायम करने के लिए पैदा हुए थे, उनकी स्मृति में जो फैसला किया गया है यह बहुत ऐतिहासिक फैसला है। मैं आपके माध्यम से दो-तीन निवेदन और करना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा। हमारी सरकार ने हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए जो तीन सिंचाई के प्रोजेक्ट हैं, इंदिरा गांधी कैनाल, गंग कैनाल और भाखड़ा कैनाल और काफी लम्बे समय से 1998 में जब अशोक गहलोत साहब पहली बार मुख्य मंत्री थे तो 446 करोड़ रुपये गंग कैनाल की मरम्मत के लिए दिये थे 1925 के बाद में। मैं मुख्य मंत्री जी को इस संवेदनशीलता के लिए बधाई देना चाहता हूं कि दुबारा से गंगानगर की पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए 3200 करोड़ रुपये की सरहिन्द फीडर की री-लाइनिंग, भाखड़ा की री-लाइनिंग के लिए, गंग कैनाल की री-लाइनिंग के लिए दिये ताकि गंगानगर के किसानों की समस्या का समाधान परमानेंट हो सके। आये दिन वहां पर धरना-प्रदर्शन होते थे। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार ने जो किसानों पर पर्चे दर्ज किये थे जो पानी की मांग कर रहे थे उनके पर्चे माफ करने का जो फैसला किया है यह ऐतिहासिक फैसला है

(श्री जगदीश चन्द्र)

और इस बात के लिए बधाई देना चाह रहा हूं। यह वही सरकार है। पिछली सरकार अंग्रेजी सरकार थी जब किसान पानी का आंदोलन कर रहे थे... कासनियां जी, आपका नम्बर आये तब आप बोलना, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। जब पिछली सरकार में किसान पानी का आंदोलन कर रहे थे, आप भी शामिल थे, कितनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया था।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया था जिस तरह से अंग्रेज जनरल डायर ने किया था। उस बात को भी आपको महसूस करना चाहिए कि वह सीधा-सीधा किसानों के साथ अन्याय नहीं था तो और क्या था। इस बात का कोई जवाब है क्या आपके पास में?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, मुझे एक आखिरी बात आपसे बोलनी है। केन्द्र की सरकार ने तीन फैसले किये हैं, पहला फैसला किया नोटबंदी का, दूसरा फैसला किया जीएसटी का और इन दो फैसलों ने इस देश की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी। तीसरा फैसला सीएए, एनपीआर का किया जो इस देश के सामाजिक वातावरण को बिल्कुल ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है। मैं हमारे विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप बड़ी-बड़ी बात कर रहे हो, आप संविधान की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो, परसों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जिसमें एससी, एसटी के रिजर्वेशन का इश्यू था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फण्डामेंटल राइट नहीं हो सकता। आपकी सरकार से, आपके साथियों से, जो हमारे एससी, एसटी के साथी हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं कि आप केन्द्र सरकार को कहें कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल करें, नहीं तो जो आरक्षण का इश्यू है उस आरक्षण को खतरा पैदा हो जाएगा। यह सरकार डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आरक्षण को खतम करना चाह रही है। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गिरधारीलाल। माननीय सदस्य, आप

(श्री सभापति)

अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करेंगे। श्री गिरधारीलाल जी, पांच मिनट में आप अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। महोदय, राजस्थान सरकार ने बिजली के बारे में घोषणा की थी पांच साल के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर रेट नहीं बढ़ाई जाएगी मगर महोदय, पीछे के दरवाजे से अभिभाषण में जो दिया गया है किसानों पर, आम जनता पर मार पड़ी है। माननीय सभापति महोदय, विशेषकर बीकानेर जिले के अन्दर कृषि कुओं की बहुसंख्या है और वहां विशेषकर जहां बिजली की अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, सरकार में मंत्री भी हैं, आज वहां वोल्टेज की स्थिति खराब है।

दूसरी बात अभिभाषण के अंदर राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है। यह भी सोचने का विषय है। जहां तक कर्ज की बात चली, दोनों पक्षों को मैं सुन रहा था, केन्द्र की बड़ाई कर रहे थे, कोई राज्य सरकार की बड़ाई कर रहे थे। कर्जा माफ हुआ, कोई कहे कर्जा माफ नहीं हुआ, मात्र किसान को ठगा गया। किसान आज भी राजस्थान के अन्दर, आत्महत्याएं कर रहा है। बीकानेर के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, सभापति महोदय, 3 हजार किसानों की जमीन नीलाम हो चुकी है। उस हालत के अंदर ये हालात हैं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 30 हजार ट्यूबवैल हैं, 30 हजार ट्यूबवैल में से हम मांग करते हैं सरकार से एक भी शब्द नहीं है, फसल पकाव पर है, किसानों के धड़ाधड़, धड़ाधड़ कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इस सूरत के अंदर हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक फसल की पकाई हो, किसानों के कनेक्शन नहीं काटे जाएं और जो किसान, जिनके बिल की राशि ज्यादा है, उनको ब्याज और पैनल्टी की छूट दी जाए।

सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से आग्रह, अन्यथा बीकानेर जिले का किसान, राजस्थान का किसान बच नहीं पाएगा। मैं आपको कहता हूं अभी बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले जो सत्ता में, आप पार्टी वाले दिल्ली में सत्ता में आये हैं। ये हालात वहां बीजेपी और कांग्रेस के हैं।

पंचायती राज व्यवस्था की क्या हालत हो रही है। महोदय, पंचायती राज व्यवस्था, हमें क्यों आज प्रशासक लगाना पड़ा, यह सदन जानना चाहता

(श्री गिरधारीलाल)

है। क्या ऐसी नौबत आ गई, चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच में क्या तालमेल नहीं है। ये हालात सरकार ने पैदा किये हैं। आज जनता को यह भुगतना पड़ रहा है। सभापति महोदय, ये चुनाव कब हो जाएंगे, जनता हमसे पूछती है। अप्रैल में होंगे, जून में होंगे, सरकार की मंशा पर है। जनतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। आज हमारे ऊपर राजतंत्र बैठ गया है। गांव की सरकार बनी है, दो चार जगह और पूरे राजस्थान के अन्दर प्रशासक वहां राजतंत्र बैठ गया है। ये हालात प्रजातंत्र के हैं, पंचायती राज व्यवस्था के। ज्यादा न कहते हुए अन्त में मेरा दर्द है कि किसान को बचाने के लिए किसान की फसल तक कनेक्शन न काटें और जो बकाया पर है किसान, उसके ब्याज और पैनल्टी माफ की जाए। सभापति महोदय, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह जी भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका आभार। मैं प्रस्तुत अभिभाषण के विपक्ष में अपनी बात रखूंगा। अभिभाषण सरकार के एक वर्ष का आईना होता है जबकि इस वर्ष एवं पिछले वर्ष के अभिभाषण की प्रति का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि झूठ की भी सीमा होती है पर इसमें तो सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। इसमें 122 बिन्दु, 34 पेज समाहित करके सरकार की तस्वीर साफ की है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी कुछ नहीं करेंगे। हमारा प्रस्तुत आईना आप सभी पढ़ लें, सरकार का विजन क्या है पता नहीं चल रहा है। विभागवार समीक्षा की जाए तो अधिकारी, कर्मचारी और कर्मचारी मंत्री अपनी-अपनी बात करते हैं। सड़कों को लिया जाए तो पिछले 14 माह में एक भी सड़क नहीं बन पा रही है, स्वीकृत सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। विभागीय अधिकारियों को कहा गया कि समीक्षा करें। किस बात की समीक्षा, आपने किया ही कुछ नहीं है तो किस बात की समीक्षा करें।

सभापति महोदय, इसी भांति हर विभाग शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली किसी में भी कार्य की प्रगति सुनिए, केवल और केवल मात्र दिल्ली जयपुर की यात्राएं एवं आक्रोश रैलियां करवाई जा रही हैं। आक्रोश तो आम जनता में है आपके कार्यों से कि कुछ नहीं किया, इसलिए पूरी जनता युवाओं से लेकर राजस्थान की जनता आपके कार्यों पर आक्रोश कर रही है। हां, आपने पिछले 14 माह में जनता को परेशान जरूर किया है। पंचायत पुनर्गठन 2020

(श्री हमीर सिंह भायल)

को लेकर आमजन की भावना के विरुद्ध, सभी ग्राम पंचायतों एवं समितियों को तोड़ा गया और कोई नियम नहीं, कानून नहीं, मनमर्जी से पंचायतों के गठन की अधिसूचना अलग-अलग जारी की, जिसके कारण आमजन माननीय न्यायालय की शरण में गया और अब भी पुनर्गठन जनसंख्या के आधार पर, अगर 2011 की जनगणना मानकर किया जा रहा है, जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन हो चुका 2014 में, नियमानुसार पुनर्गठन 2021 के बाद ही होना चाहिए था, पर कौन सुने, कौन समझे, किसी को समझने का माद्दा नहीं रहा। पंचायत समिति, जिला परिषद् के चुनाव नहीं करवाकर प्रशासक लगा दिये गये हैं। जो पंचायतें और समितियां अब तक अस्तित्व में भी नहीं हैं, कैसे काम करेंगे वहां प्रशासक भी, इनका भी आमजन की परेशानी के अलावा कोई विजन नहीं है।

सभापति महोदय, आपस का ईगो जनमानस को परेशान करता है। यहां तक की जनता दरबार में जनसुनवाई के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक पधारते हैं। मैंने दिनांक 05.02.2020 की पत्रिका में हैडलाइन देखी तो माननीय मंत्री जी अपनी दरख्वास्त लेकर जन सुनवाई में जा रहे थे, इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है। प्रदेश के आमजन में इस खबर से, ये लगा कि किसी की कोई नहीं सुनेगा। सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चिंतित, आनन-फानन में अधिवेशन बुलाकर संकल्प पत्र पारित करवाया। ये नागरिकता कानून का विरोध करते हैं। आपको संकल्प पत्र पारित करवाना ही था तो आप गुप्त मतदान करवाते, अपने आप में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। नागरिकता संशोधन बिल में आपका क्या, आप न तो किसी को नागरिकता दे सकते हो और न ही नागरिकता ले सकते हो। केन्द्र के विषय में आपके वरिष्ठ नेताओं ने कई बार स्पष्ट भी किया कि यह विषय केन्द्र का है तो आम जन में किस कारण भ्रम फैला रहे हैं। अपने विषय से हटकर किसी बात पर समय बर्बाद करना मुझे तो सही नहीं लग रहा है। सत्ताधारी दल की मति को क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, अभिभाषण के बिन्दु संख्या 9 में अंकित है कि सितम्बर, 2019 से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। सितम्बर, 2019 को गये 7 माह बीत गये हैं, एक भी अस्पताल में योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद किया गया। केन्द्र की आयुष्मान भारत योजना को भी आपने

(श्री हमीर सिंह भायल)

प्रारम्भ नहीं किया, अभिभाषण में झूठ के आंकड़े पेश किये जा रहे हैं। कहां गई जनता क्लीनिक योजना? स्वास्थ्य विभाग की सभी स्कीमें बंद पड़ीं हैं, आमजन परेशान हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हर बिन्दु में अंकित है कि ऐसा किया जाएगा, कब किया जाएगा, कोई समय सीमा तो होगी। संविदाकर्मियों के लिए भी कहा गया था कि 6 माह में सब-कमेटी निर्णय करेगी, परन्तु अभी तक किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच पाए। कृषक कल्याण कोष से अभी तक कितने किसानों का कल्याण किया गया। कई किसान ऐसे भी हैं, जो सहकारी समिति से वर्षों से ऋण ले रहे थे, लेकिन समय पर भुगतान अकाल के कारण नहीं कर सके तो आपने इनको डिफाल्टर की श्रेणी में डाल दिया और इनका ऋण माफ भी हुआ पर अब वापस ऋण देने के लिए स्थानीय स्तर पर कोई आप्शन नहीं, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में ऐसे हजारों किसान जो इस कारण से ऋण से वंचित रह गये।

माननीय सभापति महोदय, सरकार कहती है कि हम किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। कहां तक संवदेनशील माना जाए सरकार को, किसानों की हालत पतली होती जा रही है। टिड्डी दल से हुए नुकसान का सर्वे भी खराबे के अनुसार नहीं हुआ और किसानों की सदमे से मौत हुई है। बाड़मेर जिले में गुडामालानी के पिपराली में और पचपदरा के किटनोद में 2 किसानों की सदमे से मौत भी हो गई। उनकी सरकार ने सुध भी नहीं ली। अगर मुख्य मंत्री जी पधारते तो सबसे अच्छा रहता। किसानों को सहकारी समिति से जो दिया जाता है उसका आधा करके किसानों की संख्या आंकड़ों में जरूर बढ़ा दी परंतु किसानों को जो एक लाख बीस हजार या लाख या सत्तर हजार जो दे रहे थे वह आपने 25 से 30000 करके किसानों की संख्या जरूर बढ़ाई पर किसानों पर इतना घाटा डाल दिया कि जिसकी कोई हद नहीं है। मात्रा में कम करके आंकड़ों का मायाजाल असत्य पेश किया जाकर अभिभाषण में सदन को गुमराह करने का काम किया है। वैसे एक अच्छी बात की है उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। बिंदु संख्या-33 में अंकित आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों की वार्षिक आय सीमा आठ लाख रुपये रखकर राहत प्रदान की, इसके लिए मैं आभार भी प्रकट करता हूं। किसानों को दिया जाने वाला अनुदान, कृषि विभाग, स्कूटी योजना स्कूलों की, ट्रांसपोर्ट वाउचर, छात्रों के लिए बिजली के बिलों पर अनुदान प्रतिमाह का, श्रमिक योजना में बाड़मेर जिले में श्रमिकों

(श्री हमीर सिंह भायल)

को जो लाभ मिलता था वह सारा बंद पड़ा है। बाकी किसी क्षेत्र में अनुदान की बात ही नहीं है। उपकोष कार्यालयों में सरकार के निर्देश हैं कि वेतन के अलावा किसी भी प्रकार का बिल पास नहीं करें। अगर किसी कर्मचारी का वेतन भी दो माह तक अटक जाता है तो तीसरे माह पास नहीं होता है, अगर होता है तो मात्र एक माह का ही होता है। यह स्थिति जिलों में बनी हुई है। सरकार संवेदनशीलता की बात करती है लेकिन लगता नहीं है किसी भी दृष्टि से संवेदनशील है।

स्वस्थ भारत मिशन राज्य में पिछले एक वर्ष से बंद पड़ा है। कोई भी काम इसमें नहीं हो रहा है, जबकि इसमें केन्द्रीय सहायता दी जाती है तो भी कार्य करने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। पंचायती राज विभाग में तो यह हालत हो गई कि राजस्थान से पैसे गए तो जिला परिषद् में पड़े हैं और जिला परिषद् में अगर दिया तो विकास अधिकारी के पास में पड़े हैं पंचायत के अकाउंट में आज भी। आधे चुनाव हो गए और आधे चुनाव भी नहीं हुए तो पंचायतों में कोई ऐसी पंचायत नहीं है कि 20 से 40 लाख पंचायत का ड्यू पड़ा है और आज की तारीख में महानरेगा का पेमेंट भी नहीं हो रहा है। प्रदेश में अपराध, बलात्कार, चोरी, डकैती का ग्राफ बढ़ रहा है लेकिन सरकार इस ओर अपना ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार तो केवल मात्र दिल्ली...

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 2 मिनट। बेरोजगारी भत्ता, सरकार ने सिवाय असत्य का पुल बांधने के अलावा, सहकारी समिति से लगाकर अपराध का ग्राफ जरूर बढ़ाया है और किसानों के लिए गरीब के लिए और आमजन के लिए रोडों के लिए सरकार ने वादा किया था कि ग्रामीण पथ के लिए हम गौरव पथ देंगे। मंत्री जी ने विधान सभा क्षेत्र से हर पंचायत के प्रपोजल मंगाए और उन्होंने वापस विधान सभा में गौरव पथ देने के लिए एक का प्रपोजल अलग मंगाया। इसलिए न तो रोडों का काम हो रहा है और न बिजली में, जो किसानों के ऊपर व्यय भार ग्रामीण क्षेत्र से लगाकर लघु सीमांत, सब पर बिजली का बिल बढ़ाकर किसानों पर व्यय भार डाल दिया है इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। यह अभिभाषण जो राज्यपाल महोदय से पढ़ाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविंद राम।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया। सदन का समय 6.00 बजे तक बढ़ाया गया।

श्री गोविंद राम।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभापति महोदय, आज हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई है। नोटबंदी और जीएसटी के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ऐसी स्थिति में हमें सरकार मिली क्योंकि पिछली सरकार ने भी करीब सवा सौ लाख रुपये का कर्जा छोड़ा था, ऐसी स्थिति में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने अपने अनुभव से और बहुत लंबे पॉलिटिक्स में सक्रिय रहने के कारण विभिन्न परिस्थितियों के कारण भी इन्होंने कर्ज माफी की जो घोषणा थी, हम लोगों ने सहकारी विभाग में किया है और जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनके संबंध में केन्द्र को डिमाण्ड पत्र दिया लेकिन केन्द्र सरकार की नीयत ठीक नहीं होने के कारण अभी तक सभी किसानों के जितने कर्ज माफ होने चाहिए थे वह नहीं हो पाए।

सभापति महोदय, जो अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने पढ़ा, उसके अंदर टिड्डी के प्रकोप की भी चर्चा हुई। मेरे क्षेत्र खाजूवाला में भी टिड्डी आई। हम खुद किसानों के साथ में लगकर, मैं इस सदन के माध्यम से किसानों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने किसानों ने कम से कम 50 -50 ट्रैक्टर लेकर और राज्य सरकार ने दवाई की व्यवस्था की और सुबह 5:00 बजे जहां टिड्डी दल रात को रुकता था, वह अटैक करता था सुबह

(श्री गोविंद राम)

5:00 बजे और हमारे क्षेत्र में लाखों टिड्डियां, क्योंकि मेरा क्षेत्र पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक है वह सीमा पार से होकर आती थी और फसल के ऊपर दिन में बैठने के बाद हम उस पर अटैक नहीं कर सकते थे, दवाई नहीं छिड़क सकते अन्यथा फसल चौपट हो जाती लेकिन हमें दु:ख है इस बात का कि जिस तरह से राठौड़ साहब ने कहा कि टिड्डी के टाइम कुछ किसानों ने थालियां बजाई। राठौड़ साहब, हमें तो दु:ख इस बात का भी है कि शाहीन बाग में महिलाएं धरने दे रही हैं, वहां गोलियां चलाई जा रही हैं। किसान टिड्डी के लिए जब तक सरकार नहीं पहुंचे 2 मिनट के लिए तो वह कैसे ही अपना बचाव करता है लेकिन सरकार इतनी सक्रिय थी कि हमने हमारे क्षेत्र में टिड्डी का बिल्कुल सफाया कर दिया। किसी तरह से वहां आज टिड्डी का प्रकोप नहीं है लेकिन यह जरूर चिंता का विषय है कि टिड्डी वापस भी आ सकती है।

मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं की भी आपने पेंशन बढ़ाई। आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनियों का भी मानदेय बढ़ाया।

हर व्यक्ति के लिए नि:संकोच रूप से अगर उसकी FIR दर्ज नहीं हो तो एसपी आफिस में भी FIR की व्यवस्था करने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की।

बिजली के अंदर 1,27,910 कृषि कनेक्शन किए गए क्योंकि पिछली सरकार ने डिमांड नोटिस निकाल दिए। कइयों ने डिमांड नोटिस भर दिए हैं लेकिन कनेक्शन नहीं हुए थे। हजारों कनेक्शन हमारे क्षेत्र में हुए हैं और इसके अलावा जो दीनदयाल योजना थी, पता नहीं टेंडर इन्होंने किसको डीपियों का दिया, बहुत सारे किसानों की डीपियां जली हुई लगा दी गई। सभापति महोदय, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। हमारे कार्यकाल में वह सारी की सारी डीपियां बदलवाई गई और हमारे बहुत सारे 1,27,910 कनेक्शन हुए। लाखों कनेक्शन निश्चित रूप से हमारे किसानों के हैं, कुओं के वह भी हुए हैं 6 लाख घरेलू कनेक्शन और 1,27,910 कृषि कनेक्शन हुए हैं। अगले 4 वर्षों तक बिजली बिल की भी बात हुई लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में अभी कुछ बिल बढ़ाया गया है। इस संबंध में भी हमारे लिए चिंता का विषय है। 400 केवी का एक जीएसएस लगाया गया, 220 केवी का जीएसएस, 132 केवी के 12 जीएसएस लगाए गए, 33 केवी के 296 जीएसएस स्थापित किए गए पूरे राजस्थान में।

शिक्षा के संबंध में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने दसवीं की, 289 सैकण्डरी स्कूल से सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत

(श्री गोविंद राम)

की, 314 मिडिल से सैकण्डरी और साठ स्कूलें प्राइमरी से मिडिल भी की गईं।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्रों में जब हम घूमते थे तो विद्यालय के जो भवन हैं वह टूटे हुए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने अंबेडकर जी की विचारधारा से महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर सबसे ज्यादा शिक्षा पर फोकस किया और जहां भवन नहीं थे वहां भवन बनाने का काम किया और जिन स्कूलों में पानी का कनेक्शन नहीं है वह पानी के कनेक्शन हुए। जहां वाटर कूलर की स्थिति थी वहां वाटर कूलर देने का काम किया गया क्योंकि जो ज्योतिबा फुले थे वे सामाजिक क्रांति के प्रेरक थे जिन्होंने इस देश में सबसे पहले शिक्षा का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना गति नहीं, गति के बिना अर्थ नहीं और अर्थ के बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को कि जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया और स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया।

(17.00 बजे)

आदरणीय सभापति जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में बहुत सारे कालेज खोले गए जिसमें हमें भी हमारे क्षेत्र में छतरगढ़ में एक कालेज मिला, हमारे बज्जू में भी कालेज मिला।

इसके अलावा एक बहुत-बड़ा काम हुआ राजस्थान में कि पूरे राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में यह पहला मौका है जहां नि:शुल्क दवाई की व्यवस्था 2008 में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने की, जो हमारे देश के लिये एक सीखने की बात है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम चाहते हैं कि ऐसे जो लोग समाज सुधार करने का काम करते हैं, उनको हमको राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। उसमें आज अशोक गहलोत जी का नाम आता है जो जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते और आज वह उस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य जब गुस्से में आते हैं तो नेहरू जी तक की आलोचना कर देते हैं। अभी एक साथी बोल रहे थे कि हमारे नवलगढ़ से आने वाले सदस्य ने प्रधान मंत्री जी की आलोचना कर दी। यह प्रजातंत्र है, इसमें हर आदमी को संविधान के दायरे में बोलने का अधिकार है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे देश के

(श्री गोविंद राम)

हालात ठीक नहीं हैं। आज नोटबंदी और जीएसटी के कारण हमारा देश आर्थिक रूप से टूट चुका है। जिन प्रधान मंत्री जी की यह बहुत बड़ीबड़ी प्रशंसा करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि विश्व में हमारा देश एक नंबर पर आये लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज हमारे देश में हमारी जीडीपी 5 परसेंट होने के कारण बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गये हैं। हमारे प्रतिपक्ष के जो भी साथी बैठे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने 2014 में घोषणा की थी कि 2 करोड़ लोगों को हम सालाना रोजगार देंगे, आज उस पर यह बोलना नहीं चाहते। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपये प्रत्येक आदमी के खाते में डाल देंगे, आज यह उसकी चर्चा करना नहीं चाहते। आज एनआरसी, एनपीआर, सीएए लाकर पूरे देश में दंगे का माहौल बना दिया। आज 70 साल की आजादी के बाद हम यह कहना चाहते हैं कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि जाति और धर्म के नाम पर दंगे होंगे। अभी संविधान दिवस पर इन्होंने दो दिन का सत्र चलाया। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है कि संविधान बहुत अच्छा है लेकिन संविधान को चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो हमारा संविधान अच्छा नहीं कहलायेगा।

आज आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। इससे पहले यह लोग मुसलमानों को चिढ़ाने के लिये तीन तलाक लाये। उसके बाद लाये धारा 370 और यह कहते हैं कि जम्मू में शांति है, तो फिर आपने वहां लोगों को रासुका में बंद क्यों कर रखा है? क्यों वहां नेताओं को नजरबंद कर रखा है? फिर आप अयोध्या का मुद्दा लाये। उसके बाद आप एनआरसी लाये। यूपी में जब चुनाव हुए तब आपने एक भी सीट मुसलमान को नहीं देकर साबित कर दिया कि जो आपके एमपी नारा लगा रहे हैं 'देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को', पार्टी के मंच पर भी बोलने का अधिकार होता है। अगर आप इन बातों का विरोध करते तो समझ में आता कि आप लोग कहीं न कहीं सही बात उठाने का माद्दा रख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह गद्दार कौन हैं? इसलिए जो हमारे साथी पहले बोले कि इनके विरोध में कोई भी बोलता है तो यह उसको देशद्रोही की संज्ञा देते हैं। हम आज यह पूछना चाहते हैं कि आखिर इस देश में गद्दार कौन हैं? हमारे एक बहुत सीनियर साथी अभी बोल रहे थे कि देश में जो गद्दार हैं उनको निकालना है। आप पहले उनको चिह्नित तो करो कि आखिर कौन हैं। सबसे पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट में बोले कि एनआरसी लाना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी को समझने का

(श्री गोविंद राम)

काम करो। आपके प्रधान मंत्री जी रामलीला मैदान में रैली में बोलते हैं, एनआरसी कभी भी नहीं आ सकती और इधर जब आपने आसाम में एनआरसी कराई तो 19 लाख में से 16 लाख हिन्दू निकले, जब आपको सीएए लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा, क्योंकि हिन्दुओं को अब बाहर निकालना मुश्किल हो गया। इनके दिमाग में यह था कि सब मुसलमान हैं, इनको बाहर निकाल देंगे। सभापति महोदय, इसलिए आज देश के प्रजातंत्र को खतरा है। मैं याद करना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने आकर यह स्टेटमेंट दिया था कि जो वर्तमान में केन्द्रीय सरकार चल रही है, इससे देश में शांति नहीं रह सकती जबकि सुप्रीम कोर्ट को सारे अधिकार हैं लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं थीं, चाहे वह हमारा आरबीआई बैंक हो, आज वह कमजोर हो गया, उस वजह से नोटबंदी आई। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उनमें भी जो फैसले आते हैं, वह बहुत अजीब तरह के आ रहे हैं। आज आरक्षण पर आप फैसला लाये हैं, हम कहते भी हैं और यह बात बिलकुल तय है कि सबसे पहले यह मुसलमान को यहां से भगाना चाहते हैं और उनका जो सैकण्ड आक्रमण होगा, वह दलित के ऊपर होगा। आज यूपी में योगी हैं, योगी हम उनको कहते थे जो अपना घरबार छोड़कर जंगल में रहने का काम करते थे। गांव में कोई भी भगवा पहनकर आता था तो उनके पांव छू कर आशीर्वाद लेते थे लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज सारे महाराज एमपी और एमएलए बन रहे हैं। आज चिन्मयानंद एमपी बन रहा है, आसाराम जी के यह सबसे बड़े भगत बन रहे हैं। आदित्यनाथ जी खुला भाषण दे रहे हैं कि हम लोगों को गोली से समझाना पड़ेगा। आज दिल्ली में चुनाव हुए इन्होंने खुले रूप से कहा कि यह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का चुनाव हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर सोचें कि आज पाकिस्तान कौन है? क्या आज जो हार गये वह पाकिस्तान हो गये, जीतने वाला केजरीवाल, क्या आज हिन्दुस्तान हो गया? इसलिए आप लोग अपनी भाषाओं की मर्यादा रखें क्योंकि आप और हम सब कभी विपक्ष में आयेंगे, कभी हम पक्ष में रहेंगे, जरूरी नहीं जनता दुबारा जिता दे। इसलिए आज जो हमारे देश के हालात हो गये हैं, आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इतना जोर से खटका दबाओ ताकि करंट सीधा शाहीनबाग में जाये। पूरे दिल्ली के चुनाव को इन्होंने हिन्दू मुसलमान का बनाने का काम किया।

राजाओं के राज में जब युद्ध होते थे। मैंने शिवाजी के युद्ध की एक

(श्री गोविंद राम)

कहानी पढ़ी। एक महिला बीच में रह गई तो उनकी सेनाओं को कहा कि इस महिला को घर तक छोड़ कर आओ। आज जिस महिला की तीन तलाक की लड़ाई आप लड़ रहे थे, आज वह तीस-तीस हजार महिलाएं शाहीनबाग में बैठी हैं। कानपुर में उनके कंबल उठाये जाते हैं। कभी आप फायर कराने का काम करते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह फायर करने वाले कौन लोग हैं और इन पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? आज डीवाईएसपी देवेन्द्र सिंह जिसका अफजल गुरु की डायरी में पूरा रिकार्ड आया है, आपने उसकी जांच क्यों नहीं करवाई? आपने उसे कैसे जेल भेज दिया? बोम्बे का कांड हुआ, अजमल कसाब, उसमें भी उसका नाम आ रहा है। आज दो आतंकवादी वहां पकड़े गये। सभापति महोदय, आज देश की आजादी खतरे में है। इसलिए मैं प्रतिपक्ष के नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि आप भले ही हमें धमकाने का काम करो लेकिन आपने देश के वह हालात पैदा कर दिये हैं कि हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम जेल चले जायेंगे लेकिन आप जो देश का बंटवारा करना चाहते हो, आप देश को गुलाम बनाना चाहते हो, आप धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हो, आपको देश को नहीं तोड़ने देंगे। आज शाहीनबाग में सरदार आये, आपने कह दिया कि यह नकली लोग हैं। आज वह बसें ले-लेकर वहां धरने में समर्थन देने आये। आज वहां बहुत सारे हिन्दू लोग बैठे हैं। अगर आपके आरएसएस में दम होता तो सामने खड़े होकर गोली मारता। वह पुलिस के पास जाकर एक तमंचे से गोली चला रहा है। दूसरा गया, तीन फायर करके भाग गया। तीसरा गया, वह तीन फायर करके भाग गया। जेएनयू कालेज में जब मैं डूंगर कालेज का स्टूडेंट था, मेरे पास एक लड़का आया ...(व्यवधान) बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बैठ जाइए आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। विराजिए, विराजिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप गायों के सबसे बड़े रक्षक हो, मैं जानता हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, इस आरएसएस का जन्म 1927 में हुआ। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती थी तो यह आरएसएस +++ करने का काम करता था और मुझे दुःख है कि आज बड़े-बड़े अच्छे लोग उसमें सम्मिलित हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, एक दो साल नहीं, 54 साल आपका राज रहा था। अगर आप में दम होता तो न्याय के आधार पर आगे बढ़ते न। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज, सहयोग कीजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: एक मिनट विराजिए, विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, विराजिए, विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य प्रोवोक नहीं करेंगे। यदि +++ शब्द कोई है, यदि असंसदीय शब्द होगा तो उसको हटा दिया जाएगा।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, 1948 में गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दी गयी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इन्होंने जो कुछ भी बोला है, वह हिस्टोरिकल फैक्ट है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या फैक्ट है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह ऐतिहासिक फैक्ट है। कुछ आरोप इन्होंने लगाये, सत्य आरोप हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जब के ये आरोप हैं, तब आप पैदा ही नहीं हुए थे। जब आरएसएस पैदा हुआ, तब आप पैदा ही नहीं हुए थे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप से दो साल पहले पैदा हो गया था ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप +++ का क्या मतलब समझते हो? आप पैदा ही नहीं हुए थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पैरों पर है। विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 94-95 साल पहले संघ पैदा हुआ है।

श्री सभापति: कटारिया जी, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हम यह सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। यह सुनने के लिए नहीं बैठे हैं कि इतने जिम्मेदार मंत्री इस प्रकार की +++ बातें कर रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप लोग +++ किया करते थे ...(व्यवधान) +++ करते थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तब आप पैदा ही नहीं हुए थे। जब संघ पैदा हुआ था, तब आप ही नहीं हुए थे। यहां बातें कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): देश की जनता को बताने के लिए यह आवश्यक है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अपनी पार्टी से बोलें। अभी आप आलआउट हुए हो। आप अभी दिल्ली में जीरो पर आये हो, यह आपको पता है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा नहीं चलेगा ...(व्यवधान) नहीं चले तो न चले, खतम हो जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, 1948 में महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलायी। नाथूराम गोडसे ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मंत्री इस प्रकार की बात बोलता है, हद हो गयी। ऐसा नहीं चलेगा, अपने शब्दों को वापस लें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में नारे)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। आज ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। हम इनसे नहीं घबराएंगे। सफेद अंग्रेजों को भगा दिया और ये काले अंग्रेज बनकर गरीब को, मुसलमान को, मेहनतकश को, कांग्रेस को खतम करना चाहते हैं। हम भी इनसे लड़ने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 12 फरवरी 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 17.14 बजे बुधवार, दिनांक 12 फरवरी 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

खानपुर में जीएसएस के भवन एवं चारदीवारी का निर्माण

20. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कहां-कहां 33 केवी जीएसएस के भवन एवं चारदीवारी के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त जीएसएस के भवन एवं चारदीवारी निर्माण हेतु स्वीकृति कब तक जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में स्थापित/स्वीकृत 33/11 केवी के सभी सबस्टेशनों के भवन एवं चारदीवारी के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) उपरोक्तानुसार।

मनोहरथाना में राशन डीलरों के निरस्त अनुज्ञा-पत्र

24. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कितने राशन डीलरों के अनुज्ञा-पत्र निलम्बित अथवा निरस्त हैं? वर्ष 2019 में कितने निरस्त किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में निलम्बित व निरस्त राशन व केरोसीन डीलरों का चार्ज किन-किन डीलरों को दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 03 राशन डीलरों के प्राधिकार पत्र निलम्बित एवं 05 के प्राधिकार पत्र निरस्त हैं। शहरी क्षेत्र में कोई प्राधिकार पत्र निलम्बित/निरस्त नहीं है। वर्ष 2019 में 01 प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में वर्तमान में निलम्बित व निरस्त राशन डीलरों का चार्ज जिन डीलरों को दिया गया है, की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वर्ष 2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के आउटडोर चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण

19. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त सरकारी कार्मिकों को आउटडोर के इलाज पर होने वाले व्यय का सरकार पुनर्भुगतान नहीं करती है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त सरकारी कार्मिकों को अब उक्त मेडिकल सुविधा देने हेतु सरकार द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त सरकारी कार्मिकों को भी आउटडोर चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण करने के प्रस्ताव को मंजूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों को मेडिक्लेम पालिसी के अर्न्तगत चिकित्सा सुविधा प्रदत्त की गयी है, जिसमें आउटडोर में इलाज की सुविधा नहीं है।

दिनांक 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों को नीतिगत निर्णय के अनुसार मेडिक्लेम पालिसी के अर्न्तगत चिकित्सा सुविधा प्रदत्त की गयी है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के स्तर पर अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जन आधार कार्ड लागू करने पर आर्थिक भार

20. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नारायण सिंह देवल)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जन आधार कार्ड लागू किया गया है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(2) जन आधार कार्ड लागू करने से सरकार पर कितना अतिरिक्त आर्थिक भार आयेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जन आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड में क्या अन्तर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश, 2019 के तहत राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत दिनांक 18.12.2019 से जन आधार कार्ड जारी किया जा रहा है।

(2) राजस्थान जन-आधार योजनान्तर्गत जन आधार रेजिडेन्ट डेटा रिपोजिटरी में सूचना अद्यतन करने, कार्ड छपवाने तथा कार्ड के वितरण में व्यय को सम्मिलित करते हुए प्रति कार्ड लगभग 20.00 रुपये का व्यय होना संभावित है।

(3) राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश, 2019 के अन्तर्गत जन आधार कार्ड जारी किया जा रहा है जबकि भामाशाह कार्ड, राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अन्तरण एवं सेवाओं का परिदान) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत जारी किया गया था।

बहरोड़ के पुलिस थाने से अपराधी को छुड़ाने की घटना

21. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत दो वर्ष में पुलिस थाना बहरोड़ जिला अलवर में अपराधी को छुड़ाने की घटना हुई है? यदि हां, तो उक्त घटना में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस द्वारा अब तक उक्त घटना के अपराधियों को नहीं पकड़ने के क्या-क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत दो वर्षों में थाना बहरोड़ जिला अलवर (पुलिस जिला भिवाड़ी) में अपराधी विक्रम उर्फ पपला को छुड़ाने की एक घटना हुई है।

(गृह मंत्री)

प्रकरण संख्या 741/2019 पुलिस थाना बहरोड़ में घटना में शामिल अब तक कुल 27 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाकर 23 मुल्जिमानों के विरुद्ध जरिये चार्जशीट नंबर 601/2019 दिनांक 05.11.2019 धारा 147, 148, 149, 201, 332, 353, 307, 224, 225, 459, 450, 212, 216 34 भा.दं.सं. व सपठित धारा 120बी भा.दं.सं. 7/27, 35 आर्म्स एक्ट 1959 व 4 पी.डी.पी.पी. एक्ट 1984, न्यायालय में पेश की जा चुकी है। उक्त प्रकरण में गिरफ्तार 27 आरोपियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रकरण में शेष मुल्जिमान 1. विक्रम उर्फ पपला 2. राजवीर 3. बलवीर 4. विनोद कुमार 5. जलेसिंह की तलाश परम्परागत मुखबीर तंत्र, तकनीकी सहायता, स्थानीय पुलिस, सी.आई.ए. हरियाणा, एस.टी.एफ. हरियाणा, दिल्ली पुलिस, उत्तरप्रदेश पुलिस व अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क कर की जा रही है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी हेतु इनाम की घोषणा भी की जा चुकी है। सभी शेष मुल्जिमान के तलाश हेतु भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परवन वृहद सिंचाई परियोजना में बांध निर्माण

22. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) परवन वृहद सिंचाई परियोजना में बांध के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? इसके निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है, उक्त कार्य कब तक पूरा होना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध के निर्माण पूर्ण होने पर कितनी भूमि सिंचित होगी?

(3) सिंचाई के लिए किस-किस तकनीक के द्वारा कितने संवेदकों को कितनी-कितनी भूमि के टेण्डर दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परवन वृहद सिंचाई परियोजना में बांध निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 673 करोड़ के कार्यादेश स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में लगभग 10 प्रतिशत बांध निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा बांध कार्य माह अक्टूबर, 2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) बांध का निर्माण पूर्ण हो जाने पर लगभग 2.01 लाख हैक्टेयर सी.सी.ए. में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(जल संसाधन मंत्री)

(3) परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाने हेतु प्रथम चरण के 1.31 लाख हैक्टेयर तथा द्वितीय चरण के 0.70 लाख हैक्टेयर सी.सी.ए. में नहरी तंत्र का निर्माण किये जाने हेतु संवेदकों को कार्यादेश जारी किये गये हैं।

नदियों को जोड़ने की परियोजना

23. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में नदियों को जोड़ने की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक नदियों को जोड़ने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने हेतु राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो किस-किस मद में कितनी राशि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रामगढ़ बांध व बीसलपुर बांध के जल आवक को बढ़ाने हेतु किसी अन्य जल स्रोत से जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में नदियों को जोड़ने की योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किये गये/जा रहे हैं। इन योजनाओं के संबंध में अब तक किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं की डी.एफ.आर., डी.पी.आर. एवं निर्माण कार्य हेतु किये व्यय एवं मद का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) रामगढ़ बांध एवं बीसलपुर बांध को प्रस्तावित "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" अंतर्गत जोड़ा जाना सम्मिलित है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर के धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने की योजना

24. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शंकर सिंह रावत)

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में ऐसे कितने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, जहां आवागमन हेतु सड़कों का अभाव है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार श्रद्धालुओं की परेशानियों को देखते हुए उक्त धार्मिक स्थलों तक सुगम आवागमन हेतु सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर आवागमन हेतु सड़कें हैं।

(2) ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सड़क से जुड़े हुए हैं।

जालौर में ग्राम तड़वा से बैरठ तक पक्के मार्ग का निर्माण

25. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जालौर में ग्राम तड़वा से बैरठ के मध्य स्थित मार्ग कच्चा है?

(2) क्या यह भी सही है कि रामदेवरा जाने वाले पद यात्री प्रतिवर्ष इस मार्ग का उपयोग करते हैं?

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग को पक्का करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) तड़वा से बैरठ के मध्य 12.00 किमी दूरी का मार्ग वर्तमान में कच्चा है। इसको डामरीकृत करना राज्य सरकार की पारस्परिक प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

डेगाना में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण

26. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री विजयपाल मिर्धा)

(1) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पूर्व निर्धारित लक्ष्य अधूरे हैं? यदि हां, तो पंचायत समिति डेगाना एवं पंचायत समिति रियां बड़ी क्षेत्र में कितने आवास बनाये जाने का लक्ष्य था व कितने आवास स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृति के कितने प्रकरण लम्बित हैं व कितने आवास अपूर्ण हैं? कारण सहित पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य समय पर पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ बकाया लक्ष्य एवं अधूरे आवासों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना की पंचायत समिति डेगाना व पंचायत समिति रियां बड़ी में गत दो वर्षों में 1233 आवास बनाये जाने का लक्ष्य था तथा उक्त सभी 1233 आवास स्वीकृत किए गए। इस प्रकार स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरण शून्य है। वर्तमान में 20 आवास अधूरे हैं, जिनका पंचायत समितिवार कारण सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अन्तर्गत आवास निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाता है। लाभार्थी को आवास स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त, दासा स्तर तक का आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने पर द्वितीय किश्त व छत स्तर तक का आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरांत तृतीय किश्त का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि लाभार्थी आवास सॉफ्ट पर रजिस्टर्ड मोबाइल नं से आवास का निर्माण निर्धारित स्तर तक पूर्ण होने पर स्वयं ही मोबाइल एप "आवास एप" के माध्यम से आवास की अगली किश्त हेतु जियो टैग फोटो अपलोड कर सकता है।

अधूरे आवासों को पूर्ण करवाने हेतु ग्राम विकास अधिकारियों/टैग अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों से निरन्तर सम्पर्क कर आवास पूर्ण कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र डेगाना में प्रधानमंत्री आवास योजना-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

ग्रामीण अन्तर्गत किसी भी प्रकार की लापरवाही का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रोहट (पाली) पंचायत समिति में दीनदयाल ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन

27. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में दीनदयाल ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत किस–किस गांव की किस व्यक्ति की कितनी–कितनी अवधि से विद्युत संबंधी पत्रावली जमा होने पर भी उन्हें विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया? क्या सरकार इन्हें विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में? यदि नहीं, तो किन–किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पाली जिले के रोहट क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत माह दिसम्बर 2019 तक 221 परिवारों के लक्ष्यों के सापेक्ष में सभी 221 ग्रामीण घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। उक्त योजनान्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष में सभी घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका हैं।

देवली-उनियारा में विद्युत कटौती कम करने की कार्ययोजना

28. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में सरकार द्वारा 24 घण्टे में कितने घण्टे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बिजली की कटौती कम करते हुए अधिक से अधिक समय बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली एवं उनियारा में कृषि कार्य हेतु साप्ताहिक रोटेशन में दिन के ब्लॉक में 6 घण्टे एवं रात्रि के ब्लॉक 7 घण्टे थ्री फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है एवं घरेलू कार्य हेतु 22-24 घण्टे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि, आंधी-तूफान इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न व्यवधान के अतिरिक्त कोई विद्युत कटौती नहीं की जा रही है।

नागौर के मेड़ता, डेगाना व लाडनूं में पेयजल वितरण प्रणाली के पुनर्गठन के प्रस्ताव

29. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नागौर जिले के डेगाना, मेड़ता एवं लाडनूं में पेयजल वितरण प्रणाली के पुनर्गठन के प्रस्ताव सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एंव अधिशासी अभियन्ता कार्यालयों द्वारा प्रस्ताव सरकार को भेजे जाते रहे हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कब-कब व किस-किस दिनांक को कितनी राशि की मांग के प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किये गये हैं? प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु नवीन/संवर्धन/पुनर्गठन पेयजल योजनाओं में आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यों का प्रावधान लेते हुए संबंधित सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के स्तर से प्रस्ताव तैयार कर अधीक्षण अभियन्ता व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता स्तर पर तकनीकी जांच के उपरान्त, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु भेजे जाने की प्रक्रिया विभाग में निर्धारित की गई है।

उक्त प्रक्रिया के तहत नागौर जिले के कस्बा डेगाना, मेड़ता एवं लाडनूं की पेयजल वितरण प्रणाली के कार्यों सहित अन्य कार्यों को सम्मिलित करते हुए विगत 5 वर्षों में इन कस्बों की पेयजल योजनाओं के सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रस्तावों का संकलित विवरण परिशिष्ट-अ पर तथा इन

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रस्तावों हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मय लागत सार की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले के पेयजल समस्याग्रस्त गांवों में आर.ओ. प्लांट की स्थापना

30. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा में पेयजल समस्याग्रस्त गांव व ढाणियों में आर.ओ. संयंत्र लगाये जाने हेतु सरकार द्वारा कौन–कौन से स्थान चिन्हित कर दिये गये हैं तथा उनमें से कितने स्थानों पर आर.ओ. स्थापित कर दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के पेयजल समस्या से ग्रस्त गांवों के लिए चम्बल के सतही जल से क्षेत्रीय पेयजल योजना बनाकर पेयजल सप्लाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कोटा में पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न चरणों में कुल 89 आर.ओ. संयंत्रों (प्रत्येक ग्राम में एक-एक) के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु स्वीकृतियां जारी की जाकर 72 आर.ओ. संयंत्र निर्माण एवं स्थापना उपरान्त जल योजनाओं अंतर्गत वर्तमान में सुचारु रूप से क्रियाशील हैं तथा 3 आर.ओ. संयंत्रों का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्रामों को सतही जल स्रोत आधारित योजनाओं से जोड़े/लाभान्वित किये जाने की मांग माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र सांगोद द्वारा निरन्तर की जा रही है तथा इसके अनुसरण में माननीय विधायक द्वारा शेष रहे उक्त 14 आर.ओ. संयंत्रों को स्थापित करने से मना करने के कारण, इनका निर्माण एवं स्थापना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

ग्रामवार स्वीकृत आर.ओ. संयंत्रों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्रामों हेतु सतही जल स्रोत आधारित चम्बल नदी से कोई पेयजल योजना वर्तमान में प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।

उक्त क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत चम्बल के अतिरिक्त अन्य सतही जल स्रोत आधारित वृहद् परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना:- विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के 44 ग्रामों सहित कोटा जिले के 207 ग्रामों को कालीसिन्ध नदी पर स्थित हरिपुरा मांझी एनीकट से लाभान्वित करने हेतु हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय वित्त समिति की 746वीं बैठक दिनांक 13.07.2018 द्वारा राशि रुपये 297.48 करोड़ की जारी हुई थी।

भारत सरकार के जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित जल मांग 21.44 मिलियन घन मीटर के क्रम में सतही जल स्रोत की सस्टेनिबिलिटी एवं जल स्रोत में वर्ष पर्यन्त जल उपलब्धता की सुनिश्चितता के पुष्टिकरण हेतु जल संसाधन विभाग को दिनांक 13.11.2019/ 12.12.2019 को लिखे गये पत्र के अनुसरण में, जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 03.01.2020 द्वारा हरिपुरा मांझी एनीकट की भराव क्षमता 100 प्रतिशत डिपेन्डिबिलिटी पर 15.58 मिलियन घन मीटर होने के फलस्वरूप जल उपयोग को देखते हुए वर्ष पर्यन्त जल उपलब्धता रहने की पुष्टि करना सम्भव नहीं है, सूचित किया है।

(ख) परवन-अकावद पेयजल परियोजना:- विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के 207 ग्राम सहित झालावाड़, बारां और कोटा जिले के 1821 ग्राम एवं बारां शहर को सतही जल स्रोत परवन नदी आधारित परवन-अकावद पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में की गई घोषणा की अनुपालना में, परवन बांध आधारित परियोजना में सर्वे, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.), निविदा प्रपत्र इत्यादि तैयार करने, परवन बांध निर्माण की हिस्सा राशि एवं इनटेक वैल के निर्माण का प्रावधान सम्मिलित करते हुए प्रथम चरण की परियोजना हेतु राशि रुपये 220.05 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय वित्त समिति की 740वीं बैठक दिनांक 14.03.2018 द्वारा जारी की गई है।

उक्त पेयजल परियोजना के सर्वेक्षण कार्य एवं डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य अनुबंधक सलाहकार फर्म द्वारा वर्तमान में प्रगति पर है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(ग) दिनांक 29 जुलाई, 2019 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कोटा में सांगोद क्षेत्र की कालीसिंध नदी पर निर्माणाधीन नौनेरा बैराज से पेयजल हेतु जल आरक्षण की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किये जाने बाबत घोषणा की गई है। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम नौनेरा के समीप कालीसिन्ध नदी पर नौनेरा बैराज के निर्माण का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के समस्त ग्रामों सहित कोटा, बूंदी एवं बारां जिले के 752 ग्राम एवं 4 शहरों को निर्माणाधीन नौनेरा बैराज से लाभान्वित करने हेतु विभागीय तकनीकी समिति की 679वीं बैठक दिनांक 29.08.2019 द्वारा सैद्धान्तिक सहमति जारी की जा चुकी है।

उक्त पेयजल परियोजना अंतर्गत 752 ग्राम एवं 4 शहरों हेतु 54.00 मिलियन घन मीटर जल आरक्षण हेतु हाल ही दिनांक 05.02.2020 को जल संसाधन विभाग को पत्र लिखा गया है। जल आरक्षण सुनिश्चित होने के उपरान्त परियोजना के सर्वे कार्य एवं डी.पी.आर. तैयार करने के कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव बनाये जाकर सक्षम स्तर से इनकी स्वीकृति जारी की जानी सम्भव हो सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा रीको को भूमि का आबंटन

31. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा रीको को अजमेर एचएमटी के पीछे उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन किया गया था? यदि हां, तो कितनी भूमि का आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रीको द्वारा उक्त भूमि को आज दिनांक तक औद्योगिक विकास हेतु विकसित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

(4) क्या सरकार उक्त भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है?

(5) क्या अजमेर विकास प्राधिकरण रीको को आबंटित उक्त भू-भाग को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा रीको को अजमेर एच.एम.टी. के पीछे उद्योगों की स्थापना हेतु किसी प्रकार की भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

(5) उपरोक्तानुसार।

उदयपुर में गुलाब बाग स्थित कमल तलाई का जीर्णोद्धार

32. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर में गुलाब बाग स्थित कमल तलाई के जीर्णोद्धार, नवनिर्माण, सौन्दर्यीकरण में विगत पांच वर्षों में नगर निगम उदयपुर द्वारा कितनी राशि व्यय की गई? निविदा व कार्यादेशों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर की प्रसिद्ध कमल तलाई में वर्तमान में कमल के फूल की उपलब्धता की स्थिति क्या है? यहां से प्रतिवर्ष कितने कमल संग्रहित होते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या पूर्व में उक्त तलाई में कमल के पुष्प उपलब्ध थे?

(4) क्या अनियोजित निर्माण से उक्त तलाई में कमल के पौधे नष्ट हुए हैं? क्या सरकार उक्त विषय में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर में गुलाब बाग स्थित कमल तलाई के जीर्णोद्धार, नवनिर्माण, सौन्दर्यीकरण में विगत पांच वर्षों में नगर निगम उदयपुर द्वारा

(स्वायत्त शासन मंत्री)

गुलाब बाग स्थित कमल तलाई में राशि 1,31,38,450/- रुपये व्यय की गई है। निविदा एवं कार्यादेशों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कमल तलाई में नगर निगम उदयपुर द्वारा विकास कार्य करवाए जाने के पूर्व भी कमल तलाई में कमल संग्रहित नहीं होते थे।

(3) जी नहीं। पूर्व में गुलाब बाग क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन था। वर्ष 2007-08 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गुलाब बाग का रख रखाव एवं विकास कार्य करने हेतु नगर निगम उदयपुर को हस्तान्तरित किया गया, उसके पूर्व भी कमल तलाई में कमल के पुष्प उपलब्ध नहीं थे।

(4) जी नहीं। कमल तलाई में कमल के पौधे पूर्व में भी नहीं थे। कमल तलाई के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य करवाये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अग्निशमन वाहनों के क्रय पर व्यय राशि

33. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अग्निशमन वाहन खरीदने की वार्षिक आय-व्यय अनुमान 2019-20 में घोषणा की गई है? यदि हां, तो वर्ष 2019-20 में कितनी राशि व्यय कर कितने वाहन क्रय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है उक्त वाहनों का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो उक्त अग्निशमन वाहनों का उपयोग किस-किस नगर निगम व नगरपालिकाओं में किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को 100 अग्निशमन वाहन क्रय किये जाने हेतु राशि 26.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 40 अग्निशमन वाहन प्रत्येक संभाग स्तर पर दो-दो एवं प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक-एक वाहन क्रय किये जाने हेतु राशि रुपये 10.40 करोड़ जिला कलेक्टरों को आबंटित किये जा चुके हैं। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्तर पर 60 अग्निशमन वाहन क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी हां। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा 60 अग्निशमन वाहन एवं जिला कलक्टर्स द्वारा 40 अग्निशमन वाहन क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कृषि यंत्रों पर देय अनुदान

34. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो किन-किन कृषि यंत्रों पर व कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नये व आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन यंत्रों पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत चयनित कृषि यंत्रों पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार एवं उद्यान विभाग द्वारा उद्यानिकी यंत्रीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को कृषि यंत्र क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिसका विभागवार एवं योजनावार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में राज्य में क्रियान्वित की जा रही कृषि यंत्र अनुदान वितरण योजनाओं में कम्बाइन हार्वेस्टर, रोटावेटर, स्ट्रा रीपर, रीपर कम बाइण्डर, पावर टिलर, रिवर्सिबल हाइड्रोलिक प्लो इत्यादि नये व आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टिड्डी दलों के आक्रमण से प्रभावित किसानों को सहायता

35. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कौन-कौनसी तहसीलों में टिड्डी दलों के हमले हुए हैं? टिड्डी दलों का आक्रमण कब से प्रारम्भ हुआ?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) टिड्डी प्रकोप से बचने एवं इन पर नियंत्रण के क्या प्रयास किए गए?

(3) क्या टिड्डी प्रकोप से हुई फसलों की क्षति का आकलन करवाया गया है? यदि हां, तो कब करवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त के प्रकोप से हुई हानि के लिए किसानों को सहायता कब तक प्रदान कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में तहसीलवार टिड्डी दलों के हमले की सूचना निम्नानुसार है। टिड्डी दलों का आक्रमण 21 मई, 2019 से प्रारम्भ हुआ था।

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम
1	जैसलमेर	जैसलमेर, पोकरण, भणियाणा रामगढ़ I एवं II, मोहनगढ़ I एवं II, नाचना I एवं II एवं फतेहगढ़
2	बाड़मेर	बाड़मेर, पचपदरा, धौरीमन्ना, समदड़ी, गिडा, गडरारोड, सेड़वा, सिदंरी, गुढ़ामालानी, शिव, रामसर, बायतू, सिवाना एवं चौहटन
3	जोधपुर	जोधपुर, बापनी, पीपाड़, बिलाड़ा, तिंवरी, लोहावट, लूणी, बाप, डेंचू, बाणेसर, शेरगढ़, औसियां एवं फलौदी
4	बीकानेर	कोलायत, बीकानेर, लूणकरणसर, बज्जू, पूगल, खाजूवाला, छतरगढ एवं नोखा
5	नागौर	नागौर, खींवसर
6	चूरू	चूरू, तारानगर, राजगढ़ एवं सरदारशहर
7	हनुमानगढ़	नोहर एवं रावतसर
8	श्रीगंगानगर	घड़साना, श्रीगंगानगर, पदमपुर, विजयनगर, सादुलशहर, रावला, सूरतगढ़, अनूपगढ़, रायसिंहनगर एवं करणपुर
9	जालौर	सांचौर, आहोर, जसवंतपुरा, सायला, जालौर, चितलवाना, रानीवाड़ा, बागोरा एवं भीनमाल
10	सिरोही	पिण्डवाड़ा, शिवगंज एवं सिरोही
11	पाली	रोहट, बाली, पाली एवं सुमेरपुर
12	उदयपुर	कोटड़ा

(कृषि मंत्री)

(2) 21 मई, 2019 से अब तक राज्य में हुए टिड्डी प्रकोप का टिड्डी चेतावनी संगठन एवं कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार नियंत्रण किया गया है:

जिला	**टिड्डी चेतावनी संगठन (हैक्टेयर में)**	**विभागीय अनुदान द्वारा (हैक्टेयर में)**	**योग (हैक्टेयर में)**
जैसलमेर	194025	17615	211640
बाड़मेर	64220	12484	76704
जोधपुर	39282	2768	42050
बीकानेर	71329	78586	149915
नागौर	510	16	526
चूरू	500	0	500
हनुमानगढ़	972	3000	3972
श्रीगंगानगर	8579	13858	22437
जालौर	8429	7501	15930
सिरोही	370	560	930
पाली	2745	4071	6816
उदयपुर	0	216	250
योग	**390961 (3 लाख 90 हजार 9 सौ इकसठ)**	**140709 (1 लाख 40 हजार 7 सौ नौ)**	**531670 (5 लाख 31 हजार 6 सौ सत्तर**

कृषि विभाग द्वारा टिड्डी नियंत्रण हेतु पौध संरक्षण रसायन की वास्तविक लागत या अधिकतम 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

टिड्डी चेतावनी संगठन, जोधपुर एवं टिड्डी नियंत्रण वृत्त द्वारा उच्चीकृत पौध संरक्षण उपकरणों से मैलाथियान 96 प्रतिशत यूएलवी का टिड्डी नियंत्रण में 302686 ली. का उपयोग किया जा चुका है।

टिड्डियों के सर्वेक्षण में 54 एवं नियंत्रण हेतु 45 वाहन एवं 450 ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर मय ट्रैक्टर संचालित है।

(कृषि मंत्री)

टिड्डी दल पर नियंत्रण व सर्वेक्षण करने के लिये वाहनों को किराये पर लेकर संचालन करने हेतु राशि रुपये 507.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है जिसमे से सम्बंधित जिलों को राशि रुपये 300 लाख का आवंटन किया जा चुका है।

· रबी 2019-20 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिसूचित की गई फसलों में टिड्डी के प्रकोप से फसलों को हुए नुकसान के सम्बंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 7.1.2020 की पालना में जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर व जालौर, सेक्शन 21.2 के तहत तात्कालिक सहायता (On Account payment to claim due to mid season adversity) क्षति अधिसूचना जारी हो चुकी है। बीकानेर व सिरोही जिले के प्रस्तावों की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। फसल खराबे की गिरदावरी जनवरी, 2020 से करवाई गई है।

(4) टिड्डियों द्वारा उक्त जिलों में जीरा, ईसबगोल, सरसों, गेहूं, अरण्डी, चना आदि फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। जिलों में टिड्डियों से फसल खराबा होने से आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कृषि आदान-अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई गई है। (बारानी फसलों में रुपये 6800 प्रति हैक्टेयर, सिंचित फसलों में रुपये 13500 प्रति हैक्टेयर एवं बहुवर्षीय फसलों में रुपये 18000 प्रति हैक्टेयर की दर से)

(कृषि मंत्री)

क्र. सं.	जिले का नाम	33% से अधिक फसल खराबा (हैक्टेयर)	भुगतान किये गये कृषक की संख्या	जिलों द्वारा कृषकों को किया गया भुगतान (राशि रु. करोड़ में)
1	बाड़मेर	37828	17605	20.47
2	बीकानेर	5801	1266	2.50
3	जैसलमेर	51718	14977	29.20
4	जोधपुर	660	563	0.82
5	जालौर	46905	25314	36.97
6	पाली	356	153	0.20
योग		**143268 (1 लाख 43 हजार 2 सौ अड़सठ)**	**59878 (59 हजार 8 सौ अठहतर)**	**90.16 (90 करोड़ 16 लाख)**

पाली जिले के रायपुर व कानूजा में खाद्य सामग्री का वितरण बंद करने की शिकायतें

36. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के रायपुर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कानूजा में लोगों की खाद्य सामग्री का वितरण बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन लोगों की व किस कारण से? व्यक्तियों के नामों की सूची पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उपभोक्ताओं द्वारा पुन: आनलाइन आवेदन किया गया है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा? उक्त में से किन-किन लोगों की खाद्य सामग्री पुन: चालू कर दी गई व किन-किन की नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर एवं ग्राम पंचायत कानूजा में पात्र परिवारों की खाद्य सामग्री बंद नहीं की गई। पंचायत समिति रायपुर में निम्न अपात्र लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाये जाने पर खाद्य सामग्री स्वत: ही बन्द हो गई।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

नाम ग्राम पंचायत	**व्यक्ति का नाम**	**बन्द होने का कारण**
बासिया	श्रीमती सरला	पति का राजकीय सेवा में चयन
बाबरा	श्री भूराराम सिंगाडिया	राजकीय सेवा में चयन
बर	श्री अब्दुल सत्तार	राजकीय कर्मचारी

(2) उक्त उपभोक्ताओं द्वारा पुन: आनलाइन आवेदन नहीं किया गया।

स्थानीय यातायात हेतु संचालित निजी कंपनियों की टैक्सी सेवाओं की दरों पर नियन्त्रण

37. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के किन-किन शहरों में स्थानीय यातायात हेतु निजी कंपनियों यथा ओला एवं उबर टैक्सी की सेवाएं संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कंपनियों को सरकार से मान्यता प्राप्त है? यदि हां, तो क्या इनकी सेवा दरों का अनुमोदन भी सरकार द्वारा किया जाता है? यदि हां तो इनकी दरें किस प्रकार निर्धारित की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कंपनियों द्वारा आम दिनों में व्यस्ततम समय के दौरान तथा किसी विशेष दिवस तथा रात्रि के समय में मनमर्जी से अपनी सेवा दरों में अनधिकृत बढ़ोतरी कर दी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार विशेष दिनों में किसी प्रकार का नियंत्रण रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर एवं उदयपुर के लिये ओला टैक्सी तथा जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर के लिए उबर टैक्सी को लाइसेन्स प्रदान किये गये हैं।

(2) उक्त कंपनियों को राजस्थान लोक सेवा यानो द्वारा आन डिमांड सूचना प्रोद्यौगिकी आधारित परिवहन नियम 2016 के तहत लाइसेन्स प्रदान किये गये है। सेवा दरों के निर्धारण हेतु अधिसूचना दिनांक 05.04.2013 लागू की गयी है। प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

(3) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इन कंपनियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम किराया राशि से अधिक किराया नहीं लिया जा सकता। कंपनियों के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

उक्त कंपनियों के प्लेटफार्म पर रजिस्टर्ड वाहनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने एवं समय-समय पर इन वाहनों का औचक निरीक्षण कर अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

थानागाजी के विद्यालयों में रिक्त पद

38. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं तथा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	विद्यालय स्तर	संख्या
1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	125
2	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	138
3	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	12
4	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	27

(2) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में

(शिक्षा मंत्री)

शैक्षणिक कार्मिकों का श्रेणीवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	प्रधानाध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक	136	61	75
2.	तृतीय श्रेणी अध्यापक (ले-2) एवं समकक्ष	457	427	30
3.	तृतीय श्रेणी अध्यापक (ले-1) एवं समकक्ष	642	585	57
4.	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-3 एवं समकक्ष	55	44	11
	योग	**1290**	**1117**	**173**

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	प्रधानाचार्य	27	27	0
2.	प्रधानाध्यापक	12	12	0
3.	प्रथम श्रेणी व्याख्याता	114	95	19
4.	वरिष्ठ अध्यापक	200	173	27
5.	तृतीय श्रेणी अध्यापक	216	156	60
	योग	**1230**	**1038**	**192**

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में व्याख्याता सीधी भर्ती के 5000 पदों की भर्ती परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग करवाई जा चुकी है, परिणाम आना शेष है।

उक्तानुसार सीधी भर्ती परीक्षा एवं पदोन्नति अभ्यांश के पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में रिक्तियों को भरा जा सकेगा।